राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः प 21(40)नि.उ./राबामि/जिला/2022–23/ 3153–3230 दिनांकः 03/06/22

उप निदेशक उद्यान, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा
सहायक निदेशक उद्यान, अजमेर/अलवर/बांरा/बांसवाडा/
बाडमेर/बूंदी/भीलवाड़ा/चित्तौडगढ़/डूंगरपुर/झुन्झुनूं/
झालावाड़/जैसलमेर/जालौर/करौली/नागौर/पाली/
सवाई माधोपुर/श्रीगंगानगर/सिरोही/टोंक

विषयः– वर्ष 2022–23 में मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत कार्यक्रमवार एवं कृषक श्रेणीवार भौतिक व वित्तिय लक्ष्य आंवटन एवं योजना दिशा–निर्देशो के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के वर्ष 2022–23 में क्रियान्वयन हेतु योजना दिशा–निर्देश, कृषक श्रेणीवार भौतिक व वित्तिय लक्ष्यों का जिलेवार आंवटन संलग्न करके भिजवाया जा रहा है। योजना के तहत पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, इण्टिग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम, रेफ्रिजरेटेड वेन, राइपनिंग चेम्बर आदि परियोजना आधारित कार्यक्रमो हेतु आंवटित लक्ष्यों के विरूद्व परियोजना प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु उद्यान आयुक्तालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन वर्ष 2022–23 हेतु जारी दिशा–निर्देशानुसार सुनिश्चित करते हुये योजना कार्यक्रमो की प्रगति को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक एम. पी.आर. पोर्टल पर अपलोड करावें । इस हेतु योजना दिशा–निर्देशो में यदि कोई परिवर्तन होता है तो पृथक से अवगत करवा दिया जायेगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(चेतन देवड़ा)
आयुक्त उद्यान

क्रमांकः प 21(40)नि.उ./राबामि/जिला/2022–23/ दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उद्यानिकी एवं सहकारिता, शासन सयचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी,.................... ।
5. संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक उद्यान, मु./सीएसएस/वि./कीट/नर्सरी/अनु./सीओई, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
9. संयुक्त/उप निदेशक उद्यान खण्ड समस्त।
10. उप निदेशक उद्यान, मु./पौध व्याधि/विस्तार/नर्सरी/सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

—sd—
(चेतन देवड़ा)
आयुक्त उद्यान

(कार्यालय उपयोग हेतु)

राजस्थान सरकार

मिशन फॉर इन्टिग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर

उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन

दिशा–निर्देश

2022–2023

उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	कार्यक्रम	पेज संख्या
1	सामान्य निर्देश	1-2
2	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन	3-5
3	टिश्युकल्चर इकाईयॉ	6
4	नये उद्यानों की स्थापना	
I	फल बगीचों की स्थापना	7-10
II	मशरूम उत्पादन	11
III	फूलों के नये बगीचों की स्थापना	12
IV	मसाला फसलों के बगीचों की स्थापना	13
5	पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	14
6	जलस्रोत का विकास	15-18
7	संरक्षित कृषि	1925
8	समेकित पोषण प्रबंधन/समेकित जीवनाशी प्रबधंन	26
9	जैविक खेती	27-28
10	वर्मीकम्पोस्ट इकाई	29-30
11	मधुमक्खी पालन	31-33
12	उद्यानिकी में यांत्रिकरण	34-35
13	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	36-37
14	फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन	38-51
15	बाजार के बुनियादी ढांचे का सृजन/विकास	52
16	सेमीनार/वर्कशॉप	53
परिशिष्ट–1	अनुदान/सहायता प्राप्त करने का आवेदन प्रपत्र	54
परिशिष्ट–2	जिलेवार चयनित फसलें	55
परिशिष्ट–3	फलदार पौधों की जीवितता हेतु सत्यापन प्रपत्र	56
परिशिष्ट–4	आदान परमिट प्रपत्र	57
परिशिष्ट–5	जल स्रोत मापदण्ड	58–70
परिशिष्ट–6	ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल के मापदण्ड	71–90
परिशिष्ट–7	मल्च के मापदण्ड	91
परिशिष्ट–8	लो टनल के मापदण्ड	92
परिशिष्ट–9	फूलो की सांकेतिक लागत	93
परिशिष्ट–10	हाई वैल्यु बेजिटेबल्स की सांकेतिक लागत	94
परिशिष्ट–11	हाई वैल्यु बेजिटेबल्स परिपत्र	95–96
परिशिष्ट–12	आईपीएम सिफारिशें	97–98
परिशिष्ट–13	आईपीएम सांकेतिक लागत मॉड्यूल	99–100
परिशिष्ट–14	जैविक खेती कार्यक्रम अनुबंध प्रपत्र	101
परिशिष्ट–15	मधुमक्खी कॉलोनी के स्पेसिफिकेशन	102–103
परिशिष्ट–16 व 17	मधुमक्खी माइग्रेशन प्रमाण पत्र अधिकृति आदेश	104–105
परिशिष्ट–18	कृषक प्रशिक्षण लागत का मदवार विवरण	106
परिशिष्ट–19	प्याज भण्डारण डिजाईन	107
परिशिष्ट–20	जिला स्तर सेमीनार के आयोजन का मदवार विवरण	108
परिशिष्ट–15	राज्य स्तर सेमीनार के आयोजन का मदवार विवरण	109

एकीकृत बागवानी विकास मिशन उप योजनाराष्ट्रीय बागवानी मिशन
दिशा–निर्देश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी फसलों–फलो, सब्जियों, मसालो एवं फूल व औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के सर्वांगिण विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। योजनान्तर्गत क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य की मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आनुवांशिक उन्नयन के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।योजना अर्न्तगत कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान प्रावधान अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. सामान्य निर्देशः

- योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार चयनित फसलों/आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावेंगा।
- योजनार्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संघन क्लस्टर के रूप में किये जाने हेत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
- योजना काय्रक्रमों के क्रियान्वयन में यथासम्भव स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना से समन्वय स्थापित किया जावें।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यकमों के तहत अनुदान हेतु आवेदन ऑन लाइन के माध्यम से प्रस्तुत किये जावेंगे।
- पौध रोपण सामग्री/बीज के अतिरिक्त अन्य सभी आदान ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस के माध्यम से उपलब्ध कराये जावे। कार्यालय स्तर से कोई आदान कय नही किया जायेगा ।
- सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस से आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक को फसल विशेष की सिफारिश अनुसार परमिट जारी किया जायेगा ।
- परमिट/सिफारिश अनुसार कृषक हिस्सा राशि सहकारी समिति में जमा करवायी जाकर कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार आदान स्वयं कृषक के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।
- योजना अर्न्तगत कीटनाशी रसायन कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों में से प्राथमिकता से 'ए' व 'ब' श्रेणी पाये गये निर्माताओं के उपलब्ध कराये जावें। 'ए' व 'ब' श्रेणी के कीटनाशी रसायन निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की पूर्व अनुमति से अन्य श्रेणी के कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- योजना कार्यक्रम अर्न्तगत कृषक द्वारा क्रय किये गये आदान का सहकारी संस्था द्वारा जारी बिल के पृष्ठ भाग पर स्वयं कृषक से आदान प्राप्ती प्रमाणित करवायी जाकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त किया जावे।

- अनुदान क्लेमस् का कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत बिल प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में संस्था को आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान सुनिश्चत किया जावें।
- कृषक सहकारी संस्थाओं से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय करके भी अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कृषक को क्लेम्स प्राप्ति के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा ।
- योजना कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में आर.टी. जी.एस.के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्चयन में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति व 30 प्रतिशत महिला कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इस हेतु लाभार्थी को कानून उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक के स्वंय की मालिकाना हक की भूमि पर योजना का लाभ देय होगा। रजिस्टर्ड लीज पर अनुदान देय नहीं होगा।
- परियोजना आधारित समस्त कार्यकम जिला अधिकारी / खण्ड अधिकारी / निदेशालय को प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति सम्बधित जिला कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे। जिला अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना स्थल का निरिक्षण कर मय फोटोग्रफ अपनी टिप्पणी से निदेशालय को अवगत कराया जायेगा।
- सम्बंधित जिला कार्यालय द्वारा योजना के तहत लाभार्थियो की कृषक श्रेणीवार डिजीटलाइज्ड सूची तैयार की जायेगी।

2. पौध रोपण सामग्री का उत्पादन (Production of Planting Material)

पौध रोपण सामग्री की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में वृद्वि के लिये हाईटेक नर्सरी, छोटी नर्सरी स्थापना पर अनुदान देय है ।

1. हाइटेक नर्सरी:

हाईटेक नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 25.00 लाख निर्धारित की गयी है। एक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी स्थापना पर लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 40.00 लाख रूपये केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड अनुदानदेय है। हाई–टेक (मॉडल) नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 50000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने होंगे। हाईटेक नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधाये विकसित की जायेगी:–

1. उपयुक्त फैन्सिंग
2. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉक
3. नेट हाऊस
4. सिंचाई सुविधाये
5. हाईटेक ग्रीन हाऊस जिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
6. हार्डनिंग / रख–रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली युक्त शेडनेट हाऊस
7. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस व कम से कम 2 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए जल भण्डारण टैंक
8. मृदा उपचार के लिये बायलर्स के साथ स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली

नर्सरी का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रीडेशन (Accreditation) कराना आवश्यक होगा। नर्सरी विकास हेतु सांकेतिक लागत मॉडल निम्नानुसार है:–

कम्पोनेंट / कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)							
	एक हैक्टर		दो हैक्टर		तीन हैक्टर		चार हैक्टर	
		राशि		राशि		राशि		राशि
फैन्सिंग		0.80		1.60		2.40		3.20
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		0.75		1.50		2.25		3.00
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10	2000	14.20	3000	21.30	4000	28.40
हाईटेक ग्रीन हाउस मय कीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	1000	9.35	2000	18.70	3000	28.05	4000	37.40
कीट रोधी नेट हाउस (वर्गमीटर)	500	4.00	1000	8.00	1500	12.00	2000	16.00
नर्सरी उपकरण / औजार		0.50		1.00		1.50		2.00
सिंचाई सुविधा		0.50		1.00		1.50		2.00
सिचाई पम्प हाऊस व जल		1.50		3.00		4.50		6.00

भण्डारण टैंक का निर्माण								
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		0.50		1.00		1.50		2.00
कुल योग		**25.00**		**50.00**		**75.00**		**100.00**

2. छोटी नर्सरी:

छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15.00 लाख निर्धारित की गयी है। निजी क्षेत्र में एक लाभार्थी को अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 7.50 लाख रूपये क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान देय है।

नर्सरी को उच्च गुणवता युक्त फलों के 25000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे। छोटी नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधाये विकसित की जायेगी:–

1. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉक नेच्यूरली वेन्टीलेटेड ग्रीन हाउस सिंचाई सुविधाये
2. हाईटेक ग्रीन हाऊस जिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
3. हार्डनिंग/रख–रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली युक्त शेडनेट हाऊस
4. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस
5. मृदा उपचार के लिये स्टरलाईजेशन प्रणाली।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी में बुनियादी सुविधाओं के विकास का सांकेतिक मॉडल निम्नानुसार है:–

कम्पोनेंट/कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)	
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		0.80
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10
हाईटेक ग्रीन हाउस मय कीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	500	4.68
नर्सरी उपकरण/औजार		0.25
सिंचाई सुविधा		0.50
सिचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.17
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		0.50
कुल योग		**15.00**

प्रक्रिया:

1. निजी क्षेत्र में हाई–टेक (मॉडल) व छोटी नर्सरी स्थापना के लिये आवेदक (संस्था/कृषक/कम्पनी) को भू–स्वामित्व (Consolidated land) दस्तावेज, नर्सरी पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं के विवरण सहित लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मय बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (टर्म लोन) व शपथ–पत्र के साथ जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत करने होगें।

जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. नर्सरी स्थापना के लिये बैंक ऋण अनिवार्य है। इस हेतु परियोजना लागत का लगभग 70–75 प्रतिशत बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (Term loan sanction letter) सलंग्न करना होगा।
3. योजना प्रावधान अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा नर्सरी के बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (LOI) जारी की जायेगी।
4. आवेदक को नर्सरी सुविधायें विकसित करने का कार्य 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाकर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.), जयपुर को अवगत कराया जायेगा।
5. खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी व सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया जाकर भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
6. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अन्त में समायोजित की जायेगी।
7. पौध रोपण सामग्री की आवश्यक्ता के अनुसार नर्सरी बहु–फलीय या किसी एक फल विशेष के लिये स्थापित की जा सकेगी। परियोजना प्रस्ताव में फलों व किस्मों के नाम को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। नर्सरी पर उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का मातृ वृक्ष ब्लॉक स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके लिये मातृ पौधें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों या राज्य/केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त करने होंगे।
8. नर्सरी को मातृ वृक्ष व उत्पादित पौध रोपण सामग्री का रिकॉर्ड संधारित करके रखना होगा व इसकी प्रगति से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को अवगत करवाना होगा।
9. नर्सरी के प्रस्तावों में बुनियादी ढांचें की सुविधाओं के साथ–साथ फैन्सिंग, सर्विस रोड़ (कच्ची/पक्की), आवश्यक उपकरण आदि भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।
10. नर्सरियां बीज और रोपण सामग्री से सबंधित लागु नियमों के अंतर्गत विनियमित होगी।
11. आवेदक को प्रस्तावित नर्सरी में पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये आवश्यक हाली–माली, तकनीकी जानकारी रखने वाले दक्ष व्यक्ति रखने होंगे।
12. नर्सरी पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित का बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष, कुल लागत, मातृ वृक्षों की किस्म/फसल इत्यादि की जानकारी अंकित करना होगा व पौधों की किस्मवार विक्रय दर का बोर्ड लगाना होगा।
13. नर्सरीयों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रेडिशन करवाना होगा।
14. राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी या इसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा नर्सरी का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. नर्सरी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं करने व पौधें उत्पादन कार्य बन्द करने की स्थिति में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि वापस ली जा सकेगी

3. टिश्युकल्चर इकाईयॉ :–

नई टिश्युकल्चर इकाईयां स्थापित की जाएगी और मौजूदा इकाईयों की पुनर्स्थापना/मजबूती के लिए मदद दी जाएगी। नई टिश्युकल्चर इकाईयां जरूरी फसलों के 25 लाख पौधों का उत्पादन करेंगी, जिनके व्यावसायिक उपयोग के लिए खजूर को छोडकर, नियमावली उपलब्ध है। कम संख्या में पौधों के उत्पादन की स्थिति में लैब की लागत समानुपातिक ढंग से कम हो जाएगी (यह इसकी जीवन क्षमता पर निर्भर करेगा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की नई टिश्यु इकाईयां परियोजनाएं उन्ही एजेंसियों को स्वीकृत की जाएंगी जिनके पास अपेक्षित तकनीकी श्रमशक्ति होगी। श्रमशक्ति और आकस्मिकता हेतु कोई आवर्ती व्यय योजनान्तर्गत वहन नही किया जाएगा। प्रत्येक टिश्यु कल्चर इकाई को राशि प्राप्त करने के बाद अठारह माह के भीतर जैव तकनीक विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी। इसमें विफल रहने की स्थिति में परियेाजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता वापस ले ली जाएगी।

अनुदान राशि :–

टिश्यु कल्चर इकाईयों के सुदृढीकरण की लागत रूपये 20.00 लाख प्रति इकाई मानते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत का 50 प्रतिशत केडिट लिंक्ड् बैक एण्डेड अनुदान देय होगा। नई टिश्यु कल्चर इकाईयों की स्थापना हेतु लागत राशि रूपये 250.00 लाख प्रति इकाई मानते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को लागत के आधार पर 40 प्रतिशतकेडिट लिंक्ड् बैक एण्डेड अनुदान देय होगा। प्रत्येक टिश्यु कल्चर इकाई को प्रतिवर्ष अधिदेशित फसल के न्यूनतम 25.00 लाख पौधें तैयार करने होंगे जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकें।

4. नए उद्यानों की स्थापना(Establishment of new gardens):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अर्न्तगत जिलेवार चयनित बागवानी फसलों के लागत मापदण्ड अनुसार नये क्षेत्र विस्तार/नये बगीचों की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बागवानी फसलों जैसे– फल, फूल, मसाले तथा सुगंधीय पौधो के नए फल बगीचों की स्थापना हेतु देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

1. फलः

अ. अधिक मूल्य वाली फसलें–पपीताः

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रीप सिचाई के एकीकरण बिना		ड्रीप सिचाई के पैकेज/एकीकरण सहित	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
पपीता	1.8X1.8	2777	61655	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक व पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।	120055	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 80000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।
	1.5X1.5	4444	88660		174060	

ब. सघन बागवानी फलोद्यान स्थापनाः

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रीप सिचाई के एकीकरण बिना		ड्रीप सिचाई के पैकेज/एकीकरण सहीत	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
आम	5X5	400	41000	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 40,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल एवं	74900	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 60,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप
	4X6	416	48720		82620	
	3X6	555	56975		90875	
	2.5X2.5	1600	112000		170400	
अमरूद	3X6	555	51650		110050	
	3X3	1111	73330		131730	

	1.5X3	2222	111660	उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।	170060	सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।
अनार	5X3	667	66680		100580	
	5X2.5	800	80000		139000	
	4.5X3	741	71640		105540	

स. सामान्य अन्तराल वाली फसलें:

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रीप सिचाई के एकीकरण बिना		ड्रीप सिचाई के पैकेज/एकीकरण सहित	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
आंवला	6X6	278	40008	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 30,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।	73908	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 40,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।
बेर	6X6	278	28340		62240	
संतरा, मोसम्बी नीम्बू	6X6	278	40008		73908	
अमरूद	6X6	278	38340		72240	
आम	10X10	100	25500		49000	
अनार	5X5	400	48000		81900	

उक्त समस्त सहायता अनुसुचित जन जाति क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जावेगी।

कृषक चयन:

1. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावें।

2. कृषकों के चयन में यथासम्भव पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाकर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किया जावे।
3. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
4. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई अपनाने पर सहमत हो।

अनुदान प्रक्रियाः

1. एक कृषक/लाभार्थी को न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हैक्टेयर रहेगी।
2. कृषक को परिशिष्ट–2 पर सलंग्न अनुसार चयनित फसल के नये बगीचे स्थापना/क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।
3. नये फल बगीचे स्थापना आवेदन–पत्र के साथ ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खुदवाये जाने होंगे।
5. गड्डे भरने में उपयोग आने वाले आदान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि स्वंय कृषक के स्तर से उपयोग किये जा सकेंगे। कृषक के स्तर से उपयोग नही करने पर निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काट कर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे । कृषक के स्वंय के स्तर से उपयोग करने पर शपथ–पत्र लिया जावेगा।
6. नये फल बगीचों स्थापना में कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) कृषक हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होगी। गोबर की खाद की दर 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम होगी, जिसकी वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर की जायेगी।
7. नये फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जावेंगे। जनजाति क्षेत्र के कृषको की छोटी जोत के मध्यनजर 0.4 हैक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र में बगीचे स्थापना पर बूंद–बूंद सिचाई संयत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।
8. ड्रिप संयंत्र की स्थापना बिना फल बगीचे स्थापना पर फलदार अनुदान उपलब्ध नही कराया जावेगा।
9. फलो में नीबूं के बीजू/टिश्यू कल्चर तकनिकी से उत्पादित पौधों के अलावा अन्य सभी फल बगीचे स्थापना में ग्राफटेड/कलमी पौध रोपण सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
10. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु परिवहन वं रोपण के समय मोर्टेलिटी के पेटे प्रति इकाई निर्धारित पौधों की सख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110%) उपलब्ध कराये जायेगें।
11. नये फल बगीचे स्थापना पर अनुदान फलवार इकाई लागत को आधार मानते हुये अनुदान राशि सीमा के अध्यधीन आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे किसान के खाते में किया जाकर कृषक को सूचना दी जावे।
12. द्वितिय व तृतीय वर्ष में गैप फिलिंग हेतु पौधे उपलबध कराकर क्रमशः 75% व 90% पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु भौतिक सत्यापन परिशिष्ट–3 के अनुसार यथासम्भव मई व जून माह में करवाया जावे।

13. हाई डेनसिटी प्लानटिंग में पौध रोपण के साथ कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में कृषक को तकनिकी जानकारी/प्रशिक्षण दिया जावे।
14. सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर नये फल बगीचों की स्थापना पर संबंधित विभाग, पंचायत द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा–निर्देशानुसार अनुदान देय होगा।
15. नये फल बगीचो की साइट पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
16. कृषक फल बगीचों की स्थापना हेतु राजहंस नर्सरीयों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स से उत्पादित पौधों को प्राथमिकता से लिया जावें एवं अनुपलब्धता की स्थिति में कृषि विश्वविद्यालय/सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा निजी एक्रिडेटेड नर्सरीयों प्राथमिकता से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा।
17. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना के लिये नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत किया गया है।**
    वर्तमान में देय अनुदान सीमा के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Topup subsidy) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय है।
    योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित कुल लक्ष्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

नोटः– जिला अधिकारियों को आवंटित फसलवार लक्ष्यों में आवश्यकता होने पर वे स्वयं के स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत चयनित फसलों में से किसी भी फसल के लक्ष्यों में वृद्धि कर कुल लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। फल बगीचों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि एक ब्लॉक में कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना की जावे। फसलवार परिवर्तित लक्ष्यों का स्वयं के स्तर पर निर्धारण कर इसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

II. मशरूम उत्पादनः

मशरूम की खेती को बढ़ावा देने हेतु मशरूम उत्पादन, स्पॉन व कम्पोस्ट इकाई हेतु निम्नानुसार अनुदान देये है।

कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय अनुदान राशि
मशरूम उत्पादन इकाई	20.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान।
स्पॉन बनाने की इकाई	15.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान।
कम्पोस्ट इकाई	20.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान।

1. निजी क्षेत्र में मशरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु आवश्यक मशीनरी व बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और इससे सबंधित उपकरणों व स्थापित की जाने वाली स्पॉन व कम्पोस्ट इकाईयो के विवरण सहित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू–स्वामित्व दस्तावेज व शपथ–पत्र के साथ प्रस्ताव जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के माध्यम से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. परियोजना प्रस्ताव की लागत की कुल का लगभग 50–75 प्रतिशत तक का बैंक ऋण (बैंक टर्म लोन) लेना अनिवार्य होगा। यह ऋण अनुदान राशि से अधिक होना चाहिये।
3. परियोजना प्रस्ताव के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा इकाई स्थापना का कार्य अधिकतम एक वर्ष अवधी में पूर्ण किया जाना होगा।
4. आवेदक द्वारा परियोजना में प्रस्तावित गतिविधीयों की प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण करके जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी/राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। आर.एच.डी.एस. द्वारा निर्धारित कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार अनुदान राशि जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
6. इकाई पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

III.फूलों के नये बगीचों की स्थापनाः

1. फूलो के नये क्षेत्र विस्तार हेतु कृषक को अधिकतम 2.0 हैक्टर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। कार्यक्रम आयोजन के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर. रहेगा। फसल एवं कृषक श्रेणीवार देय अनुदान निम्न प्रकार है–

फसल	अनुमानित लागत	कृषक वर्ग	देय अनुदान (रू. प्रति है.)
लूज फ्लावर (देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गैलार्डिया)	40,000 रू./है0	लघु और सीमांत	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 16,000/है.,
		अन्य किसान	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/है.,

2. चयनित कृषकों को फूलों की खेती में अपनाये जाने वाली शस्य क्रियाओं, फूलों के विपणन, रख–रखाव एवं उपयोग आदि की जानकारी के लिये तकनिकी साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. बीज/प्लान्टिंग मेटेरियल विभागीय सिफारिश के अनुसार राजहंस नर्सरीयों एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स से प्राथमिकता से लिया जावें एवं अनुपलब्धता की स्थिति में कृषि विश्वविद्यालय/सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा निजी एक्रिडेटेड नर्सरीयों प्राथमिकता से कय करने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि आदान सहकारी समितियों से उपलब्ध कराये जावें।
4. उर्वरक यथासम्भव कृषक के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार प्रयोग कराये जावें।
5. अनुदान राशि सर्वप्रथम पौध रोपण सामग्री व राशि शेष रहने पर अन्य आदानों पर उपलब्ध करायी जावें।
6. कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) व वर्मी कम्पोस्ट दर की गणना कमशः 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम व 1.50 रूपये प्रति किलो से की जावे।
7. नये स्थापित फूलों के बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

IV.मसाला फसलों का नया क्षेत्र विस्तारः

अनुदान प्रक्रियाः

1. मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार जहां गत वर्ष खेती नही की गयी हो, पर करवायी जावें।
2. कृषकों को फसल विशेष के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. एक कृषक को न्यूनतम 0.50 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक मसाला फसलों के नये क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।
4. कृषकों को आदानों की कुल लागत 13750/– रूपये का 40 प्रतिशत अधिकतम 5500/– रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। बीज, समन्वित पोषक तत्व/कीट व्याधि प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत पर अनुदान देय होगा।

आदान व्यवस्थाः

1. बीज/कन्द एवं Prophylatic Measures के रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका प्रदर्शन किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
4. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
5. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जावें (परिशिष्ट–4)।

5. पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार (Rejuvenation of senile orchards):

फल बगीचों में जीर्ण व पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टाक को पुनः रोपित करके उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20000/- रूपये प्रति हैक्टेयर, एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान देय है ।

अनुदान प्रक्रियाः

1. कार्यक्रम अर्न्तगत ऐसे फल बगीचे जिनमें पर्याप्त पोषण के अभाव अथवा कीट-व्याधि के प्रकोप के कारण उत्पादकता कम हो गयी या पौधों की संख्या कम है, का जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन किया जायेगा।
2. सर्वप्रथम ऐसे बगीचे जिनकी उत्पादकता कम हो गयी है का चिन्हीकरण किया जावेगा।
3. बगीचों में वांछित वृक्ष सघनता, संख्या, पर्याप्त पोषण, शस्य क्रिया प्रबंधन एवं उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिये फल बगीचों की जीर्णता/कम उत्पादकता के आधार पर निर्णय किया जाकर जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ।
4. जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन हेतु पुराने बगीचों को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाने के लिये निम्न कार्य करवाये जा सकेंगे:-
    - पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये पौध रोपण सामग्री।
    - पुराने वृक्षों की कटाई छंटाई एवं शस्य क्रियाओं को अपनाने के लिए।
    - उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं वृद्धि नियामक हारमोंस आदि।
    - पौध संरक्षण रसायन-रासायनिक एवं जैविक कीटनाशी, फफूंदनाशी।
    - कटाई छटाई एवं शस्य क्रियाओं के लिये उद्यानिकी टूल्स।
5. पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य आदान कृषकों को क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. अनुदान की गणना के लिये बगीचे में किये जाने वाले सभी कार्यों का आंकलन करके उन पर व्यय होने वाली राशि व श्रम की राशि (प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित) तय की जावें। इसमें मजदूरी व आदानों की खरीद दोनों सम्मिलित की जा सकेगी।
7. कृषक द्वारा किये गये कार्यों के पेटे श्रम की राशि व गोबर की खाद की राशि को कृषक हिस्सा राशि मानते हुये अन्य आदान कृषक द्वारा सहकारी संस्थाओं से क्रय करके बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान राशी RTGS }kjk कृषक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जावें। जीर्णोद्वार कार्यों के अनुसार कृषकों को अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन किश्तों में विभक्त किया जा सकेगा।
8. फलदार पौधे व बगीचे की आवश्यकता के अनुरूप कार्यों का शिड्यूल बनाकर कृषकों से कार्य पूर्ण करवाते हुये प्रमाणीकरण उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जावें।
9. जीर्णोद्वार किये गये फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

6. जलस्रोतों का विकास (Creation of water resources):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत बागवानी फसलों को जीवन रक्षक सिचाई (Life saving Irrigation) सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के साथ ऑन फार्म पॉण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के माध्यम से जलस्रोत विकास पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

अ. सामूदायिक जल स्त्रोतों का विकासः

कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3मीटर साईज के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्धारित BISमापदण्ड की न्यूनतम 500 माईक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आर.सी.सी लाइनिगं से निर्माण पर इकाई लागत 20.00 लाख रूपये प्रति इकाई का शत प्रतिशत या अन्य छोटी साइज (न्युनतम 50X50X3मीटर तक) के जल स्त्रोत निर्माण पर कमान्ड क्षेत्र के अनुसार यथाअनुपात (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। (कृषक समूह के द्वारा स्वामित्व तथा मैनेजेज्ड)

ब. एकल जल स्त्रोत/फार्म पॉण्डः

एकल कृषक द्वारा दो हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र के लिये 20 मीटर लम्बाई, 20 मीटर चौडाई व 3 मीटर गहराई आकार केफार्म पॉण्ड/Dug well BIS मापदण्ड अनुसार 300 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आरसीसी लाईनिंग से निर्माण पर इकाई लागत 1.50 लाख रूपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रूपये अनुदान देय है। इससे छोटे आकार के पॉण्ड/टैंक के लिये कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर यथाअनुपात आधारित (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। जलस्रोत के साज–संभाल की जिम्मेवारी सम्बंधित कृषक की रहेगी।

जलस्रोत चयन प्रक्रियाः

1. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक समूह के पास एक स्थान पर 10 हैक्टर तथा एकल कृषक के लिये कृषक के पास दो हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक होगा। कृषक समूह के पास एक स्थान पर इससे कम भूमि होने पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जल स्त्रोत का निर्माण कर सकेगा एंव आनुपातिक रूप से जल स्त्रोत का आकार भी कम किया जाकर कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
2. कृषक समूह के जलस्रोत निर्माण के लिये न्यूनतम कृषक संख्या कम से कम 3 रहेगी। इसके साथ ही जहां तक संयुक्त खातेदार का प्रश्न है पत्नी को समूह का सदस्य नहीं माना गया है। ऐसे में जमाबन्दी में पति व पत्नी दोनों का नाम दर्ज होने की स्थिति में दोनों में से एक को सदस्य मानते हुये जमाबन्दी के संयुक्त खाते में उल्लेखित पुत्र, पुत्री, भाई जो अलग परिवार के रूप में निवास कर रहे है उन्हें समूह का सदस्य माना जायेगा।
3. एकल कृषक/कृषक समूह के कृषको को भू–स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबन्दी (6 माह से पुरानी नहीं) व नक्शा ट्रेश आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करने होंगे।
4. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक/कृषक समूह को उनके भू–स्वामित्व के हिस्से की भूमि उपलब्ध करानी होगी।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लिए 4 हैक्टर क्षेत्र अनुसार यथानुपात सूक्ष्म सिचांई विधियों के साथ

उद्यानिकी फसलों की खेती का अनुबंध किया जावें व इस हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी में अग्रिम जमा की जावें।

6. कृषक समूह द्वारा जमीन के रकबे के हिसाब से जलस्रोत में पानी की हिस्सेदारी रखने व रख–रखाव/मरम्मत की करवाने की सहमती का शपथ–पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।
7. जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो में से वर्षा जल की आवक के अनुसार उपयुक्त साईट्स का चयन सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक उद्यान सम्भाग की अध्यक्षता की तीन सदस्यीय कमेटी जिसमें सदस्य सचिव सम्बंधित जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक कृषि अभियंता सम्मिलित होंगें के द्वारा किया जावेगा।
8. व्यक्तिगत जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये उपयुक्त साईट्स का चयन सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी की कमेटी द्वारा किया जावेगा।
9. कमेटी द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त जलस्रोत निर्माण आवेदन पत्रो की मौका स्थिति व इसके लिये आवश्यक दस्तावेज देखे जाकर पानी की आवक के आधार पर चयन की सिफारिश की जावेगी।
10. एकल व सामूहिक जल स्त्रोत निर्माण में निर्धारित बी.आई.एस. मापदण्ड अनुसार कमशः 300 माइक्रोन व 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म इस संदर्भ में जारी निर्देशानुसार उपयोग करायी जावे।
11. कृषक समूह/कृषक द्वारा प्लास्टिक फिल्म के साथ जल स्त्रोत निर्माण पर अनुदान का भुगतान निम्नानुसार तीन किश्तो में किया जावेः–

कार्य	सहायता
जल स्त्रोत की खुदाई पूरी होने पर	20 प्रतिशत
प्लास्टिक शीट बिछावन पूर्ण होने पर	50 प्रतिशत
जल स्त्रोत का कार्य पूर्ण होने व अन्तिम भौतिक सत्यापन पश्चात	30 प्रतिशत

12. आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत कीं अनुदान राशि का भुगतान निम्नानुसार 5 किस्तों में किया जावेः–

क्र.सं.	कार्य	सहायता
1	नींव (Foundation) में निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार फर्श का कार्य पूर्ण करने पर	30 प्रतिशत
2	जलस्रोत की चार में से एक साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
3	जलस्रोत की चार में से दूसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
4	जलस्रोत की चार में से तीसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
5	जलस्रोत की चार में से चौथी व अन्तिम साईड एवं जलस्रोत के चारों तरफ पैरापेट वाल पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट /पत्थर सीमेन्ट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	25 प्रतिशत

13. यदि कृषक/कृषक समूह द्वारा एक से अधिक किस्त का कार्य पूर्ण कर लिया हो तो उसे कार्य के अनुसार भुगतान किया जावे।
14. कृषक समूह द्वारा शपथ–पत्र में दी गयी सहमति की अवेहलना करने पर राज्य सरकार के नियमानुसार जलस्रोत पर व्यय की गयी राशि वसूल की जा सकेगी।
15. जल संग्रहण ढांचे मे एकत्रित वर्षा के पानी का ड्रिप, फव्वारा आदि जल बचत के साधनो के माध्यम से सदुपयोग सुनिश्चित किया जावें।
16. जलस्रोत निर्माण में जहां संभव हो मनरेगा के साथ कन्वरजेन्स सुनिश्चित कर कियान्वित किया जा सकेगा।

जलस्रोतनिर्माण

1. जलस्रोत ढांचे का निमार्ण संबन्धित जिलाधिकारी एवं सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्धारित तकमीने के अनुसार निर्धारित मापदण्ड (परिशिष्ट–5) अनुसार कृषक/कृषक समूह के स्वंय के द्वारा करवाया जावें।
2. जल स्त्रोत निर्माण के पर्यवेक्षण व माप का कार्य इस हेतु जारी निर्देशानुसार अभियन्ताओ के द्वारा करवाया जावे।
3. जल स्त्रोत निर्माण के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, सम्बन्धित सम्भाग के द्वारा किया जावे।
4. जलस्रोत निर्माण मे प्रयुक्त की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार व उसके सही ढंग से बिछावन का विशेष ध्यान रखा जावें। इसके साथ ही प्रयोग की गयी पॉलीथीन शीट्स का नमूना जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा जावें। निर्माणकर्ता फर्म द्वारा पॉलीथीन शीट्स बिछाने से पहले कार्य की लागत राशि की नियमानुसार परफॉरमेन्स गारन्टी सम्बन्धित जिला कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। उक्त परफोरमेन्स गारन्टी प्राप्त किये बिना जिला अधिकारी द्वारा अनुदान राशि का भुगतान कृषक समूह/एमपेनल्ड फर्म/एमपेनल्ड फर्म द्वारा अधिक्रत डीलर को नही किया जावें।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण की स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक मापदण्ड/प्रक्रिया से अवगत कराने के एक माह के भीतर कार्य शुरू करने की अनिवार्यता रहेगी। इस अवधि में कार्य शुरू नहीं करने पर 15 दिन का समय देकर चयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अमल में लायी जायेगी।
6. जलस्रोत निर्माण के लिये अधिकतम अवधि 4 माह निर्धारित की जावे ताकि निर्धारित वित्तीय वर्ष में जलस्रोत का निर्माण पूर्ण करवाया जाकर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
7. आर.सी.सी लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत निर्माण कार्य की कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एम.बी. भरकर संबंधित हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अनुदान राशि भुगतान हेतु प्रस्तुत की जावेगी। जलस्रोत का निमार्ण पूर्ण होने पर सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, संभाग, सदस्य सचिव सम्बंधित जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक अभियंता कृषि की तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावें। सम्बन्धित जिला कलक्टर या निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरान्त अधिकतम 7 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कृषक समूह/अनुबंधित फर्म के बैंक खाते में केवल RTGS के माध्यम से किया जावे।

8. भौतिक सत्यापन के उपरांत जलस्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण पाये जाने पर कमेटी द्वारा की गयी रिपोर्ट के बाद अनुदान राशि की अंतिंम किश्त का भुगतान किया जावे।
9. सामुदायिक जल स्त्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण होने व निर्धारित कमेटी द्वारा इसका भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरान्त जिला अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर या निदेशक उद्यान से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा प्लास्टिक शीट फर्म से पूर्ण कीमत का भुगतान कर क्रय की जाती है तो उक्त अनुदान राशि का भुगतान कृषक के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा उधार में प्लास्टिक शीट फर्म से प्राप्त की जाती है तो कृषक की लिखित अभिशंषा पर उक्त अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/निर्माता को किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान निर्माता/अनुबंधित फर्म द्वारा अधिकृत डीलर (जिसके द्वारा बिल जारी किये गये है) को किया जावेगा लेकिन इसके लिये यह आवश्यक होगा कि निर्माता/ अनुबंधित फर्म द्वारा अधिकृत डीलर के माध्यम से जारी प्रत्येक बिल पर लिखित में इसकी अभिशंषा की जावें।
10. अनुबंधित फर्म द्वारा यदि किसी जिले में अधिकृत डीलर की नियुक्तिकी जाती है तो उक्त अधिकृत डीलर से जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा अनुबंधित फर्म/निर्माता कम्पनी का नियुक्ति पत्र, फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र, पहचान पत्र, आधार, पी.ए.एन. आदि प्राप्त कर उक्त डीलर का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु जिलाधिकरी द्वारा रूपयें 10 लाख सिक्योरिटी राशि के रूप में डीलर से जमा कराये जायेगें।
11. व्यक्तिगत जल स्त्रोत का निर्माण के पूर्ण होने पर सदस्य सचिव, जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
12. जलस्रोत ढांचें के चारो तरफ ढाई से तीन फीट ऊंचाई की बण्ड/दीवार/फेन्सिंग जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाई जावें।
13. जलस्रोत पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।
14. कृषक द्वारा पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान ले रखा है एवं उघान विभाग द्वारा सामुदायिक जल स्त्रोत का निर्माण करवाना चाहता है तो उस कृषक समूह को कृषि विभाग से देय अनुदान राशि को घटाकर शेष अनुदान दिया जा सकता है।

7.संरक्षित कृषि (Protected Cultivation)

कृषि जलवायुवीय कारक–तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु ग्रीन हाऊस, शैडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल्स, एन्टी बर्ड नेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

(क) ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस स्थापनाः

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2022–23 में 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Topup subsidy) राज्य योजना मद से देय है। **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना के लिये ग्रीनहाउस/शेडनेट हाउस में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति श्रेणी के कृषको को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त श्रेणी के कृषकों को अतिरिक्त अनुदान (Topup subsidy) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मद से देय है।**

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण हेतु 85 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषको को लाभान्वित किया जाना है।

कार्यक्रम	आकार (वर्ग मीटर में)	इकाई लागत (राशि रुपये प्रति वर्गमीटर)
ग्रीन हाऊस		
प्राकृतिक वातावरण युक्त संरचना– ट्युबुलर संरचना	(i) 500	1060
	(ii) >500-1008	935
	(iii) >1008-2080	890
	(iv) >2080-4000	844
शेडनेट हाऊस		
ट्युबुलरसंरचना	(i) 1000-4000	710

इस निर्धारित इकाई लागत में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्तो अनुसार सूक्ष्म सिचाई व अन्य सुविधाओ के साथ ग्रीन हाउस (पॉली हाउस) एवं शेडनेट हाऊस निर्माण विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से करवाये जाने पर अनुदान देय है।

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस मय सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सुविधायें की लागत सम्मिलित है। राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्ते परिशिष्ट–6 पर संलग्न है।

अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक/संस्था/कम्पनी जो ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जायेगा ।

2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।
3. ग्रीन हाऊस (पाली हाउस)/शेडनेट हाऊस का निर्माण राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा अनुबंधित फर्मो से इस हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाये जाने पर अनुदान देय होगा।
4. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाने वाले कृषक/लाभार्थी को बैंक से ऋण लेने की बाध्यता नहीं रहेगी।
5. कृषक को बैंक ऋण की आवश्यकता होने की स्थिति में उप/सहायक निदेशक उद्यान के स्तर से एलओआई जारी की जायेगी। बैंक द्वारा ग्रीन हाऊस निर्माण लागत मे से कृषक हिस्सा राशि की सीमा तक ऋण दिया जायेगा।
6. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की कृषक हिस्सा राशि संबंधित जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को जमा कराई जायेगी, जिसका भुगतान अनुबंधित फर्म/निर्माता फर्म को उक्त आइटम से सम्बन्धित पूर्ण सामग्री कृषक के खेत पर पंहुचाये जाने के 07 दिवस में कृषक की लिखित अभिशंसा/पुष्टि उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कृषक जिस फर्म से निर्माण कराना चाहता है उसकी सहमति जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगा।
7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भू–स्वामित्व दस्तावेज, लघु/सीमान्त प्रमाण–पत्र, मिट्टी व पानी जांच रिपोर्ट एवं अनुबंधित फर्म के लागत कॉटेशन के साथ ऑन लाइन आवेदन करना होगा। जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्य आदेश जारी किया जायेगा। जिला कार्यालय में सम्बन्धित कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा निर्माणकर्ता फर्म को लिखित में सूचित किया जावेगा। सूचित करने के 10 दिवस में निर्माणकर्ता फर्म द्वारा कार्य आदेश जारी होने से पहले कार्य की लागत राशि की नियमानुसार परफॉरमेन्स गारन्टी सम्बन्धित जिला कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
8. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना के उपरांत अधिकतम 7 दिवस में भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
9. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुंक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट संतोषप्रद होने एवं उक्त आईटम निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर जिला अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर/निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरान्त अधिकतम 7 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित कृषक/निर्माता अनुबंधित फर्म को किया जायेगा।
10. अनुदान का भुगतान लाभार्थी की लिखित सहमति के आधार पर ग्रीन हाऊस निर्माण करने वाली कम्पनी को किया जा सकेगा।
11. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान/कृषि) कृषक से निरन्तर सम्पर्क में रहकर यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो समाधान किया जायेगा।

12. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण प्रक्रियाः

1. आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगाः-
    - भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
    - नक्शा ट्रेश
    - मिट्टी एवं पानी की जांच रिर्पोट।
    - ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउसनिर्माण लागत ऐम्पेनल फर्म कोटेशन/इनवाइस।
    - लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो
2. प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने के पश्चात् सम्बंधित फर्म द्वारा अधिकतम 30 दिवस में ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री साइट पर आपूर्ति की जाकर जिला कार्यालय व कृषक को अवगत कराया जायेगा।
3. जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में मौके पर जाकर ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री की निर्माण पूर्व मापदण्ड अनुसार होने की जांच की जायेगी।
4. फर्म द्वारा 30 दिवस तक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर आपूर्ति नहीं करने पर जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश निरस्त किया जाकर कृषक की सहमति से अन्य फर्म की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जावेगा।
5. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 90 दिवस में पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में सूचित करना होगा। निर्धारित अवधी मे कार्य पूर्ण नही होने पर जिला अधिकारी द्वारा सम्बधित निर्माणकर्ता फर्म के विरूद्व सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत शास्ति (Penalty) लगायी जावेगी।
6. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा।
7. भौतिक सत्यापन के समय ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस पूर्ण रूप से निर्मित हो उसमें आधुनिक सिंचाई पद्धति व निर्धारित मापदण्ड अनुसार अन्य सभी सुविधायें विकसित करने पर कमेटी रिर्पोट के अध्यधीन अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुंक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उक्त का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट संतोषप्रद होने एवं उक्त आईटम निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर जिला अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर/निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरान्त अधिकतम 7 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित कृषक/निर्माता अनुबंधित फर्म को किया जायेगा।

(ख) प्लास्टिक मल्चिंग:
उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक मल्च की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 16000/- प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना के लिये लघु/सीमान्त किसानों के लिए प्लास्टिक मल्चिंग हेतु प्रति हैक्टेयर यूनिट लागत राशि रुपये 32000/- का 50 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 16000/- प्रति हैक्टेयर को बढाकर 75 प्रतिशत प्रति हैक्टेयर अनुदान राशि रुपये 24000/- किया गया है। लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों को अतिरिक्त अनुदान (Topup subsidy) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मद से देय है। 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषको को लाभान्वित किया जाना है।** सर्वप्रथम उक्त योजना का लाभ उन कृषकों को दिया जायेगा जिनको पूर्व मे लाभान्वित नही किया गया है। उक्त योजना का लाभ वर्ष 2021-22 में लाभान्वित कृषकों को नही दिया जायेगा।

कृषक द्वारा इस हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से बागवानी फसलो में प्लास्टीक मल्च उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मल्च शीट की लागत 32000/-रूपये प्रति हेक्टर या अनुबंधित फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ठ 7 पर संलग्न है।

(ग) प्लास्टिक टनल:
उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक द्वारा इस हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से बागवानी फसलो में लॉ-टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत 60/-रूपये प्रति वर्गमीटर या अनुबंधित फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1000 वर्गमीटर हेतु अनुदान देय है। **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना के लिये उक्त कार्यक्रम में लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों को अनुदान सीमा प्रति कृषक 1000 वर्गमीटर से बढाकर 4000 वर्गमीटर एवं अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत किया गया है। लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों को अतिरिक्त अनुदान (Topup subsidy) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मद से देय है। 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषको को लाभान्वित किया जाना है।**

सर्वप्रथम उक्त योजना का लाभ उन कृषकों को दिया जायेगा जिनको पूर्व मे लाभान्वित नही किया गया है। उक्त योजना का लाभ वर्ष 2021-22 में लाभान्वित कृषकों को नही दिया जायेगा। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ठ 8 पर संलग्न है।

(घ) एन्टी बर्ड नेट:
उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान को कम करके उत्पादकता बढाये जाने हेतु एन्टी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक को इस हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मस से बागवानी फसलो में एन्टी बर्ड नेट का उपयोग करने पर अनुमानित लागत

35/–रूपये प्रति वर्गमीटर का अधिकतम 50 प्रतिशत की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 5000 वर्ग मीटर तक के लिये अनुदान देय है।

प्लास्टिक मल्च, लॉ–टनल, एन्टी बर्ड नेट अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
2. एन्टी बर्ड नेट की स्थापना से पूर्व कृषक के पास स्वयं का फल बगीचा होना चाहिये जिस पर वह एन्टी बर्ड नेट लगाना चाहता है।
3. आवेदक को एन्टी बर्ड नेट व प्लास्टिक टनल हेतु आवश्यक ढांचा अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से तैयार करना होगा जो कि स्थायी प्रकृति का होगा।
4. जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/लॉ–टनल टनल लगवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
5. कार्य पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के उपरान्त जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त एन्टी बर्ड नेट अनुदान राशि कृषक के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी या कृषक सहमति पत्र होने की दशा में अनुदान राशि सीधे अनुबंधित फर्म को दी जा सकेगी। प्लास्टिक मल्च एवं लो–टनल की अनुदान राशि DBT प्रकिया द्वारा कृषक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जावेगी।

(ड) संरक्षित खेती कार्यकम अन्तर्गत ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस एवं फूलों की रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदानः

1. संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रीन हाउस (पॉली हाउस)व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस तथा गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम फूलों की खेती करने वाले कृषकों को रोपण सामग्री व कास्त की निर्धारित कुल सांकेतिक लागत का योजना प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा पत्रांक F. No. 18-33/ 2014-NHM दिनांक 28.08.2014 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के एनेक्सर V के अनुसार देय होगा। इस सबंध में फसलों की सांकेतिक लागत परिशिष्ट–9 व 10 पर संलग्न है ।
2. कृषक/लाभार्थी को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत हाई वैल्यू वेजिटेबलस व फूलों की रोपण सामग्री व काश्त हेतु निर्धारित अधिकतम अनुमानित लागत (हाई वैल्यू वेजिटेबलस 140 रूपये प्रति वर्ग मीटर, कार्नेशन व जरबेरा 610 रूपये प्रति वर्ग मीटर एवं गुलाब व लिलियम 426 रूपये प्रति वर्ग मीटर) के अध्यधीन इस हेतु निर्धारित सांकेतिक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए अनुदान देय होगा।
3. इच्छुक कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों में से इस लागत के 50 प्रतिशत राशि के आदानों पर अनुदान देय होगा एवं शेष आदानों की लागत स्वयं कृषक/लाभार्थी को वहन करनी होगी। सांकेतिक लागत में पौध रोपण सामग्री की लागत फसल/किस्म विशेष के लिए फर्म्स की दर के अनुसार परिवर्तनीय होगी।
4. कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित रोपण सामग्री में हाई वैल्यू वैजिटेबलस के तहत सीडलेस खीरे व खरबूजे की पौध रौपण सामग्री उद्यान

निदेशालय स्तर से जारी पत्रांक 4106–48 दिनांक 11.10.2018 के अनुसार (परिशिष्ट–11) एवं अन्य रोपण सामग्री कृषि विश्वविद्यालय/सम्बद्व कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/राजहन्स नर्सरी/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/ राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था से क्रय कर खेती करता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से पौध रोपण सामग्री लिये जाने पर योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगा। रासायनिक उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन सहकारी समितियों से क्रय कर बिल प्रस्तुत करने होगें तथा गोबर की खाद्य, मानव श्रम व सांकेतिक लागत में उल्लेखित अन्य सभी सहायक कार्य स्वयं कृषक के स्तर से किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. इच्छुक कृषक/लाभार्थी द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक कृषक/लाभार्थी के आवेदन अनुसार ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस निर्माण क्षेत्रफल की जांच उपरान्त जिला कार्यालय द्वारा योजना दिशा–निर्देशानुसार रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
7. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कृषक/लाभार्थी को रोपण सामग्री पर सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर जिला कार्यालय स्तर से उप/सहायक निदेशक व कृषि अधिकारी एवं स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक की कमेटी द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुदान देय होगा। रोपण सामग्री की अनुदान राशि कृषक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी।
8. कृषक/लाभार्थी के द्वारा रोपण सामग्री क्रय करके ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में रोपण उपरान्त सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर ही आवेदक को योजना प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा।
9. कमेटी द्वारा कृषक/लाभार्थी के यहां आपूर्ति की गई पौध रोपण सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता तथा उपयोग में लिए गये आदानों का सत्यापन किया जावेगा।
10. सत्यापन कमेटी में उल्लेखित कार्मिकों में से किसी पद के रिक्त होने/पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में कृषि विभाग में कार्यरत उसके समकक्ष पद के अधिकारी/कार्मिक को कमेटी में सम्मिलित किया जावेगा।
11. एक कृषक/लाभार्थी ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस के क्षेत्रफल की सीमा तक हाई वैल्यू वैजिटेबलस की पौध रोपण सामग्री व काश्त पर एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा तथा जरबैरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की रोपण सामग्री व काश्त के लिए बहुवर्षी फसल अवधि के लिए एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा।
12. राज्य की कृषि जलवायु स्थिति के अनुसार पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता, True to type अनुवांशिकता व उपयुक्तता के लिए आपूर्तिकर्ता संस्था जिम्मेदार होगी।

13. योजना कार्यक्रम अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में खेती किये जाने वाली किस्मों की ही रोपण सामग्री आपूर्ति की जावेगी।
14. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती की पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज फसल/किस्म विशेष के अनुसार आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराई जावेगी।
15. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती करने वाले कृषकों को विभाग के स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा नियमित रूप से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी एवं इसकी मासिक रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
16. जिला कार्यालय द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस की पौध रोपण सामग्री व काश्त हेतु अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों का पूर्ण रिकार्ड संधारित करके रखा जावेगा।
17. विभागीय दिशा–निर्देशानुसार अनुदान से निर्मित ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस में ही हाई वैल्यू सब्जियों की रोपण सामग्री व कास्त पर अनुदान देय होगा।

8.समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबधंन को बढ़ावा देना (IPM/INM):

समन्वित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम)/समन्वित कीट प्रबंध (आई.पी.एम) को बढावा देने हेतु लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1200/— रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति लाभार्थी 4 हैक्टेयर तक अनुदान देय है ।

अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक समन्वित कीट प्रबन्ध व समन्वित पौषक तत्व प्रबन्ध हेतु अनुदान का पात्र है किन्तु एक कृषक को अधिकतम 1200 रूपये प्रति हेक्टेयर से अधिक अनुदान देय नहीं होगा।
2. उद्यानिकी फसलों की आई.पी.एम. सिफारिशें एवं सांकेतिक लागत मोड्यूल परिशिष्ट 12 एवं परिशिष्ट 13 अनुसार कार्यक्रम का कियान्वयन किया जाना है। इसके अलावा इस हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता आधारित आई.पी.एम. मोड्यूल कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/विभागीय ग्राह्य परीक्षण केन्द्र के वैज्ञानिकों की सिफारिश क्रियान्वित किये जा सकेगें।
3. आई.पी.एम. मोड्यूल में बायोपेस्टीसाईडस जैसे बेसीलस थुरिन्जेन्सिस, एन.पी.वी., ट्राईकोकार्ड्स, ट्राईकोडरमा, नीम आधारित कीटनाशी, फिरोमोन ट्रेप, लाईट ट्रेप आदि पर अनुदान दिया जा सकेगा।
4. कार्यक्रम में बायोपेस्टीसाईड से कीट प्रबन्ध नहीं होने की स्थिति में ही कीटनाशी रसायनों को अंतिम विकल्प के रूप में काम में लिया जावे। जिलाधिकारी राजकीय/सहकारी संस्थाओ के स्तर पर समयबद्ध आदान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित की जावे, ताकि कृषक वहां से आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सके। कृषक को अनुदान राशि का आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।
5. कृषक द्वारा अपना अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर सीधे आदान प्राप्त करक आवेदन करने पर अनुदान का भुगतान आपूर्ति संस्था को किया जावेगा। कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिए कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा परमिट काटा जावेगा (परिशिष्ट—4)।
6. निर्धारित भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वित्तीय बचत की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाकर वित्तीय लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जावें।

9.जैविक खेती (Organic Farming):

जैविक विधी से उत्पादित खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग को दृष्टिगत बागवानी फसलों में जैविक खेती को बढावा देने हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/-रूपये प्रति हैक्टेयर प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक तीन वर्षो में 40:30:30 के अनुपात में अनुदान देय। (प्रथम वर्ष में 4000/- रूपये एवं द्वितिय व तृतिय वर्ष में 3000/- रूपये) कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़ा है। जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु 50 हैक्टेयर के कल्स्टर के लिये 5.00 लाख रूपये जो कि प्रथम वर्ष में 1.50 रूपये द्वितीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये एवं तृतीय वर्ष में 2.00 लाख रुपये अनुदान देय है ।

कृषक चयनः

1. कृषक के पास स्वयं की भूमि (कम से कम एक हैक्टेयर), पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पद्धार्थ की उपलब्धता हो।
2. कृषक लगातार तीन वर्ष तक चयनित खेत में जैविक विधि से फसल उत्पादन लेने पर सहमत हो।
3. कृषक जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिये प्रमाणीकरण संस्था से जुड़ने के लिये सहमत हो।
4. कृषक जैविक खेती के लिए चयनित खेत में फसल चक्र की सभी फसलों को जैविक कृषि क्रियाओं के आधार पर लेने पर सहमत हो।
5. जैविक खेती कार्यक्रम में जैविक गांव व जैविक खेती से जुड़े कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

1. जैविक खेती कार्यक्रम 50 हैक्टेयर क्षेत्र के कृषक समूह में लिया जाना होगा।
   - जैविक खेती अपनाने पर जैविक आदानों की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक तीन वर्षो में 40:30:30 के अनुपात में निम्नानुसार अनुदान देय।प्रथम किश्त– प्रथम वर्ष में 4000रूपये प्रति हैक्टेयर
   - द्वितीय किश्त– दूसरे वर्ष में 3000 रूपये प्रति हैक्टेयर
   - तीसरी किश्त– तीसरे वर्ष में 3000 रूपये प्रति हैक्टेयर
2. कृषकों को जैविक आदान अनुदान का भुगतान जैविक खेती प्रमाणीकरण हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संस्था से जुडने व जैविक कृषि क्रियायें अपनाये जाने के सत्यापन के बाद किया जायेगा ।
3. कृषकों को अनुदान किश्त का भुगतान एक मुश्त RTGS के माध्यम से किया जायेगा। कृषक के लिये आदानों के बिलों की कोई बाध्यता नहीं होगी।
4. जैविक खेती लिये जा रहे खेत के चारों तरफ बफ्र जोन रखा जाना होगा ।
5. जैविक खेती प्रक्रिया अपनाये जाने के तीन वर्ष पश्चात् फसल उत्पाद जैविक श्रेणी में आता है। इस हेतु कृषक से तीन वर्ष तक लगातार जैविक कृषि विधिया अपनाये जाने का अनुबंध किया जावें (परिशिष्ट 14)।
6. जैविक खेती में आदान के रूप में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जायेगा। जैविक खेती हेतु चयनित क्षेत्र में सिंथेटिक/रासायनिक आदान का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

7. जैविक खेती में काम में लिये जा सकने वाले सांकेतिक आदान निम्नानुसार है–
वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट/गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद, नीम केक, जिप्सम, नीम आधारित प्रिपरेशन्स, बीटी/एनपीवी, बायो एजेन्ट्स, ट्राइकोडर्मा, मल्चिंग (प्राकृतिक स्रोत से), रॉक फास्फेट, फेरोमेंन ट्रेप्स, प्रकाश पॉश, एल्गल प्रिपरेशन्स (नील हरित शैवाल), लाइम सल्फर, वनस्पति आधारित रिपेलेन्ट्स, वनस्पति एवं एनिमल आयल्स, बोयोडायनेमिक प्रिपरेशन्स, कापर साल्ट आदि।
8. जहां तक संभव हो कृषक को खेत पर (On farm) जैविक आदान तैयार किये जाकर उपयोग प्रयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जावे ।

नोटः–1.उक्त आदान सांकेतिक है यदि इन आदानों के अलावा अन्य कोई जैविक आदान उपयुक्त है तो काम में लिये जा सकते है, लेकिन वे जैविक प्रकृति के होने आवश्यक होंगे।

2. जैविक खेती कार्यक्रम स्थल पर बोर्ड लगाकर अपनाई जा रही कृषि क्रियाओं का विवरण दर्शाया जावें।

10.वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना :

जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/– रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12फीटx4फीटx2फीट आकार) IS 15907:2010 स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000–/ रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है ।

कृषक चयनः

1. जैविक आदान उत्पादन हेतु जैविक खेती के लिये चयनित कृषक/क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर स्वयं की भूमि पर बागवानी फसलों की खेती किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता हो ।

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादनः

1. वर्मी कम्पोस्टइकाई की स्थापना के लिये 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापनापर अनुदान देय होगा ।
2. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावें।
3. पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे से 8 फिट हो।
4. एक इकाई के लिये कम से कम 60 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
5. केचुएं एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावें।
6. प्रत्येक बेड में 400–400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं 1.0 किलोग्राम नीम की खल प्रयोग में ली जावें।
7. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे– कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा, झारा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावें।
8. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान जारी किया जावें।
9. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जावें।
10. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 100 रूपये के स्टाम्प पर का शपथ–पत्र लिया जावें।
11. अनुदानित इकाई स्थल पर स्थाई रूप से कृषक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं अनुदानित वर्ष अंकित कराया जावें। कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावें।

(ख) एच.डी.पी.ई वर्मी बेडः

1. एच.डी.पी.ईवर्मी बेड (IS15907:2010) का आकार 12 फुट लम्बाई व 4 फुट चौड़ाई एवं 2 फीट गहरा होना चाहिये।

2. वर्मी बेड के उपर छाया की व्यवस्था की जावेगी।
3. वर्मी बेड एक इकाई के लिये 10 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
4. कृषक द्वारा निर्धारित साइज व IS15907:2010 की वर्मी बेड लिये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में आवश्यक रूप से कियाजावे।
5. प्रत्येक कृषक को वर्मी कम्पोस्ट इकाई/एच.डी.पी.ई वर्मी बेड में जैविक आदान उत्पादन की तकनिकी जानकारी दी जावे।

11.मधुमक्खी पालन (Bee-Keeping):

मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों से मघुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत 2000 रूपये पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बॉक्स अनुदान देय है।

कॉलोनी एवं बॉक्स व्यवस्थाः

मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावें–

वांछित कार्यवाही	मधुमक्खी कॉलोनी	मधुमक्खी पालन बॉक्स
स्पेसिफिकेशन	एक मधुमक्खी कॉलोनी में लकड़ी के बने हुए आठ फ्रेम होते है जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते है। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिए तथा फ्रेम में शहद भी हो।	एक मधुमक्खी पालन बॉक्स में 20 फ्रेम (खाली) होते हैं जो कि डबल स्टोरी होता है। इसके नीचे के खण को ब्रूड व ऊपर के खण को हनी चैम्बर कहते हैं। दोनों में 10–10 फ्रेम लगे होते है। हनी चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मधुमक्खी पालन बॉक्स के स्पेशिफिकेशन IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार सुनिश्चित किये जावे।
केटेगिरी एवं सीमा	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/ मधुमक्खी पालको को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी तक अनुदान दिया जा सकता है।	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/ मधुमक्खी पालक को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बॉक्स तक अनुदान दिया जा सकता है।
विभागीय अनुदान	कॉलोनी के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।	मधुमक्खी पालन बॉक्स के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
कॉलोनी बॉक्स व्यवस्था	कॉलोनी की व्यवस्था करने के लिये संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स (बी–ब्रीडर्स) की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर बी–ब्रीडर पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए	मधुमक्खी पालन बॉक्स की व्यवस्था संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर सप्लायर्स को पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त

	प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावें। कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी कॉलोनी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास कॉलोनीयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे, ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बी–ब्रीडर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावें।	न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावें। यह उललेखनीय है कि कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी पालन बॉक्स प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास बॉक्स उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। ऐसी स्थिति में सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बॉक्स सप्लायर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावें।
पंजीकरण शुल्क	मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर (बी–ब्रीडर्स) की संख्या बढ़ाने हेतु जिले में ज्यादा से ज्यादा बी–ब्रीडर पंजीकृत किये जावें। प्रत्येक बी–ब्रीडर्स से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।	प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।
सिक्यूरिटी राशि	पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक बी–ब्रीडर्स से जमा कराई जाये जो कि आर.टी.पी.पी के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। कॉलोनी का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता	पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से जमा कराई जाये जो कि आर.टी.पी.पीके वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। बॉक्स का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो

	से वसूल की जावेगी।	उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।
सत्यापन	कृषको को मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन (परिशिष्ट–15) के अनुरूप मधुमक्खी कॉलोनी है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें।	कृषको को मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप बॉक्स है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार उपलब्ध कराई गई मधुमक्खी पालन बॉक्स का 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
मधुमक्खी प्रजाति निरीक्षण कमेटी	मधुमक्खी की वांछित प्रजाति कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये समय–समय पर पंजीकृत बी–ब्रीडर्स एवं लाभांन्वित कृषकों का निरीक्षण किया जावें। इस हेतु जिले के सहायक निदेशक उद्यान व जिले/संभाग में स्थित ए.टी.सी/के.वी.के./अनुसंधान केन्द्र/सयुंक्त निदेशक उद्यान (कीट) में से किसी एक कीट वैज्ञानिक को लेकर सत्यापन किया जावें।	
अनुदान भुगतान	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इस हेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी कॉलोनियों की उपलब्धतता सुनिश्चित की जावे।

मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि सफर में अनावश्यक विलम्ब न हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा–निर्देश एवं सर्टिफिकेट का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 16 से 17 पर संलग्न है।

12.उद्यानिकी में यांत्रिकरण

फसल उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता को बढाये जाने हेतु उद्यानिकी में यांत्रिकरण कार्यक्रम के तहत कृषकों, उत्पादक संघ, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (कम से कम 10 सदस्य)जो बागवानी फसलों की खेती करते है को शक्ति चलित उपकरणों पर निम्ननानुसार अनुदान देय है:—

क. सं.	कार्यक्रम	कुल लागत	देय अनुदान
1	ट्रेक्टर (20 पी.टी.ओ. तक) रोटावेटर / उपकरण सहित	रूपये 3.00 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 75000 / — प्रति उपकरण। अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, लघु वं सीमान्त, महिला कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 100000 / — प्रति उपकरण
2	पावर टिलर (8 बी.एच.पी. से कम)	रूपये 1.00 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 40000 / — प्रति उपकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 50000 / — प्रति उपकरण
3	पावर टिलर (8 बी.एच.पी. व अधिक)	रूपये 1.50 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 60000 / — प्रति उपकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 75000 / — प्रति उपकरण
4	ट्रेक्टर / पावरचलित मशीन(20 बी.एच.पी. तक)		
	(अ) भूमि विकास, जोत एवं सीड बेड तैयारी उपकरण	रूपये 30000 / — प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000 / — प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000 / — प्रति उपकरण
	(ब) बुवाई, रोपाई एवं खुदाई उपकरण	रूपये 30000 / — प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000 / — प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000 / — प्रति उपकरण
	(स) प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन	रूपये 70000 / — प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 28000 / — प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 35000 / — प्रति उपकरण
	(द) स्वचालित बागवानी मशीनरी	रूपये 2.50 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 100000 / — प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 125000 / — प्रति उपकरण
5	ट्रेक्टर माउंटेड / ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 बी.एच.पी. से अधिक / इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर)	रूपये 1.26 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50000 / — प्रति उपकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 63000 / — प्रति उपकरण

अनुदान प्रक्रियाः

1. योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों हेतु कृषि विभाग की जिला स्तर पर गठित कमेटी में यंत्रों का रजिस्ट्रेशन करवाकर अथवा कृषि विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर पहले से रजिस्टर्ड यन्त्रों पर योजना दिशा–निर्देशानुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।
2. ऐसे कृषि यन्त्र जो लोकल फेबरीकेटर्स द्वारा नहीं बनाये जाते एवं जिनका BIS/ISI जारी है उन्हें इच्छुक कृषक निर्माता फर्म का कोटेशन प्राप्त कर कृषि यन्त्र सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
3. कृषक द्वारा BIS/ISI प्रमाणित निर्माता फर्म से यंत्र के कोटेशन के साथ आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रार्थी कृषक को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा यंत्र क्रय कर इसकी सूचना जिला कार्यालय को मय मूल बिल के साथ दी जायेगी।
5. कृषक द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर जिला स्तर पर कम से कम दो सदस्यीय कमेटी द्वारा यंत्र/उपकरण का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. भौतिक सत्यापन में कमेटी द्वारा यंत्र के प्रस्तुत बिल में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर कमेटी की सिफारिश पर उद्यान विभाग के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी।
7. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पावर मशीनस् मय उपकरण जिस पर योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही के ऊपर "राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2022–23 से अनुदानित" अंकित करवाया जाये ।
8. योजना के तहत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक लाभार्थी का यंत्र व उपकरण के साथ फोटोग्राफ लिया जाये जिसे भौतिक सत्यापन हेतु गठित कमेटी द्वारा सत्यापित किया जाये।
9. लाभार्थी से 100 रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि वह अनुदानित पावर मशीनस् व उपकरणों न्यूनतम 5 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा।

13.मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (Human Resource Development):

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषको, फील्ड स्तर के कार्मिको व अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 1000/– रूपये प्रति कृषक प्रतिदिन व्यय की जा सकेगी।

कृषक प्रशिक्षण (Farmers Training)

सामान्य निर्देशः

1. प्रशिक्षण प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 कृषक भाग लेंगे।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विषयवार सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/आई.एच.आई.टी.सी/आत्मा परियोजना कार्यालय में स्थापित प्रशिक्षण कक्ष/कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी पर आयोजित करवाया जावें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे की किसी भी परिस्थिति में निजी स्थल अथवा हॉटल आदि किराये पर लिये जाकर प्रशिक्षण आयोजित नही कराये जाये।
3. प्रशिक्षण के समय व तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें। राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रशिक्षण आयोजन की तिथि की सूचना दी जावें।
4. फसल/विषय विशेष पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को विषयवस्तु की गहनता से जानकारी दी जावें।
5. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधानों का मदवार विवरण जिला स्तर पर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें।
6. प्रशिक्षण के दौरान किसी एक मद के व्यय में बचत आती है तो दूसरे मद में आवश्यकता होने पर बचत राशि काम में ली जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावें कि प्रशिक्षण व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होवें।
7. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सांकेतिक माडल परिशिष्ठ 18 पर संलग्न है।

कृषक चयनः

1. कृषक चयन संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें। कृषक चयन में नये फल बगीचे अन्य कार्यक्रम लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. प्रशिक्षणो के द्वारा समय–समय परयथासम्भव जिले के सभी क्षेत्र के कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावें। फसल विशेष के प्रशिक्षण में प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही है तथा अन्य कृषक जिनको उद्यानिकी फसलों हेतु प्रेरित किया जा सके को सम्मिलित किया जावें।
3. कृषकों के चयन में कुछ ड्रिप सिस्टम अपनाने वाले कृषकों का समावेश किया जावें, ताकि आपसी संवाद से इसकी उपयोगिता को समझ सके।
4. पशुपालन एवं डेयरी के व्यवसाय से जुड़े कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले कृषकों को भी शामिल किया जावें।

5. ऐसे कृषक जो विभाग द्वारा पूर्व में इस विषय पर प्रशिक्षित किये जा चुके हो, को सम्मिलित नहीं किया जावें।

प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले व्याख्यान बिन्दुः

प्रशिक्षण में संबंधित तकनिकी विषय के साथ–साथ जमीन, जल एवं जन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जावें। प्रत्येक प्रशिक्षण में निर्धारित विषय के साथ उस क्षेत्र की मुख्य–मुख्य उद्यानिकी फसलों के लिये जल प्रबंधन, कीट व्याधी नियंत्रण, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन आदि के साथ निम्न बिन्दुओं के बारे में भी सामान्य जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावें।

1. मिट्टी की जांच की आवश्यकता, फसल चक्र की आवश्यकता एवं उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु खाद, हरीखाद, जिप्सम, सूक्ष्म तत्व, ट्राईकोड्रमा, राइजोबियम, एजेक्टोबेक्टर एवं पीएसबी का प्रयोग।
2. जल पुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व (सिंचाई विभाग के अधिकारियों, ड्रिप, फव्वारा निर्माता द्वारा पी.एच., ई.सी. जमीन से जल का रिश्ता)।
3. उद्यानिकी फसल उत्पादन
4. कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय सुविधायें।
5. रोग, उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
6. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पौष्टिक आहार, रोग उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
7. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
8. प्रशिक्षण के दौरान प्रगतिशील कृषकों के भी विचारों की जानकारी उक्त कृषकों को दी जावें।

नोटः प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिले के सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (वि) कार्यालय में रखे जावें तथा समय–समय पर उनसे दूरभाष पर सम्पर्क भी किया जावें, जाकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।

14.समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन (Post Harvest Management)

फसल तुड़ाई उपरांत प्रबधंन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, संसाधन और पकाई तथा भण्डारण शामिल है। यह सुव्धिाएं बागवानी उत्पादन की विपणनता को बढ़ाने, उत्पाद के मूल्यवर्धन, लाभप्रदता को बढ़ाने और नुकसान कम करने के लिए बागवानी फसलों के शीत भण्डारण, परिवहन, विपणन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग तथा निर्यात के लिए बुनियादी ढाचें संबंधी सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान देय है।

इस हेतु पैक हाउस, समन्वितपैक हाउस स्थापना, प्री–कूलिंग यूनिट, रेफ्रीजरेटेड वेन, शीत भण्डारण इकाईयां, प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाई, राईपनिंग चेम्बर,कम लागत के प्याज भण्डारण संरचना, कोल्ड स्टोरेज,कोल्ड रूम (स्टेजिंग) प्रसंस्करण इकाई, समन्वित कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम आदि परियोजनाएं हेतु उद्यमियों/कृषक/कृषक समुह, सहकारी समितियॉ, उत्पादक संघ, कम्पनीज, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (न्यनतम 25 सदस्य व पंजीकृत) आदिको क्रैडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में (जमा से जुड़ी वापिसी आर्थिक सहायता) निम्नानुसार अनुदान देय है:–

फसलोत्तर प्रबधंन:–

कम्पोनेन्ट	अनुमानित लागत	अनुदान
पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई (9 मीटर X 6 मीटर)	रूपये 4.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत
समन्वित पैक हाउस (कनवेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाईयों, धोने, सुखाने और तोलने के लिये सुविधाओं के साथ 9 मीटर X18 मीटर)	रूपये 50.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड)
प्री–कुलिंग इकाई	रूपये 25.00 लाख (अधिकतम 6 मैट्रिक टन क्षमता)	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
कोल्ड स्टोरेज–टाईप–I निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण	रूपये 8000/– प्रति मै. टन(अधिकतम 5000 मै.टन क्षमता	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड)
कोल्ड रूम (स्टेजिंग)	रूपये 15 लाख/ इकाई (अधिकतम 30 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए)	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड)
रेफ्रीजरेटेड वेन	रूपये 26.00 लाख (अधिकतम 9 मैट्रिक टन क्षमता)	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड) 4 मैट्रिक टन क्षमता से कम नही।
प्राथमिक/मोबाईल/न्यून प्रसंस्करण इकाई	रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड)
राइपनिंग चेम्बर (300 मै.टनतक)	रूपये 1.00 लाख प्रति मै.टन	लागत का 35 प्रतिशत (केडिट लिंक्ड बैक एन्डेड)

परिरक्षण इकाई (कम लागत)	2.00 लाख रूपये प्रति इकाई (नयी इकाई के लिये)	लागत का 50 प्रतिशत
कम लागत प्याज भण्डारण संरचना(25 मै.टन)	रूपये 1.75 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत
इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम	उक्त फसलोत्तर गतिविधियों में से कम से कम दो कम्पोनेन्ट के साथ परियोजना आधारित अधिकतम लागत 600.00 लाख रूपये	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड)

सामान्य दिशा–निर्देश

अ. त्रिस्तरीय प्रकिया (Three Tyre System)

समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन (समन्वित पेक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चेम्बर, प्री–कूलिंग इकाई, रेफ्रिजरेटेड वेन, इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम आदि जिनमें बैक से ऋण लेने की बाध्यता है) अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने, स्वीकृत करने, भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान जारी करने हेतु निम्न त्रिस्तरीय प्रकिया (Three Tyre System) अपनायी जायेगी।

1. **जिला स्तर** :– पात्र इच्छुक आवेदक को फसलोत्तर प्रबंध से जुडे प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संबंधित जिले के उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (सहायक निदेशक उद्यान / उप निदेशक उद्यान एवं सचिव जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसाईटी) को निम्न **चेक लिस्ट** अनुसार दस्तावेजो सहित आवेदन करते हुए परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति उद्यान निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा –

   i. आवेदन पत्र मय आवेदक की फोटो।

   ii. परियोजना प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर).– जो की चार्टेड अकाउन्टेट द्वारा तैयार की गयी हो व इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चार्टेड अकाउन्टेट के हस्ताक्षर व मोहर हो मुख्यतया निम्न जानकारी के साथ प्रस्तुत करनी होगी:–

   परियोजना का नाम, गतिविधि का प्रकार, उद्देश्य, परियोजना का स्थान मय पता, प्रबन्धन / मैनेजमेंट, प्रमोटर्स की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आवेदनकर्ता फर्म / कम्पनी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, परियोजना की लागत, प्लान्ट व मशीनरी (रेफ्रिजेशन, इन्सूलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम), बिल्डिंग आदि की लागत व विस्तृत विवरण, डी.एस.सी.आर., ब्रेक इवन पोइन्ट, डी.ई. रेश्यो, अगले पांच–सात वर्ष के प्रोजेक्शन्स्, वित्त के साधन (टर्म लॉन, अनसिक्योर्ड लॉन, प्रमोटर्स शेयरस् / केपीटल / मार्जिन, अनुदान आदि), आई.डी.सी.पी., प्रीओपरेटिव व्यय, परियोजना प्रस्ताव की वाईबलिटि रिपॉर्ट फोरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज, आवेदक संस्था से सम्बन्धित आर्टिकल्स एवं मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन के साथ प्रासांगिक कानून व डेट ऑफ इनकार्पोरेशन, बाईलॉज, पार्टनरशीप डीड एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी लागु हो / ऑथराइज्ड / पैडअप केपीटल एवं प्रमोटर्स कन्ट्रीब्यूशन के

संबंध में दस्तावेज सबूत। पार्टनशीप डीड को Competent authority (DIC) से रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य होगा।

iii. परियोजना प्रस्ताव का ले आउट, ड्राईंग व डिजाइन (योग्यताधारी चार्टेड सिविल इंजिनीयर से प्रमाणित मय नाम पता व मोहर)

iv. भूमि संबंधी दस्तावेजः– भूमि की रजिस्ट्री, आवंटन पत्र, पट्टा आदि/लीज डीड (15 वर्ष से अधिक व सक्षम अधिकारी से रजिस्टर्ड)

v. बेसिक डेटा शीट (यथा लागू):– निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए व इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चार्टेड इंजिनियर (मैकेनिकल) के हस्ताक्षर, मोहर, नाम पता व ई–मेल पता होना चाहिए जिसके द्वारा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है एवं जिसकी देखरेख (Supervision)में प्रोजेक्ट का निर्माण, कमिशनिंग आदि कार्य किया जायेगा।

vi. बैंक लोन स्वीकृति पत्रः–बैंक ऋण देय अनुदान राशि से अधिक एवं परियोजना प्रस्ताव में उल्लेखित लागत का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। इसकी अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होनी चाहिए।

vii. शपथ पत्रः– आवेदक,पार्टनरशिप फर्म के प्रत्येक पार्टनर, कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर द्वारा रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निधारित प्रारूप में यह शपथ पत्र दिया जायेगा कि आवेदक द्वारा इस परियोजन प्रस्ताव पर न तो किसी अन्य संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया है एवं न ही यह परियोजना प्रस्ताव अनुदान हेतु किसी भी अन्य संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

viii. आवेदक के आधार कार्ड, पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति।

परियोजना प्रस्ताव का प्राथमिक परीक्षण :–

संबंधित जिले के उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक उद्यान एवं सचिव जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसाईटी) द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का प्राथमिक परीक्षण किया जायेगा, कमी पूर्ति करवायी जायेगी व परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में निर्णय लेना होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृत करने के कारणों सहित आवेदक को प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिवस में लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा जिसकी सूचना उद्यान निदेशालय को भी दी जायेगी। यदि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत योग्य पाया जाता है तो ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त होने के 15 दिवस में स्वयं की अनुशषां सहित स्वीकृत करने हेतु उद्यान निदेशालय अग्रेषित किया जायेगा। परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ऑफिस रिकोर्ड़ के रूप में संधारित की जावेगी।

यदि जिलाधिकारी द्वारा आवेदक से प्रस्ताव प्राप्त होनें के 15 दिवस में किसी प्रकार का निर्णय नही लिया जाता है तो उद्यान निदेशालय में गठित तकनीकी समिति द्वारा ऐसे प्रस्तावों का परिक्षण किया जाकर निदेशक उद्यान की जानकारी में लाया जाकर कमीपूर्ति करवाकर निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरांत आरएचडीएस की ई.सी. बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उक्त समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नही पाया जाता है तो ऐसे

प्रस्तावों को आवेदक को लौटा दिया जायेगा व इसकी प्रतिलिपी सम्बंधित जिलाधिकारी को भी दी जावेगी।

2. **उद्यान निदेशालय स्तर** :– उद्यान निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी द्वारा जिलाधिकारियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया जावेगा :–

   उद्यान निदेशालय में गठित तकनीकी कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की जावेगी। जिसमें जिलाधिकारियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का विभागीय, भारत सरकार (राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) के दिशा–निर्देशों, स्पेशिफिकेशन अनुसार परीक्षण किया जायेगा। निदेशक उद्यान की जानकारी में लाया जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर कमी पूर्ति करवायी जायेगी। यदि परियोजना प्रस्ताव तकनीकी कमेटी द्वारा स्वीकृत करने योग्य नही पाया जाता है तो एक माह में प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारणों सहित आवेदक को सूचित किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी को भी दी जावेगी।

   यदि तकनीकी समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत योग्य पाया जाता है तो ऐसे प्रस्तावों को निदेशक उद्यान से अनुमोदन उपरांत आर.एच.डी.एस. की ई.सी. मीटिंग में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया जायेगा।

3. **राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलमेंट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.):–**

   (अ). अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्यानिकी की अध्यक्षता में आर.एच.डी.एस. की ई.सी. बैठक त्रैमासिक (quarterly) रूप से आयोजित की जायेगी जिसमें उद्यान निदेशालय द्वारा अग्रेषित परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु विचार–विमर्श किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा। आर.एच.डी.एस. का निर्णय अंतिम होगा।

   (ब).परियोजना प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जाना:– आर.एच.डी.एस. की ई.सी. बैठक के अधिकतम सात दिवस में उद्यान निदेशालय द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा। अस्वीकृत परियोजना प्रस्तावों को कार्यवाही विवरण जारी होने के सात दिवस में कारणों सहित आवेदक को लौटा दिया जायेगा एवं अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की शर्ताधीन प्रशासनिक स्वीकृति कार्यवाही विवरण जारी होने के सात दिवस में जारी की जायेगी जिसकी प्रतिलिपी आवेदक, ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक एवं संबंधित जिलाधिकारी को आवश्यक रूप से दी जावेगी। समन्वित पैक हाऊस का निर्माण कार्य 6 माह में एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर अवधि बढाने हेतु उचित कारणो का उल्लेख करते हुये आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिस पर आर.एच.डी.एस. द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

   (स). परियोजना प्ररस्ताव का निर्माण कार्य व कार्य पूर्ण किया जाना:– लाभार्थी द्वारा स्वंय की हिस्सा राशि व बैक ऋण द्वारा निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण लगाये जाकर परियोजना निर्धारित अवधी मे पूर्ण कि जावेगी। समस्त कार्य कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय कोल्ड चैन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी

बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार, निर्धारित माप दण्ड एवं स्पेशिकेशन अनुसार होने आवश्यक है। सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजों के पूर्ण पालना की आवदेक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। लाभार्थी द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित जिला अधिकारी को निम्न दस्तावेजो सहित सम्बन्धित जिला अधिकारी/उद्यान निदेशालय को अवगत करवाना होगा।

1. सम्बन्धित चार्टेड ऐकाउन्टेन्ट का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र।
2. सम्बन्धित चार्टेड इन्जिनियर (सिविल) व चार्टेड इन्जिनियर (मैकेनिकल) यथा लागू का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।
3. पूर्ण किये गऐ समस्त कार्यो के बिलो की सत्यापित छायाप्रतियॉ।
4. शपथ पत्रः– आवेदक,पार्टनरशिप फर्म के प्रत्येक पार्टनर, कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर द्वारा रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निधारित प्रारूप में यह शपथ पत्र दिया जायेगा कि –
   - आवेदक द्वारा इस परियोजन प्रस्ताव पर न तो किसी अन्य संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया है एवं न ही यह परियोजना प्रस्ताव अनुदान हेतु किसी भी अन्य संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।
   - जिस उद्देश्य/परियोजना प्रस्ताव के लिये अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग उसी उद्देश्य/परियोजना प्रस्ताव हेतु किया जायेगा।
   - विभागीय दिशा–निदेशों का पालन किया जाऐगा एवं उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित सभी शर्ते मानने के लिए फर्म बाध्य होगी।
   - आवेदक द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है कि समस्त शर्ते, terms and conditions का अध्ययन कर लिया है एवं प्रस्तुत परियोजनाप्रस्ताव उक्त terms and conditions के अनुरूप है।
   - परियोजना प्रस्ताव पूर्णत नवीन कार्यक्रम है।
   - परियोजना प्रस्ताव में उलेखित समस्त तथ्य, सूचना, संलग्न दस्तावेज सही है एवं यदि भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि फर्म द्वारा प्रस्तुत तथ्य, सूचना दस्तावेज सही नही है व फर्म/आवेदन द्वारा गलत प्रकार से अनुदान प्राप्त किया गया है तो उद्यान विभाग को आवेदक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने व अनुदान राशि शास्ती व ब्याज सहित वापस लेने का अधिकार होगा।
   - आवेदक उद्यान विभाग द्वारा परियोजना प्रस्ताव के क्रम में जारी दिशानिर्देशो एवं चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा ।
   - आवेदक द्वारा नियमित रूप से उद्यान विभाग को प्रगति से अवगत कराया जायेगा।
   - परियोजना प्रस्ताव में सोर्टिग,ग्रेडिग,पैकेजिंग,हेण्डलिंग आदि कार्य हेतु पर्याप्त स्थान रखा जायेगा।

- परियोजना प्रस्ताव मे अकिंत सभी कम्पोनेन्ट, उपकरण, कार्यक्रम, कार्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन, MIDH भारत सरकार, राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन, दिशा–निर्देशों व गाइड लाईन अनुसार लगाये जायेंगे / सम्पादित किये जायेगें।
- आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी उद्यानिकी उत्पाद, फल, सब्जी आदि कॉल्ड स्टोर में भण्डारित करने हेतु रखा गया है उसका भण्डारण निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रिया अनुसार उचित प्रकार से किया जायेगा ताकि उक्त उद्यानिकी उत्पाद फल, सब्जी आदि खराब नही हों।

5. लाभार्थी को स्वीकृत परियोजना के बाहर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित, कार्यपूर्ण होने का वर्ष, कुल लागत, अनुदान राशि आदि के विवरण का बोर्ड लगवाना आवश्यक होगा।

   सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुसार कार्य पूर्णता की लिखित जानकारी प्राप्त होने के 7 दिवस में उद्यान निदेशालय को अवगत कराना होगा।

(द).**परियोजना प्ररस्ताव का भौतिक सत्यापन** :–जिला अधिकारियों से परियोजना प्रस्ताव की कार्य पूर्णता की रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिवस में उद्यान निदेशालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण टीम (जे.आई.टी.) गठित की जायेगी। उक्त टीम द्वारा गठित होने के अधिकतम 15 दिवस में परियोजना प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन किया जाकर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित निदेशक उद्यान को प्रस्तुत की जावेगी ।

(य).**परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय / अनुदान स्वीकृती जारी किया जाना** :– उद्यान निदेशालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण टीम से परियोजना प्रस्ताव की संतोषप्रद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर अनुदान राशि लाभार्थी के ऋण स्वीकृत करने वाले बैक में अनुदान आरक्षित कोष खाते (Subsidy reserve fund account) में हस्तांतरित की जावेगी। उक्त अनुदान राशि 3 वर्ष की लोक इन अवधि पूर्ण होने के पश्चात् बेक एंडेड प्रकिया से अन्त में समायोजित की जावेगी।

अन्य निर्देश –

1. उद्यान विभाग द्वारा राज्य में सम्पूर्ण कोल्ड चेन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा एवं मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज को प्रोत्साहित किया जायेगा।
2. कोल्ड चेन से सम्बंधित उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबंधन गतिविधियां के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड अनुदान अन्तर्गत समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक (यदि कोई हो) सभी तरह के कानूनी / विधिक दस्तावेजो कि पूर्ण पालना की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

4. दिशानिर्देशों की योग्यता और व्याख्या के सम्बन्ध में उद्यान निदेशालय (राज्य बागवानी मिशन) का निर्णय लाभार्थीयों और बैकों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. आवेदन करना सब्सिडी जारी करने की गारंटी नहीं है जब तक कि परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा–निर्देश के अनुसार लागू नहीं किया जाता है एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य एवं राशि उपलब्ध करवा दी गई हो।
6. विभिन्न घटकों की सामान्य लागत राज्य बागवानी मिशन/उद्यान निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
7. परियोजना के तहत भूमि क्षेत्र स्वामित्व/पट्टा (पंजीकृत) आवेदक के नाम पर सही होना चाहिए और किसी भी बर्डन से मुक्त चाहिए।
8. सब्सिडी के दावे से पहले परियोजना भूमि, योजना और बैंक इत्यादि के किसी भी बदलाव को प्रभावित करने से पहले आवेदक को राज्य बागवानी मिशन/उद्यान निदेशालय को सूचित करना होगा।
9. क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन कार्यक्रम में तकनीकी मानकों की अनुरूपता आवश्यक है।
10. यदि आवेदक प्रोजेक्ट भूमि के संयुक्त मालिकों में से एक या कुछ है तो अन्य सह–मालिकों के एनओसी जमा किए जाएंगे।
11. अपूर्ण परियोजनाएं/एनपीए परियोजनाएं और डिफॉल्ट मामले सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे और सब्सिडी को ऐसे मामलों में वापस ले लिया जाएगा।
12. जब भी आवश्यक हो, भौतिक, वित्तीय और परिचालन प्रगति का पता लगाने के लिए राज्य बागवानी मिशन/उद्यान विभाग के अधिकारी द्वारा परियोजना का समय–समय पर निरीक्षण किया जाएगा।
13. राज्य बागवानी मिशन को बिना कारण बताये योजना के तहत दी गई किसी भी राशि को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन कार्यक्रम स्पेशीफिकेशन एवं मापदण्ड कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा इसके लिये समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने आवश्यक है।
15. समय–समय पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा जारी अन्य परिचालन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
16. क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं के लिए, पात्र सब्सिडी राशि बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण से किसी भी परिथिति में अधिक नही होगा।
17. परियोजनाओं के वे कम्पोनेन्ट उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं और/या बैंक मूल्यांकन नोट का हिस्सा नहीं हैं, राज्य बागवानी मिशन अन्तर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगें।
18. बैंक तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक/वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में परियोजना का मूल्यांकन करने के मानदंडों का पालन करेंगे, तथा यह सुनिश्चित करेगें कि परियोजना नवीन है, राज्य बागवानी मिशन के दिशानिर्देशों को पूरा करता है, और प्रमोटर के पास क्लीयर लेन्ड टाईटल है।

19. भारत सरकार व राज्य सरकार के किसी विभाग/योजना से अनुदान प्राप्त नही करने का 500/– रूपये का शपथ पत्र जिसमें यह आवश्यक रूप से लिखवाया जावेगा कि प्रशासनिक स्वीकृति में अकिंत सभी शर्ते फर्म मानने के लिए बाध्य होगी। भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि गलत प्रकार से अनुदान प्राप्त किया गया है तो फर्म अनुदान राशि लौटाने हेतु बाध्य होगी।
20. बैंकों को जहां भी आवश्यक हो, परियोजना के तहत बनाई गई संपत्तियों का बीमा सुनिश्चित करना चाहिए।

कोल्ड स्टोरेजः (Construction, Expansion and Modernisation)–

फसल उत्पाद को नियंत्रित वातावरण में भण्डारित करके तरो–ताजा बनाये रखने के लिये मल्टी चैम्बर शीत गृहों (Type-1) के निर्माण पर कैडिट लिंक बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में अनुदाय देय है।

i. शीत गृह आवश्यक रूप से मल्टी चेम्बर, 250 मैट्रिक टन प्रति चेम्बर से अधिक क्षमता एवं आधुनिक तकनीक से बने होने चाहिये तथा ये शीत गृह थर्मल इन्सूलेशन, आद्रता नियंत्रण, आधुनिक कूलिंग प्रणाली एवं आटोमेशन से युक्त होने चाहिए ताकि ये उर्जा संरक्षण में लाभदायक हो सके।
ii. इनके स्पेशीफिकेशन एवं मापदण्ड कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार (राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) द्वारा इसके लिये समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार एवं निर्धारित मापदण्डों, स्पेसिफिकेशन अनुसार होने आवश्यक है।
iii. प्रशीतन उपकरण आधुनिक तकनीक के होने चाहिये जो कि शीत गृह के अन्दर विभिन्न तापमान स्तर को नियंत्रित कर सके एवं वातावरण सहयोगी होने चाहिये।
iv. कम्प्रेसर मल्टी सिलेन्डर, रेसीप्रोकेटिंग/स्क्रू टाइप एवं उपयुक्त क्षमता का होना चाहिये।
v. उर्जा के उपयोग को कम करने तथा प्रभावी शीतलन समय को कम करने के लिए कन्डेन्सर उपयुक्त क्षमता व प्रकार का होना चाहिये।
vi. शीतगृह में उपयुक्त थर्मल इन्सूलेशन एवं क्लेडिंग मैटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिये। इन्सूलेशन के मापदण्ड आईएस 661:2000 एवं आईएस 13205 के अनुरूप होना चाहिये।
vii. शीतगृहों के रखरखाव एवं संचालन हेतु योग्यताधारी एवं दक्ष कार्मिकों की सेवाऐं ली जानी चाहिये। लाभार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी फल, सब्जी आदि कॉल्ड स्टोर में भण्डारित करने हेतु रखा गया है उसका भण्डारण निर्धारित मापदण्डों व प्रकिया अनुसार किया जावें ताकि उक्त फल, सब्जी आदि खराब नही हों।
viii. शीतगृहों के अन्तर्गत चेम्बर 250 मैट्रिक टन से अधिक क्षमता के होने चाहिये।
ix. प्रत्येक चेम्बर में तापमान एवं आद्रता हेतु उपयुक्त नियत्रिंत उपकरण लगे होने चाहिये।

x. शीतगृहो में बेग अथवा बॉक्स में पर्याप्त भण्डारण हेतु उपयुक्त तल होने चाहिये एवं विभिन्न तलों में उपयुक्त दूरी होनी चाहिये।

xi. शीत गृहों में प्रसस्करण हेतु निर्धारित क्षेत्र होना चाहिये ताकि यात्रिंक छटाई, ग्रेडिंग, धुलाई एवं पैकिंग के उपकरण भी लगाये जा सके।

xii. परियोजना प्रस्तावों में गणना की गयी जमीन की कीमत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। गणना की गयी जमीन की कीमत उद्यमी की मार्जिन मनी के रूप में मानी जावें। उद्यमी द्वारा क्रय किये जाने पर ही जमीन लागत की गणना परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित की जावें।

xiii. जमीन की कीमत क्रय की गयी दर से होनी चाहिए न की बाजार की दरों पर तथा परियोजना के लिये काम मे आने वाली जमीन की कीमत ही परियोजना प्रस्ताव मे शामिल की जावें।

राइपनिंग चैम्बरः–

ये शीत श्रृंखला में एक महत्वंपूर्ण सुविधाओं में से एक हैं, जिसमें फलो को नियंत्रण और स्वच्छता के साथ पकाया जाता है। आधुनिक तरीके से पकाने की सुविधाओं का उपयोग केले को पकाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है लेकिन इनमें अन्य फलों को भी पकाया जाता है जैसे आम, पपीता, नाशपाती आदि।

घटक विवरण –

राइपनिंग चैम्बरः अन्तर्गत पकाने की सुविधा में बहु कक्ष सहित निम्न घटक शामिल हैं

1. हल्के ठंडे (16 से 25 डिग्री सेल्सियस) तापमान के तहत शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए डिजाइन किए गए इन्सुलेटेड कक्ष।
2. पकाने के लिए हल्के ठंडे तापमान को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र प्रशीतन उपकरण।
3. ईथिलीन या अन्य एफएसएसएआई अनुमोदित पकाने की डोजिंग प्रणाली, आमतौर पर कई कक्षों में साझा करने के लिए पाइप।
4, कक्षों में हवा प्रवाहन, तापमान, तापमान नियंत्रण और पकने के लिए डिजाइन किया गया वायु प्रवाह सहित एयर फ्रेशेनिंग या वेंटिलेशन सिस्टम।
5. इनकमिंग और आउटगोइंग लोड को संभालने के लिए हैंडलिंग उपकरण।
6. पकने की प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए विद्युत नियंत्रण पैनल ।

रेफ्रिजरेटेड परिवहन वाहन (Reefer van)

यह घटक बागवानी उपज के तापमान नियंत्रित वाहन से जिसमें डिजाइन किए गए सक्रिय प्रशीतन से सुसज्जित निश्चित इन्सुलेटेड कैरिज बॉडी स्थापित हो के सडक परिवहन से सम्बंधित है।

घटक विवरण –

एक रीफर वाहन को अपने निर्माण और संचालन में सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। एक रिफर ट्रक में निम्नलिखित शामिल होंगे।

1. ट्रक चेसिस, मोटिव ट्रेक्टर और केबिन के साथ रीफर कार्गो के लिए एक इन्सुलेटेड कक्ष।
2. सुरक्षित और सीलिंग प्रणाली के साथ इन्सुलेटेड दरवाजे।

3. कक्ष के आकार के आधार पर पर्याप्त वायु प्रवाह के साथ स्वतंत्र प्रशीतन उपकरण। रीफर इकाई वेकल्पिक शक्ति स्त्रोत के साथ संचालित होना चाहिए।
4. नमी और तापमान की निगरानी के लिए और डाटा लोंगिग प्रणाली एवं जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। प्रत्येक वाहन के साथ कम से कम चार डेटा लॉगर्स की आपूर्ति की जानी चाहिए।
5. एसोसिएटेड प्रशीतन निगरानी और नियंत्रण पैनल।
6. वाहन का उपयोग बागवानी फसल के परिवहन में किया जाना चाहिए।

प्रि कूंलिग युनिट (Pre Cooling unit)

घटक प्री–कूलिंग यूनिट एक विशेष शीतलन कक्ष को संदर्भित करता है जो फसल के बाद ताजा उपज से खेत की गर्मी को तेजी से हटा देता है और इस प्रकार बाद के शिपिंग के लिए कार्गो तैयार करता है। प्री–कूलिंग, फसल कटाई बाद विस्तारित शीत श्रृंखला के लिए फल और सब्जियों की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। प्री–कूलिंग इकाई में सभी पैक हाउसों में एक आसन्न स्टेजिंग कोल्ड रूम होना चाहिए।

घटक विवरणः–

प्रत्येक लाभार्थी के लिए 25 लाख / इकाई का अधिकतम स्वीकार्य लागत मानदंड लागू होता है। प्री–कूलर घटक की कुल क्षमता प्रति इकाई 18 एमटी मानते हुए यानि प्रति दिन 6 मीट्रिक टन के 3 बैच लोड प्रीकुलिंग करने में सक्षम होनी चाहिए। अन्य क्षमताओं या डिजाइन विकल्पों के अनुपात में प्रो–रेटा लागत पर माना जाएगा। प्री–कूलिंग यूनिट में निम्न घटक सम्मिलित हैं

1. इन्सुलेटेड रूम– थर्मली इन्सुलेटेड रूम, तापमान नियंत्रित स्थितियों और उच्च आर्द्रता के स्तर में 6 मीट्रिक टन ताजा उपज को पूर्व शीतलन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. प्री–कूलर यूनिट–उच्च हवा प्रवाह पंखों के साथ हीट एक्सचेंज कॉइल 6 एमटी के बैच लोड के लिए बहुत अधिक सापेक्ष आर्द्रता स्तर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
3. वाष्पीकरण और संघनन इकाई–एयर कूल्ड या वाटर कूल्डस कंडेनसिंग इकाई और संबंधित वाष्पीकरण इकाई के साथ 4 से 6 घण्टों में 6 मै. टन ताजा उपज की खेत की गर्मी (Field Heat) कम करने के लिए।
4. नियंत्रक–प्रशीतन नियंत्रण और तापमान और सापेक्ष आर्द्रता निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक।
5. विद्युत जनरेटर–उपकरण संचालन के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए एक डीजी सेट। जहां वैकल्पिक ऊर्जा विकल्प (बायो–मास आधारित जनरेटर, सौर संचालित जेनरेटर इत्यादि) का उपयोग किया जाता है, ऐड–ऑन प्रौद्योगिकी घटक (एमआईडीएच गाईड लाईन अनुसार) लागू होगा।

एकीकृत पैक–हाउस (Integrated Pack House)

यह कम्पोनेन्ट कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, वॉशिंग, सुखाने और वजन के लिए सुविधाओं के साथ आधुनिक एकीकृत पैक हाउस को संदर्भित करता है।

कम्पोनेन्ट विवरण –

एक आधुनिक एकीकृत पैक–हाउस इकाई बागवानी उपज के छोटे–छोटे लॉट को प्राप्त करने का मुख्य स्त्रोत है और खेती क्षेत्र के नजदीक बनाया जाना चाहिए। एक एकीकृत पैक हाउस की इकाई क्षमता प्रति दिन 16 मेट्रिक टन मानी जाती है और इसे 2 मेट्रिक टन/घंटा सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन से आउटपुट मानते हुये दिन में 8 घंटे चलने को माना जाता है। प्रत्येक परियोजना की डिजाइन क्षमता प्रो–रेटा माना जाएगा– उदाहरण के लिए 32 मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता को 2 पैक–हाउस के बराबर माना जायेगा। सम्मिलित उपकरण– वेयिंग स्केल, मशीनीकृत सुविधाओं जैसे कि कन्वेयर बेल्ट, ग्रेडिंग इकाइयों और उपयुक्तत वॉशिंग, सुखाने की इकाइयॉं।

निम्न घटक एकीकृत पैक–हाउस में सम्मिलित हैं–

1. ढका हुआ (coverd area) प्राप्ति क्षेत्र – आने वाले उपज के भार को उतारने से पूर्व चयन और वजन करने के लिए।
2. ढके हुए प्राप्ति क्षेत्र के साथ लगा हुआ व छटाई एवं ग्रेडिंग के लिए ढका हुआ क्षेत्र – मशीनीकृत हैंडलिंग और सफाई उपकरण के साथ एक खाद्य हैंडलिंग हॉल।
3. छंटनी और ग्रेडिंग कन्वेयर–मशीनीकृत रोलर या बेल्ट आधारित प्रणाली (जो कि हेण्डल किये जाने वाले फलों पर निर्भर करेगी) जिसमे कार्यरत कर्मियों द्वारा अगली गतिविधि के लिए उत्पादों का चयन कर उठाया जा सकें एवं प्रति दिन 16 मीट्रिक टन हैंडल करने में सक्षम है।
4. धोने / सुखाने के उपकरण जहां आवश्यक हो, मशीनीकृत धुलाई और सुखाने की लाइन।
5. पैकेजिंग क्षेत्र–निर्दिष्ट क्षेत्र जहां उत्पादन हाथों से बाजार लॉट में पैक किया जाता है।
6. विद्युत जनरेटर उपकरण संचालन के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए एक डीजी सेट। जहां वैकल्पिक ऊर्जा विकल्प (बायो–मास आधारित जनरेटर, सौर संचालित जेनरेटर इत्यादि) का उपयोग किया जाता है, ऐड–ऑन प्रौद्योगिकी घटक (एमआईडीएच गाईड लाईन अनुसार) लागू होगा।9X18 मीटर ढका हुआ क्षेत्र एक पेक हाउस के लिए सांकेतिक क्षेत्र है ऐसे पेक हाउस में मूल सोर्टिंग व ग्रेडिंग हेतु न्यूनतम उपकरण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त धोने, सुखाने व तौलने के उपकरण भी शामिल किये जा सकते है जिससे उत्पाद को पैकेजिंग हेतु तैयार किया जा सकें। सोर्टिंग व ग्रेडिग इकाई में एक फीडिंग लाईन, कनवेयर होना चाहिए जिस पर बेल्ट पर उत्पाद ले जाये जायेंगे। जिसमें इसके साथ खडे व्यक्तियों द्वारा उक्त उत्पादों का भौतिक निरिक्षण किया जा सकें। साथ ही उक्त इकाईयों में एक साईजर (Sizer) भी होना चाहिए जो कि विभिन्न फलों एवं सब्जियों का आकार (Size) के आधार पर अलग–अलग केटेगरी में ग्रेडिंग कर सकें। पैक हाउस के साथ प्री–कूलर एवं स्टेगिंग कॉल्ड रूम भी उपलब्ध होना चाहिए। प्री–कुलिंग युनिट को आधुनिक पैक हाउस का हद्य माना जाता है।

कोल्ड रूम (स्टेजिंग) (Cold Room Staging)

यह घटक एक इन्सुलेटेड और रेफ्रिजेरेटेड कक्ष है जो प्री–कूलिंग यूनिट के लिए एक आवश्यक संयोजन है और एक अस्थाई (transient)भंडारण के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रि–कूलर का उपयोग आने वाले उपज के अगले बैच लोड के लिए किया जा सके है।

कोल्ड रूम (स्टेजिंग) में निम्न सम्मिलित हैं –

1. 100 क्यूबिकमीटर आयतन का एक इन्सुलेटेड कमरा– भण्डारण क्षमता 30 मेट्रिक टन।
2. एसोसिएटेड प्रशीतन उपकरण।
3. स्टेजिंग क्षेत्र– प्रेषण हेतु वाहन लोड करने के लिए साथ मे लगा हुआ ढका हुआ क्षेत्र (coverd area)

यद्यपि इस घटक को अलग रखा गया है लेकिन यह प्री–कूलिंग इकाई से जुड़ा हुआ हो केवल तभी मूल्यांकन किया जायेगा। लाभार्थी को सलाह दी जानी चाहिए कि कोल्ड रूम (स्टेजिंग) के लिए निम्न कि आवश्यकता होती है।

1. समन्वित पैक हाउस
2. अपेन्डेड प्रि–कूलिंग यूनिट
3. एन्टी रूम (स्टेजिंग) हेतु

समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन (कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना, पेक हाऊस, कम लागत परिरक्षण इकाई आदि जिनमें बैक से ऋण लेने की बाध्यता नहीं है) अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने, स्वीकृत करने, भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान जारी करने हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी।

कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना :–

1. कृषक जो प्याज की खेती कर रहे है एवं कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक संरचना के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
3. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण लागत 1.75 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 0.875 लाख अधिकतम सहायता का प्रावधान है। यह निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।
4. आवेदन कृषक के स्वयं के नाम न्युनतम 0.5 हैक्टर भू–स्वामित्व होना आवश्यक होगा।
5. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होगें, जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
6. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण की पत्रावली पर कृषक सरंचना के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा।
8. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण की डिजाईन परिशिष्ठ 19 पर संलग्न है।
9. कृषक द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली से प्याज उतराई एवं भराई के मध्यनजर कृषक की सुविधा हेतु प्याज भण्डारण इकाई के मध्य रास्ते की चौडाई 4 फीट अथवा 8 फीट कर दोनो ही साइज अनुसार प्याज भण्डारण इकाई का निर्माण करने पर अनुदान देय होगा।

सांकेतिक लागत का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि रूपये मय
1	नीव की खुदाई	क्यूबीक मीटर	3.888	LS	3500
2	नीव में पीसीसी 1:4:8	क्यूबीक मीटर	0.729	3500	2552
3	कॉलम के लिए आरसीसी 1:2:4	क्यूबीक मीटर	2.339	4500	10526
4	कॉलम की नोमिनल मजबूती के लिए	कि.ग्रा.	320	65	20800
5	संरचनात्मक स्टील कार्य	कि.ग्रा.	1200	65	780000
6	एस्बेस्टस / स्टील सीट की छत	वर्ग मीटर	83.2	400	33,280
7	सीट रिजेज	Rmt	12	250	3000
8	2"इंच व्यास 1/2 बांस की स्ट्रीप्स@ 3"C/C	घन मीटर	3.25	7200	23400
	योग				175057

10. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होगें के द्वारा किया जावेगा।
11. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि आर. टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
12. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।
13. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना के लिय प्याज भण्डारण संरचनाओं के निर्माण हेतु जिलों को आवंटित कुल लक्ष्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाना है।**

पैक हाउस : –

सब्जी एंव फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु पैक हाउस की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है–

1. कृषक जो कम से कम एक हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन या एक हैक्टेयर क्षेत्र में तीन वर्ष से पुराना फल बगीचा स्थापित हो एवं पैक हाउस लगाकर उद्यानिकी फसलों की ग्रेडिगं एवं पैकिंग करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक पैक हाउस के लिये अनुदान देय होगा।
3. पैक हाउस की निर्माण लागत 4.00 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

4. पैक हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. पैक हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का पैक हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पैक हाउस का निर्माण कृषक द्वारा किया जावेगा। पैक हाउस की निर्माण एवं पैक हाउस हेतु आवश्यक उपकरण की सांकेतिक लागत का माडल निम्नानुसार है:–

पैक हाउस निर्माण हेतु वित्तीय ब्रेकअप

क्रं. सं.	कम्पोनेट	अनुमानित लागत लाख रूपये में	देय अनुदान राशि लाख रूपये में
1.	9 मीटर X6 मीटर आकर की आरसीसी सिविल संरचना के साथ औवर हेड प्लास्टिक टैंक, फैन, ट्यूबस आदि।	2.00	1.00
2.	फल सब्जी सोर्टर, फल सब्जी ग्रेडर, ग्रेडिंग/सौर्टिंग टेबल, स्ट्रेपिंग मशीन, प्लास्टिक टब (संख्या 3), प्लास्टिक क्रेट्स (संख्या 50), वैयिगं स्कैल	2.00	1.00

7. पैक हाउस निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होगें के द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि उसके खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
9. पैक हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

15. 14. बाजार के बुनियादी ढांचें का सृजन/विकास (Establishment of Marketing Infrastructure):

विपणन के कार्यक्रम भी परियोजना पर आधारित है। राज्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद भारत सरकार की एनएचएम कार्यकारिणी समिति को परियोजना की व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत की जाएगी। इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के प्रमुख उद्‌देश्य–

1. बागवानी कमोडिटी के लिए विपणन के बुनियादी ढाचें के विकास में निजी और सहकारी क्षेत्रों से निवेश करवाना।
2. थोक बाजार, ग्रामीण हाट्स सहित मौजूदा बागवानी बाजारों का सुदृढ़ीकरण।
3. किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए फार्म/बाजार स्तर पर बागवानी उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना।
4. बाजार संबंधी कृषि क्रियाओं सहित ठेके पर कृषि के बारे में किसानों उपभाक्ताओं उद्यमियों और बाजार कार्यकर्त्ताओं के बीच सामान्य जानकारी तैयार करना।

अनुदान मापदण्डः

1. खुदरा बाजार/आउट लेट (नियंत्रित वातावरण) की स्थापना करने पर राशि रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई की लागत निर्धारित की गई है जिस पर 35 प्रतिशत अनुदानक्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड के रूप में देय है। इस हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू-स्वामित्व दस्तावेजव अन्य किसी संस्था से अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं किया के शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. संग्रह, छटाई/ग्रेडिंग, पेकिंग इकाईकी स्थापना हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई की लागत निर्धारित की गई है जिस पर 40 प्रतिशत सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड के रूप में देय है।

16.सेमीनार / वर्कशॉप (Seminar/ Workshop):

विभिन्न उद्यानिकी कार्यक्रमों की कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उद्यमियों को कृषकों से जोड़े जाने के लिये राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सेमीनार / वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना है। सेमीनार / वर्कशॉप का आयोजन जिला विशेष की आवश्यक्ता के मध्येनजर विषय का चयन किया जाकर किया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 20 व 21 पर संलग्न है।

सेमीनार / वर्कशॉप्स का आयोजन विषयवार सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स / आई.एच.आई.टी. सी / आत्मा परियोजना कार्यालय में स्थापित प्रशिक्षण कक्ष / कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि अनुसंधान केन्द्र / एटीसी पर आयोजित करवाया जावें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे की किसी भी परिस्थिति में निजी स्थान अथवा हॉटल आदि किराये पर लिये जाकर सेमीनार / वर्कशॉप्स का आयोजित नही कराये जाये।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन आवेदन प्रपत्र

उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव,
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला ....

आवेदक का फोटो

विषय :– राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोद्वय,

मैं उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित/ सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूं। विवरण निम्न प्रकार है–

1. कृषक/संस्था/आवेदक का नाम:..
2. पिता का नाम: ....
3. कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य):...
4. संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत):...
5. पूर्ण पता: ग्राम...ग्राम पंचायत...
   तहसील...जिला..
6. दूरभाष नम्बर..
7. मोबाईल नम्बर...
8. कार्यक्रम का नाम जो लेना है:...
9. आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमि (हैक्टर):...
10. खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधी लेनी है:..
11. कार्यक्रम/गतिविधि का क्षेत्रफल या संख्या:...
12. सिंचाई का साधन: ....डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावर:...............................
13. मिट्टी व पानी की जॉच रिर्पोट: (यदि आवश्यक हो तो):...

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है । योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हू की मैने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नही की है ।

दिनांक:

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत जिलेवार चयनित फसलें

क्र.स.	जिला	चयनित फसले
1	अजमेर	आंवला, बेलपत्र, बेर, नीबू, पपीता, अमरूद, अनार, मौसम्बी, गुलाब
2	अलवर	आंवला, बेलपत्र, बेर, अनार, पपीता, नींबू, मौसमी, गुलाब
3	बांसवाडा	आम, अमरूद, आंवला, नीबूं पपीता, अनार, मेथी, लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्च, गुलाब
4	बांरा	संतरा, नींबू, मौसमी, अमरूद, आवंला, बेलपत्र, धनिया, लहसुन, मेथी
5	बाडमेर	नींबू, बेर, आवंला, जीरा, अनार
6	भीलवाड़ा	अमरूद, बेलपत्र, नीबूं, बेर, आवंला, अनार, संतरा, जीरा, धनिया
7	बूंदी	अमरुद, चीकू,, आवंला, नींबू, पपीता, धनिया
8	चित्तौडगढ	पपीता, आंवला, आम, अमरूद, संतरा, नीबूं, बेलपत्र, सीताफल, धनिया, लहसुन, अदरक, हल्दी
9	डूंगरपुर	आम, बेर, नीबूं, आंवला, बेलपत्र, सीताफल
10	जयपुर	आंवला, बेलपत्र, नीबू, पपीता, अनार, अमरूद, बेर, जीरा, मेथी, गुलाब
11	जालौर	बेर, अनार, आंवला, बेलपत्र, जीरा, मिर्च, सौंफ
12	झालावाड़	मौसमी, आंवला, संतरा, पपीता, नीबूं, धनिया, मेथी, लहसुन
13	झुन्झूनू	नींबू, अनार, जोजोबा, बेर, बेलपत्र, आंवला, मैथी
14	जोधपुर	बेर, अनार, आंवला, बेलपत्र, नीबू, लहसुन, जीरा, सौंफ, मिर्च
15	करोली	आंवला, आम, अमरूद, नीबू, धनिया, मिर्च
16	कोटा	संतरा, अमरूद, नींबू, पपीता, अनार, आवंला, धनिया, मेथी, लहसुन, गुलाब
17	नागोर	नींबू, बेर, आंवला, पपीता, बेलपत्र, जीरा, मैथी
18	पाली	बेर, बेलपत्र, आंवला, अनार, नीबू, जीरा, सौंफ, मैथी, मिर्च
19	स.माधोपुर	अनार, आंवला, आम, पपीता, बेर, अमरूद, नीबू, धनिया, मैथी, जीरा, सौंफ, मिर्च
20	सिरोही	आम, अमरूद, बेलपत्र, अनार, आंवला, बेर, चीकू, पपीता, नींबू, सौंफ
21	श्रीगंगानगर	किन्नो, अनार, मौसमी, जोजोबा, आंवला, बेर, नीबूं
22	टोंक	अमरूद, नीबू, बेलपत्र, पपीता, आंवला, अनार, जीरा, मिर्च, सौंफ, गुलाब
23	उदयपुर	अमरूद, आम, बेलपत्र, आंवला, सीताफल, चीकू, नींबू, मौसमी
24	जैसलमेर	बेर, आंवला, नीबूं, अनार, जीरा

परिशिष्ठ–3

फलदार पौधों के जीवित्ता सत्यापन हेतु प्रपत्र

फसल .... (पौध रोपण के लिये एक वर्ष/दो वर्ष बाद माह मई–जून में)

क्र. सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	क्षेत्रफल	रोपित पौध संख्या	सत्यापन के दौरान जीवित पौध संख्या	प्रतिशत	सत्यापन दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

टीप. सत्यापन प्रतिवेदन, ग्रामवार, क्लस्टरवार एवं विकास खण्ड वार तैयार किया जावें

हस्ताक्षर

आदान परमिट प्रपत्र

प्रबन्धक,
क्रय–विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समिति
ग्राहय परीक्षण केन्द्र / आईपीएम प्रयोगशाला
....

विषयः अनुदानित दर पर आदान उपलब्ध कराने बाबत्।

कृषक श्री ....पुत्र श्री ....जाति .. .. ग्राम ....पंचायत समिति .... जिला .... को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के .... कार्यक्रम के अन्तर्गत .... प्रतिशत अथवा राशि रूपये ....प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अनुदानित दर पर कृषक हिस्सा राशि प्राप्त कर निम्न आदान उपलब्ध करावें ।

क्र.स.	आदानों के नाम	आदान कुल मात्रा मय पैकिंग साईज
1.	उर्वरक / पोषक तत्व / बीज 1. .... 2. .... 3. .... 1.	
2.	पौध संरक्षण रसायन / बायो पैस्टीसाइड 1. . ... 2. .... 3. .... 4.	

- बिल के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करवाकर आदान कृषक को स्वयं को उपलब्ध करावें।
- अनुदान क्लेम्स के भुगतान हेतु 15 दिवस में बिल मय कृषक सूची प्रस्तुत करावें।
- कृषक द्वारा शत् प्रतिशत राशि जमा कराकर आदान प्राप्त करने पर तीन प्रतियों में बिल उपलब्ध करावें, ताकि वह विभाग को अनुदान के क्लेम्स प्रेषित कर सके।

हस्ताक्षर

कृषक हस्ताक्षर

कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / कृषि अधिकारी
मुख्यालय.................................

परिशिष्ट- 5.

1. Name of Work:- Construction of Community Water Source Size 100.00x100.00x3.00 mt. Capacity 30,000 Cum, With Cement Concrete lining.

2. BSR:- Water Resource Deptt. Jaipur Circle 2014,

MODEL ESTIMATE. (I)

	Particular's of Item.	Qty.	Rate	Amount.
1	Earth Work in excavation. Work to be executed by Machineries. Excavation including loading, unloading disposal & dressing of excavated earth within initial lead of 50m. and lift of 1.50m. in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering where ever required complete in all respect Hard / Dense Soil.			
	$\frac{106.13+94.13}{2} \times \frac{106.13+94.13}{2} \times 3.00$	30078.05		
	94.13 x 94.13 x 0.065	575.92	59.00 Cum.	18,08,584.23
		29502.13 cum.		
2	Cement Concrete (1:2:4) M-15 well mixed and laid in position complete including all leads of all construction materials, including curing and finishing having well graded crusher broken stone aggregate of maximum size upto 20mm.			
	94.13 x 94.13 x 0.065	575.92		
	$4 \times \frac{106.13+94.13}{2} \times 6.70 \times 0.065$	174.42		
	2 x 108.00 x 1.00 x 0.065	14.04		
	2 x 106.00 x 1.00 x 0.065	13.78	3897.00 Cum.	30,32,489.52
		778.16 Cum.		
3	150 cm high fencing of pre-cast R.C. posts of 15cm x 15cm tapered to 10x10 cm. at top, placed at every 3 mt apart, 30 cm in ground embedded in cement concrete ...			

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक/उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

S No	Particular's of Item	Qty.	Rate	Amount
	(30x30x45cm) Corner and every tenth post to be strutted with same R.C post, provided with 6 horizontal line and two diagonals of Black Barbed wire between the two posts fitted and fixed with G.I. Staples, Including Earth Work in excavation etc. Complete inclusive of dewatering wherever required. 4x108.00	432.00 m.	204.00 m.	88128.00
				Rs 49,29,201.75
	Deducting 10% Contractor's Profit (as work is to be executed by Farmer)			(-) Rs 4,92920.17
				44,36,281.58
				Say Rs 44.36 Lacs

4/13/11
राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

COMMUNITY WATER SOURCE.

100.00×100.00×3.00M WITH HDPE SHEET LINING

CAPACITY - 30,000 Cum.

OR 3,00,00000 Liters,

(N.T.S.)

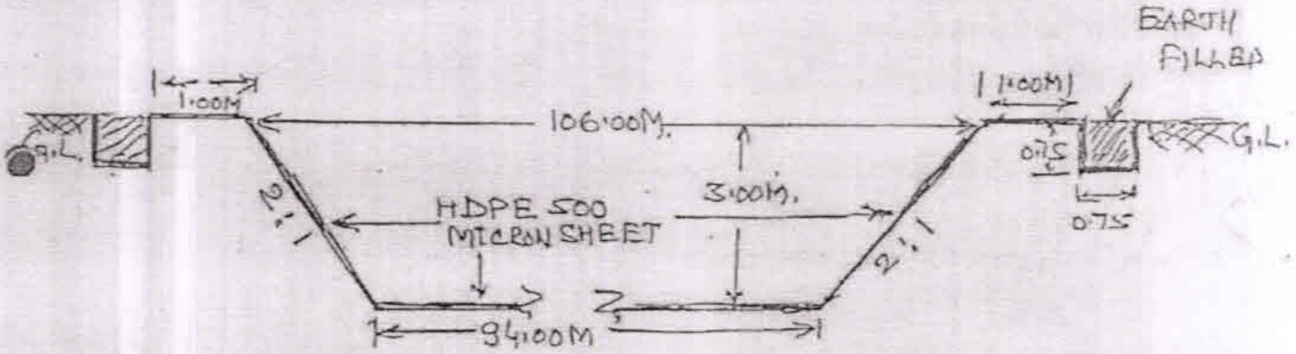

CROSS-SECTIONAL VIEW.

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक/उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

1. Name of Work :- Construction of Community Water Source, Size 100.00 x 100.00 x 3.00 m. Capacity 30,000 Cum, with 500 micron Lining Sheet.

2. BSR :- Water Resource Deptt, Jaipur District 2014, & Rate approved by Department.

MODEL - ESTIMATE.

S. No.	Particulars of Item.	Qty.	Rate	Amount
1	Earth Work in excavation. Work to be executed by machinaries. Excavation including loading, unloading, disposal & dressing of excavated earth within initial lead of 50m. & lift upto 1.50m, in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering where ever required. Complete in all respect Hard / Dense Soil.			
	$\frac{106.00+94.00}{2} \times \frac{106.00+94.00}{2} \times 3.00$	30,000.00		
	2 x 109.50 x 0.75 x 0.75	123.18		
	2 x 108.00 x 0.75 x 0.75	121.15	59.00	17,84,436.12
		30244.68 Cum.	Cum	
2	Supply & laying of Geo-membrane (BSI-15351/2015)			
	Bottom. 94.00 x 94.00	8836.00		
	Sides 4 x $\frac{106.00+94.00}{2}$ x 6.70	2680.00		
	2x109.50x(1.00+0.75+0.75+0.75)	711.75		
	2x108.00x(1.00+0.75+0.75+0.75)	702.00		
		12929.75		
	Adding 2% for Overlapping +	258.57		
		13188.34 Sqm.	115.00 Sqm.	15,16,659.10
	(Rate 97.46 + 18% GST)			

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

S No	Particular's of Item.	Qty.	Rate	Amount
3.	150 cm. high fencing of pre-Cast R.C. posts of 15cm x 15cm tapered to 10x10 cm. at top, placed at every 3.00m. apart; 30cm in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6 (30x30x45cm) Corner and every ~~[illegible]~~ tenth, post to be Strutted with Same R.C post, provided with 6 horizontal line and two diagonals of Black Barbed wire between the two posts fitted and fixed with G.I. staples, including earth work in excavation etc. Complete. inclusive of dewatering where ever required	---		
	4 x 110.00	440.00 mt.	204.00 / mt	89760.00
				Rs. 3390855.22
	Deduction 10% C.P. of Item No 1 & 3. (As work is to be executed by farmer) (10% of Rs 1874196.12)			(-) Rs 1,87,419.61
				Rs 32,03435.61
				Say 32.035 Lacs

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस).
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

COMMUNITY WATER SOURCE.

100.00 x 100.00 x 3.00 M. WITH C.C. LINING.

CAPACITY - 30,000 Cum.

OR - 3,00,00000 Liters.

(N.T.S.)

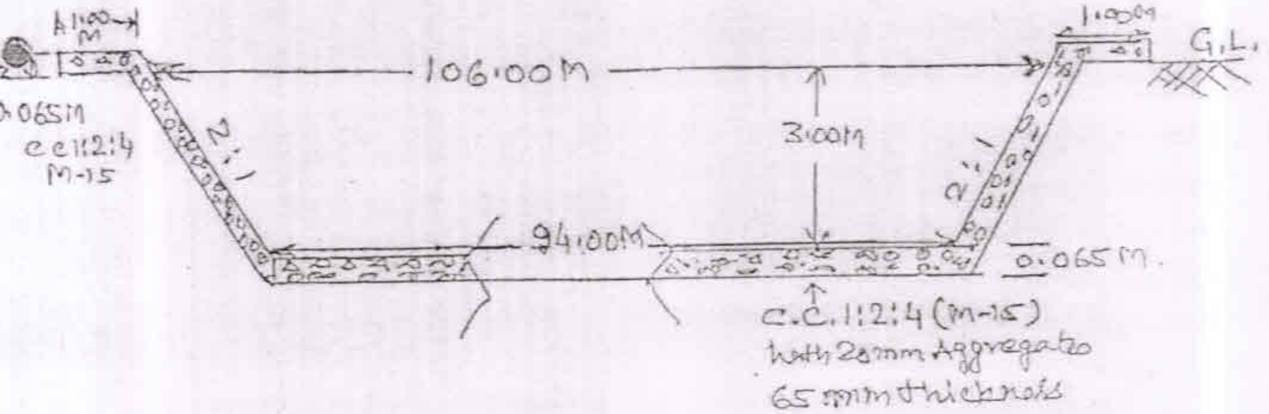

CROSS-SECTIONAL VIEW

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

1. Name of Work :- Construction of Individual Water Source. Of Size 20.00x20.00x3.00 mt - 1200 Cum. Capacity having C.C. lining.

2. BSR :- Water Resource Deptt. Jaipur Distt. 2014.

MODEL - ESTIMATE. (1)

S. No.	Particular's of Item.	Qty	Rate	Amt.
1	Earth Work in excavation. Work to be executed by Machinaries Excavation including loading, unloading disposal & dressing of excavated earth within initial lead of 50 m & lift upto 1.50 m, in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering where ever required, Complete in all respect. Hard / Dense Soil.			
	$\frac{23.13+17.13}{2} \times \frac{23.13+17.13}{2} \times 3.00$	1215.65		
	17.13 x 17.13 x 0.065	19.07		
		1234.72 Cum.	59.00 Cum	72,848.48
2	Cement Concrete (1:2:4) M-15 Well mixed and laid in position Complete, including all leads of all Construction materials including curing & finishing, having well graded crusher broken stone aggregate of maximum size upto 20 mm.			
	17.13 x 17.13 x 0.065	19.07		
	$4 \times \frac{23.13+17.13}{2} \times 4.24 \times 0.065$	22.19		
	2 x 25.00 x 1.00 x 0.065	3.25		
	2 x 23.00 x 1.00 x 0.065	2.99		
		47.50 Cum	3897.00 Cum.	1,85,107.50.
3	150 Cm. high fencing of pre Cast RC post of 15 cm x 15 cm, tapered to 10x10 cm. at top, placed at every 3.00 mt. apart, 30 cm in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6 (30x30x45 cm) Corner and every tenth posts to			

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

S. No.	Particulars of Item	Qty.	Rate	Amount
	to be strutted with same R.C. post, provided with 6 horizonal line & two diagonals of Barbed wire between the two posts fitted & fixed with G.I. Staples, including earth work in excavation etc. Complete. inclusive of dewatering where ever required. 4 x 26.00	104.00 mt.	204.00	21,216.00
				Rs 2,79,171.98
	Deducting 10% C.P. (As work to be executed by Farmer)		(-) Rs	27,917.19
				Rs 2,51,254.79
			Say Rs 2.512 Lacs	

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

INDIVIDUAL WATER SOURCE

20.00 X 20.00 X 3.00 M WITH C.C. LINING

CAPACTY 1200 Cum.

OR 12,00000 Ltrs.

(NTS.)

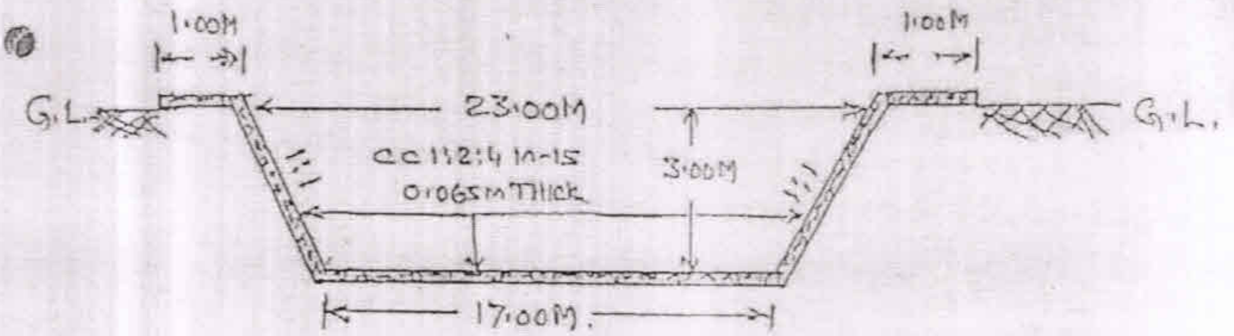

CROSS-SECTIONAL VIEW.

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(1)

1. Name of Work: - Construction of Individual Water Source.
Size 20.00x20.00x3.00 m. - 1200 Cum Capacity
with 300 micron HDPE Lining Sheet
2. BSR :- Water Resource Deptt. Distt-Jaipur - 2014,

MODEL - ESTIMATE.

S. No.	Particulars of Item.	Qty.	Rate	Amount.
1.	Earth Work in excavation Work to be executed by machineries. Excavation including loading, unloading, disposal & dressing of excavated earth, within initial lead of 50m. and lift upto 1.50m. in dry or moist, including dressing of excavated area, dewatering wherever required, Complete in all respect.			
	Hard / Dense Soil.			
	$\frac{23.00+17.00}{2} \times \frac{23.00+17.00}{2} \times 3.00$	1200.00		
	2x 26.50x 0.75x0.75	29.81		
	2x 25.00x 0.75x0.75	28.25	59.00	Rs 74,225.54
		1258.06 Cum	Cum.	
2.	Supply & laying of HDPE-Geo-membrane 300 micron.			
	Bottom - 17.00x 17.00	289.00 Sqm		
	$4 \times \frac{23.00+17.00}{2} \times 4.24$	339.20		
	2 x 25.00x(1.00+0.75+0.75+0.75)	162.50		
	2 x 23.00x(1.00+0.75+0.75+0.75)	149.50		
		940.20 Sqm		
	Add 2% for overlapping +	18.80		
		959.00 Sqm.	82.60 Sqm.	79 213.40
	(Rate 70.00/Sqm + 18% GST)			

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

67

(2)

S. No	Particular's of Item.	Qty.	Rate	Amount.
3.	150 cm. high fencing of pre-cast R.C. Posts of 15cm x 15cm, tapered to 10x10 cm. at Top, placed at every 3 m. apart. 30cm. in ground embedded in Cement Concrete 1:3:6 (30x30x45 cm), Corner and every tenth Post to be strutted with same R.C. Post, provided with 6 wire horizontal line and two diagonals of Black Barbed wire between the two post fitted and fixed with G.I. Staples, including earth work in excavation etc. Complete inclusive of ... where ever required. 4x28.00	104.00 mt	204.00 mt	21216.00
				Rs1,74,654.94
	Deducting 10% C.P. in item 40 & 43 C Rs 95441.54			(-) Rs 9544.15
	(As work to be executed by farmer)			
				Rs1,65,110.79
		Say Rs 1.651 Lacs		

सुनील/ 011
राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक/उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

(3)

INDIVIDUAL WATER SOURCE.

SIZE 20.00 X 20.00 X 3.00 – 1200 Cum.

OR – 12,00000 Ltrs.

(N.T.S.)

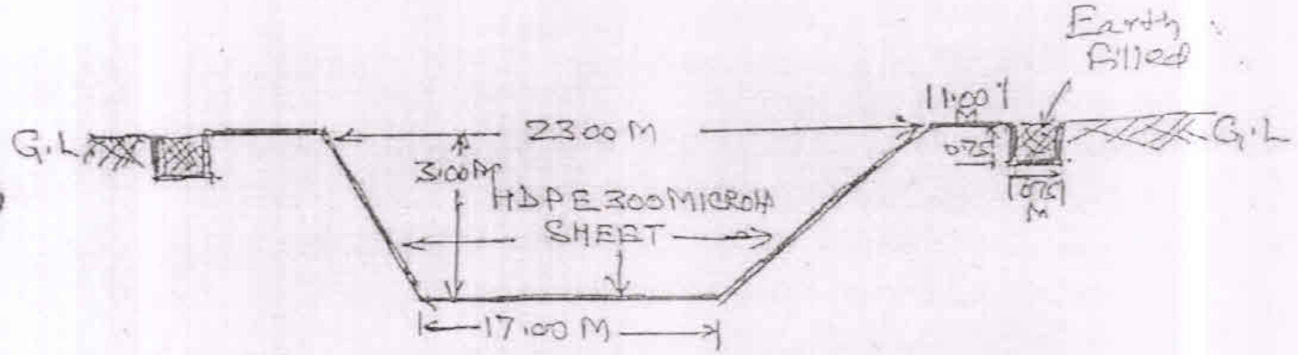

CROSS-SECTIONAL VIEW.

अधिशाषी अभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति, चूरू

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

FENCING WORK

(N.T.S.)

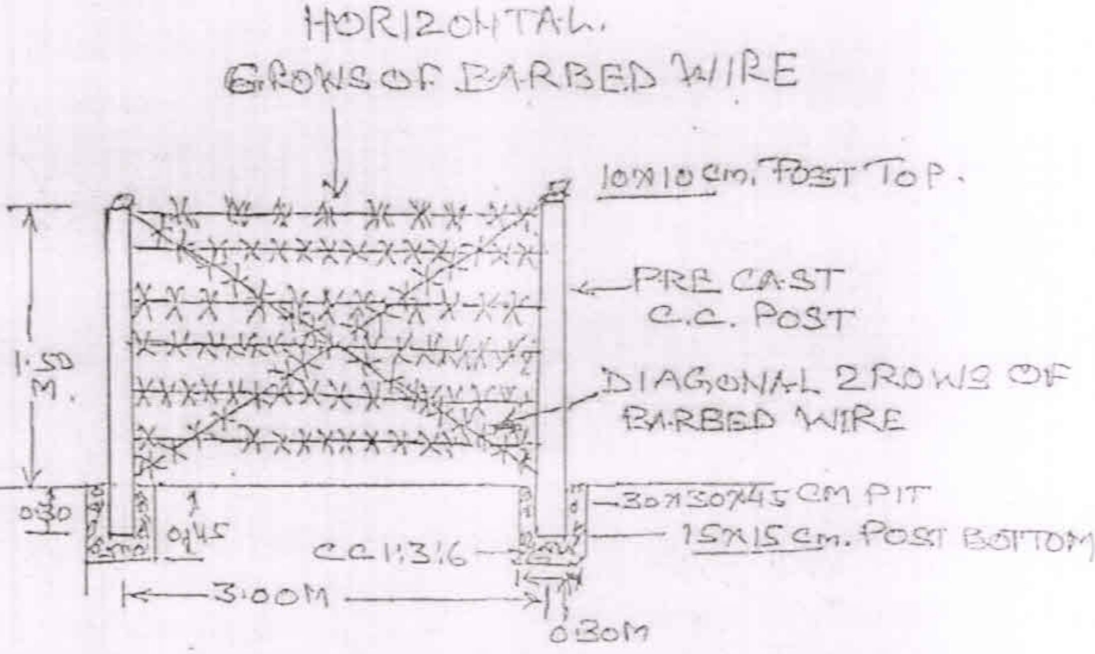

CROSS-SECTIONAL VIEWE OF FENCING

अधिशाषी अभियन्ता
...ल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
... पंचायत समिति, चूरू

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

Annexure-6

राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: F.21 (1)MD/NHM-RKVY/GH/RC/2021-22/2330-2421 दिनांक: 04.01.2022

1. M/s Lamba Motors Bagru, Opp. Ankit Hotel, NH-8 Ajmer Road, Bagru, Diss.- Jaipur-303007
2. M/s Pipes and Flow Products, 537, 5th Floor Manlam Fun Squar, Durgnursery Road, Udaipur-313001
3. M/s Rajasthan Horticulture Tools,D-44, Jyoti Marg, Bapu Nagar Jaipur.
4. M/s Rama Agro India, 728, ARG Group North Avenue, Sikar Road, Opp. Anaj Mandi, Jaipur-302013
5. M/s Shri Narayan Green House Infra. Pvt.ltd. 10, Main Road, Village Simlawara, Tehsil & Dist. Ratlam (MP)-457441
6. M/s Varun Irrigation Projects, 148, Sunny Mart, Near Atish Market, Gujar ki Thadi, jaipur

विषयः–राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं अन्य बागवानी योजनाओं के अन्तर्गत ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस मय सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य ढॉचागत सुविधाओं हेतु फर्मस की दर संविदा (Rate Contract) बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं अन्य बागवानी योजनाओं के संरक्षित खेती कार्यकम अन्तर्गत ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस मय सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य ढॉचागत सुविधाओं हेतु जारी ई–टेन्डर आई.डी 2021_HORTI_231639_1 में योग्य पायी गयी फर्मस से एक वर्ष (दिनांक 03.01.2023 तक) के लिये उनके नीचे अंकित दरो पर दर अनुबंध (Rate Contract) किया जाता है:–

(दर रूपये प्रति वर्ग मीटर)

क्र.स.	आइटम्स	फर्म्स का नाम मय दर (Excluding GST)						
		Lamba Motors	Pipes and Flow Products	Rajasthan Horticulture Tools	Rama Agro India	Shri Narayan Green House Infra. Pvt. ltd.	Varun Irrigation Projects	भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान दर
	फर्म्स की श्रेणी	MSME	MSME	MSME	MSME	MSME	MSME	
	A. Green House (tubular type)							
1	of size 560 (20mX28m)	1041						935
2	of size 1008 sqm. (28mX36m)	978						935
3	of size 1008 sqm. (36mX28m)	978						935
4	of size 2016 sqm. (36mX56m)	910						890
5	of size 2992 sqm. (68mX44m)	860						844
6	of size 2992 sqm. (44mX68m)	840						844
7	of size 4048 sqm. (44mX92m)	820						844
8	of size 4048 sqm. (92mX44m)	850						844
	B. Shade Net House Type1							
1	of size 560 sqm. (20mX28m)	765						710
2	of size 1008 sqm. (28mX36m)	700						710
3	of size 2160 sqm. (60mX36m)	670						710
4	of size 2992 sqm. (68mX44m)	648						710
5	of size 4048 sqm. (92mX44m)	639						710
	Shade Net House Type2							
1	of size 2024sqm. (46mX44m)	645						710
2	of size 4096 sqm. (64mX64m)	625						710

कृ.पृ.उ.

उक्त दर संविदा की मुख्य शर्ते निम्नानुसार है।

1. उक्त फर्मस को संपादित अनुबंध, योजना दिशा–निर्देश एवं इस हेतु जारी ई–निविदा के नियम, शर्तो व तकनीकी माप दण्डों का कठोरता से पालन करते हुये कृषकों के यहाँ पत्र के साथ संलग्न डिजाइन्स के अनुसार ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस व ई–निविदा में उल्लेखित तकनिकी मापदण्ड अनुसार शेडनेट हाउस का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं उक्त दर संविदा में प्राप्त दरों में से जो भी दरें कम होगी, उनके अनुसार अनुदान देय होगा।
3. कार्यादेश के समय या पूर्व में परफोरमेन्स सेक्यूरिटी (In the form of BG/DD/Banker'scheque/e-GRAS/FDR/NSC) के रुप में अनुबंधित सामान्य फर्मस को लागत राशि की 2.5 प्रतिशत व MSME फर्मस को 0.5 प्रतिशत राशि संबंधित जिला कार्यालय में जमा करानी होगी।
4. इस हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लेखित अनुसार ग्रीन हाउस/पोली हाउस, शेडनेट हाउस के निर्माण से पूर्व कृषक व संबधित जिले की हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी के साथ निर्धारित प्रारूप में त्रि–पक्षीय अनुबंध संपादित करना होगा।
5. फर्मस द्वारा तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित मापदण्डानुसार एवं उपलब्ध करायी गई सामग्री मौका निरीक्षण के दौरान सही नहीं पाये जाने पर दर संविदा शर्तो के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
6. यदि इस अवधि में राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस मय सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य ढ़ॉचागत सुविधाओं हेतु निर्माण के मापदण्ड व नियम शर्तों में कोई बदलाव किया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही करके विभाग को दर संविदा अनुबंद निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. फर्मस द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेज यदि मिथ्या/कूटरचित/जाली पाये गये तो निविदा शर्तों एवं RTPP Act. 2012 and RTPP Rule 2013 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

संलग्नः–ई–निविदा के नियम शर्ते, विभाग व फर्म के साथ अनुबंध ड्राफ्ट, त्रि–पक्षीय अनुबंध ड्राफ्ट, तकनीकी मापदण्ड एवं ग्रीनहाउस डिजाइन्स के परिशिष्ट।

04/01/2022
(अभिमन्यु कुमार)
आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर

कंमाकः F.21 (1)MD/NHM-RKVY/GH/RC/2021-22/ 2330 - 2421 दिनांकः 04.01.2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बाडमेर/करौली/सिरोही/झुन्झनु/डूगरपुर/जैसलमेर/अजमेर/अलवर/बासंवाडा/झालावाड/नागोर/सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर/भीलवाडा/चित्तोडगढ/टोंक/जालोर/पाली/बुन्दी/बांरा/बीकानेर/भरतपुर/हनुमानगढ / दौसा/धोलपुर/चुरू/राजसमंद/प्रतापगढ सीकर।
2. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक उद्यान, खण्ड जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/ सीकर/जालौर/ भीलवाडा /श्रीगंगानगर।
3. उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/उदयपुर/बाडमेर/करौली/सिरोही/झुन्झनु/डूगरपुर/जैसलमेर/अजमेर /अलवर/ बासंवाडा/झालावाड/नागोर/सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर/भीलवाडा/चित्तोडगढ/टोंक/जालोर/पाली/बुन्दी/बांरा/बीकानेर/भरतपुर/हनुमानगढ/दौसा/धोलपुर/चुरू/राजसमंद/प्रतापगढ /सीकर को भेजकर लेख है कि अनुबंधित फर्मस व ग्रीन हाउस/पोली हाउस, शेडनेट हाउस के तकनीकी मापदण्ड एवं योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करके कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराते हुये इच्छुक कृषकों को आवंटित लक्ष्यों के अधीन दिशा–निर्देशानुसार ग्रीन हाउस/पोली हाउस, शेडनेट हाउस पर अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही करावें।

(राम ललित मीणा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)

Annexure - 6

1. **Sizes for price proposals:**
   Each applicant should submit price proposals with technical specification as per following sizes:

I **Green House/ Poly house designs (Tubular Structure):**

S.No.	Area in Sq.m.	Length (m.)	Width (m.)
1	560	20	28
2	1008	28	36
3	1008	36	28
4	2016	36	56
5	2992	68	44
6	2992	44	68
7	4048	44	92
8	4048	92	44

II **(a) Shade net house Tubular (High Cost Model) designs Type 1:**

S.No.	Area in Sq.m.	Length (m.)	Width (m.)
1	560	20	28
2	1008	28	36
3	2160	60	36
4	2992	68	44
5	4048	92	44

(b) Shade net house Tubular (High Cost Model) designs Type 2:

S.No.	Area in Sq.m.	Length (m.)	Width (m.)
1	2024	46	44
2	4096	46	46

2. **Terms & Conditions for the bid:**
   i) The applicant shall provide free after sales service to the farmers for three years. Also the applicant should set up service centers for providing technological and agronomic support in Rajasthan. The work should be accomplished directly by the concerned applicant only. The applicant should authenticate the technical quality aspects. In the event, that applicant fails to abide by its commitments, appropriate action will be taken.
   ii) Manufacturing unit (factory) may be inspected before approval or as and when Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Jaipur feels necessary to ensure the performance and quality of the product. Any official nominated by the RHDS, will do inspection.
   iii) Random sampling will be performed from the manufacturing unit/ authorized dealer will as and when required, to ascertain the quality of supplies. Provision of third party inspection from any authentic agency will also be kept so as to take samples and the testing done from a reputed test house for the same purpose. If any complaint is received regarding quality of the material used by manufacturer in green house & shade net house & RHDS feels to get testing of the material, the cost of testing shall be borne by the concerned empanelled firm. For first failure of the sample, notice will be issued to the

73

concerned empanelled firm to rectify the same at his own cost and if second sample of any manufacturer fail, the rate contract of the same will be withdrawn for rest of the financial year.

iv) Random sampling of minimum 10% of Green house/Shade net house of each Firm installed at Farmers field will be carried out to ascertain the quality and if, any sample is found sub standard, penalty will be imposed as per norms and necessary action against the firm will also be taken.

v) In the event of any complaint regarding after sales service or supply of defective/sub standard material or defective design is received, the empanelled agency shall have to rectify the defects within a period of 15 days. Penalty of Rs. 50000/ will be imposed for such defect in addition to rectification of the defect at their own cost. If the applicant fails to comply, the bank guarantee shall be liable to be forfeited in part or as a whole on merits. The applicant will also be liable to be blacklisted and they will not be registered in future for a period of three years.

vi) In case of detection of failures in design/ erection of GH/ SNH or supply of poor sub standard quality material; the concerned applicant will be issued warning for first offence. In case of subsequent offences, the applicant will be black listed/ de-paneled and debarred from participating in the Scheme in addition to invoking of bank guarantee furnished by their dealers.

vii) The firm/ manufacturer should display details of the all materials used in construction/ erection of green house and shade net house along with their specification (Number, size & thickness or any other as the case may be) at the entry gate of GH/ SNH on non erasable flake/ board.

viii) In case of any delay in construction/ erection of green house and shade net house from prescribed time limit, liquidated damages (LD) will be deducted as per GF&AR Part II Rules 58 is as below:-

(a) Delay up to one fourth period of the prescribed time for completion of work: 2.5%

(b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed time for completion of work: 5%

(c) Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed time for completion of work: 7.5%

(d) Delay exceeding three fourth of the prescribed time for completion of work: 10%

ix) The RHDS is free to evolve strong punitive measure against erring companies as well as against their own staff, in order to safeguard the interests of farmers and in order to ensure qualitative utilization of public funds.

x) Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Jaipur reserves the right to reject/ cancel the rate contract of the offers of applicant at any time if he is satisfied that it is desirable to do so in farmer's interest, after giving an opportunity of hearing to such an applicant. The decision of Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Jaipur shall be final and binding.

xi) Rate contract will be subject to any other conditions from time to time, which the Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Jaipur may feel necessary to safeguard the interest of farmers.

xii) The applicants have to submit rates for installation of R.O. system for 4000 square meter model of Green House and Shade Net House. Installation of R.O. system will be on optional basis, no subsidy will be provided and applicable according to the choice of the applicant/farmer.

xiii) The applicant will install generator set in Green House and Shade Net House as optional basis and no subsidy will be provided.

xiv) The applicant shall ensure the insurance of Green House and Shade Net House from a reputed Insurance Company just after completion of construction work for three years and will have to submit the insurance certificate to the farmer with the intimation of concerned district officer.

xv) The applicant should provide help to the farmer for settlement of insurance claim & assist in submitting prima facie report of the damages occurred within the scope of the insurance policy if, required.

xvi) The empanelled firm shall not sub -contract the entire work of construction of Green house /Shade net house to the associate dealer/distributor/other party. If, firm is found to be sub-contracting the entire work of contraction, the rate contract of such firm shall be cancelled by the authority.

xvii) A tri party agreement would be mandatory for functional working of Green House and Shade Net House between concerned Horticulture Development Society of the district, Farmer/Applicant and authorized firm/manufacturer in the prescribed format annexed with rate contract document and it will be treated as part of bid document.

xviii) In case of any disputes between farmer and firm/manufacturer regarding green house shade net house and related matters after verification by the designated committee & satisfaction of the farmer and firm with the verification report, the firm/manufacturer only be responsible for legal matters in this regard & department will not be any part of legal proceedings, if any.

xix) Component wise rate of different size Green House and Shade Net House structure must be submitted by applicant as per the prescribed format.

xx) The selected Bid applicants have to execute an agreement on non judicial stamp paper of Rs.500/-failing which it will be presumed that the applicant is not interested in execution of the work and its offer will be treated as withdrawn and EMD will be forfeited.

xxi) Rate contract shall remain valid for a period one year from the date of issue of letter of rate contract to the successful bidders.

xxii) Bidding entity disclaims any quantity commitment as farmer is free to select any of firms enlisted for the supply.

xxiii) Preferences to MSME firms will be given as per Govt. of Rajasthan guidelines/rules.

xxiv) The prices under a rate contract shall be subject to price fall clause. A clause regarding price fall shall be incorporated in the terms and conditions of rate contract. Price fall clause is a price safety mechanism in rate con-tracts and it provides that if the rate contract holder quotes/ reduces its price to render similar goods, works or ser-vices at a price lower than the rate contract price to any-one in the State at any time the during the currency of the rate contract, the rate contract price shall be automatically re-duced with effect from the date of reducing or quoting lower price, for all delivery of the subject matter of procurement under that rate contract and the rate contract shall be amended accordingly. The firms holding parallel rate contracts shall also be given opportunity to reduce their price by notifying them the reduced price giving them fifteen days time to intimate their acceptance to the revised price. Similarly, if a parallel rate contract holding firm reduces its price during currency of the rate contract, its reduced price shall be conveyed to other parallel rate contract holding firms and the original rate contract holding firm for corresponding reduction in their prices. If any rate contract holding firm does not agree to the reduced price, further transaction with it, shall not be conducted.

75

6. **Selection Method:** Rates of lowest bidder (L1) shall be considered as base rate and RHDS intends to enlist all the technically responsive bidder for the rate contract, subject to matching L1 rates (base rates).

7. **Specification for Poly House:**

Height of Gutter - 4.5 m
Total Height of greenhouse- 6.5 m to 7.0 m
Height of top Vent- 1m to 1.2 m
Bay Size- 8 X 4 m

A. **Structure**

Complete structure made of galvanized steel tubular pipes. The structural member should be joined with fasteners properly. Welding of structure is not recommended.

a) **Frame components (GI pipes):**

S. No.	Description	Specification
1.	Main Column	76 mm OD & 2 mm thick (@ 3.75 kg per meter)
2.	Small column along length	76 mm OD & 2 mm thick (@ 3.75 kg per meter)
3.	Small Column along width	76 mm OD & 2 mm thick (@ 3.75 kg per meter)
4.	Foundation Stub	60 mm OD & 3.0 mm thick (@ 4.20 kg per meter)
5.	Corridor along length	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
6.	Corridor along width	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
7.	Small bottom chord along length	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
8.	Small bottom chord along width	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
9.	Big Bottom chord	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
10.	Mid poll	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
11.	End Purlin	48 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.3 kg per meter)
12.	First top purlin	48 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.3 kg per meter)
13.	Second top purlin	48 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.3 kg per meter)
14.	4 Mtr. gutter purlin	42 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
15.	Curtain runner	42 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
16.	6 mtr. gutter purlin	42 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
17.	Horizontal member	42 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
18.	Big arc	42 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
19.	Small arc	42 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
20.	Knee Bracing and Small Inclined	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
21.	Big Inclined strut	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
22.	Top chord runner in last bay	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
23.	Cross Bracing	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
24.	Curtain pipe	27 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.30 kg per meter)
25.	Curtain pipe handle	27 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.30 kg per meter)
26.	Flap control pipe	21 mm OD & 2.0 mm thick
27.	Vent stay	21 mm OD & 2.0 mm thick

b) **Fixtures and accessories:**

S. No.	Description	Specification
1.	Angle Bracket	ISA 40 X 40 X 4
2.	Full angle Cleat	ISA 40 X 40 X 3
3.	Half angle Cleat	ISA 40 X 40 X 3
4.	Flat Patti	25 MM X 5 MM
5.	76 ID Full Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick

76

6.	76 ID Half Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
7.	60 ID Full Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
8.	60 ID Half Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
9.	43 ID Full Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
10.	43 ID Half Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
11.	T-Fixtures	33 mm OD & 2.0 mm thick
12.	L-Fixtures	33 mm OD & 2.0 mm thick
13.	Curtain Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
14.	Universal Joint	20 mm sq. bar
15.	Stud Cover	21 mm OD & 2.0 mm thick
16.	Curtain Pipe Insert	21 mm OD & 2.0 mm thick
17.	Self Trapping Screw	20 mm length
18.	Bitumen Washer	3.0 mm thick
19.	Spring Insert (Plastic Coat)	2.3 mm dia.
20.	Spring Insert (Platting)	2.3 mm dia.
21.	M 10 X 125	10 mm dia.
22.	M 10 X 100	10 mm dia.
23.	M 10 X 90	10 mm dia.
24.	M 10 X 40	10 mm dia.
25.	M 10 Nuts	10 mm dia.
26.	M 10 washers	10 mm dia.
27.	M 8 X 200	8 mm dia.
28.	M 8 X 90	8 mm dia.
29.	M 8 X 65	8 mm dia.
30.	M 8 Nuts	8 mm dia.
31.	M 8 washers	8 mm dia.
32.	M 6 X 75	6 mm dia.
33.	M 6 X 20	6 mm dia.
34.	M 6 Nuts	6 mm dia.
35.	M 6 washers	6 mm dia.
36.	GI Wire 2 mm	2 mm dia.
37.	GI 33 mm pipe for Apron	33 mm dia.
38.	Pulley with clamp HDPE/ MS	40 mm dia.
39.	Rings stainless steel	20 mm dia.
40.	Nylon Rope	8 mm dia.

Note: All nut and bolts must be GI (hot dip)

c) Door assembly:

Entry Room (2 door of Aluminum and poly carbonate mix)		
S. No.	**Description**	**Specification**
1.	Entry room size	4 m x 4 m, 4 m x 3 m, 3 m x 3 m
2.	No of doors	02 (inner door may be of frame stitched with 40 mesh insect net of minimum 50 cm overlapping)
3.	Door size	3 m x 3 m; Door of wire gauge angle framed
4.	Frame of door (ISA four sides to cover the gap below the door)	Galvanized
5.	Half part of door (Downside)	Aluminum sheet
6.	Upper half part of door	Poly carbonate sheet 5 mm thick
7.	Flooring	50 mm PCC flooring over 75 mm thick sub base
8.	Foot wash basin	2 feet x 3 feet x 0.5 feet depth near outer door inside entry room
9.	G Section	3.7 m. Long 40x40m and 5.5 mtr. Long minimum
10.	Roller	Should slide easily in g section
11.	Bottom Pipe	60 mm OD & 2.0 mm thick

77

12.	Top Pipe	60 mm OD & 2.0 mm thick
13.	Door Support	43 mm & 33 mm OD, 2.0 mm thick
14.	Door Corridor	33 mm OD & 2.0 mm thick
15.-	Pipe Half Cut Slider	60 mm OD & 2.0 mm thick
16.	Hinges	60 mm OD & 2.0 mm thick

d) Profile and gutter:

PROFILE AND GUTTER			
S. No.	**Part Name**	**Specification**	**Description**
1.	Profile	Aluminum double locking profile	200 to 220 g per running meter (±5% to be allowed)
2.	Gutter, 1.5 to 2.0% slope, max. gutter length upto 92 m.	Plastic drainage sheet (Single piece) OR GI drainage sheet 2.0 mm thick and with industrial press. OR GI drainage sheet 1.20 mm thick with 42mm x 4 Mtr. gutter purlin will be compulsory (Single piece, if supported on arch) Gutter line attached with 100 mm drainage HDPE pipe including bend up to ground level.	Virgin, UV stabilized 1.4 mm thick and 600 mm wide 500 mm wide
3.	Zigzag spring insert	High carbon steel wire for repeated action, 2.3 mm dia	Pvc coated GI spring over 2 inch strip of new poly film over the main plastic in profile. (25% over lapping)

e) Polyethene:

The applicant firm/manufacturer should submit details of make (s) and quality parameters of the polyethene sheet to be used in green house and tie-up with polyethene supplier (s) on Rs. 500/-Non Judicial stamp paper along with necessary documents regarding quality assurance and specifications of the polythene sheet as per IS 15827:2019.

Polyethene specifications	
Description	**Specification**
Multi-layered Polyethene co-extruded	**Fixed properties** - 200 micron thick PE film having proprieties like UV stabilized (3 years), Thermic, diffused (>60%) Anti dust, Anti drip, IR Reflective cooling having minimum 80% level of light transmittance. **Optional property** - Anti sulphur (minimum sulphur 2000ppm, chlorine 150ppm, Iron 100ppm) for the crops where sulphur consumption is high. For ex - rose cultivation (As per farmer choice).

f) Shade net and Insect net:

40 Mesh Insect Net Manufactured from 100% virgin HDPE mono Filament with 115-120 GSM, 0.24 yarn diameter, 40x24 Knitting grid with 3 year life Under curtain. Variance (+-) range of 3to 5% in above mentioned specifications as per IS 16513:2016

78

50 % Manually movable as per IS 16008:2016 part-I White Shade net or Mono net as per IS 16008:2016 part-II with 100 GSM (On top underneath polythene)
35% or 50% as per IS 16008:2016 part-I Shade net or Mono net as per IS 16008:2016 part-II with 115-120 GSM on each top ventilation
40 mesh insect net 115-120 GSM, 0.24 yarn diameter, 40x24 Knitting grid with 3 year life Under curtain fitted at each side curtain. Variance(+-)range of 3to 5% in above mentioned specifications as per IS 16513:2016

Importer/ traders supplying shade net /insect net of above standards will also be allowed.

g) **The foundations** – Telescopic type. A pit of 60 cm x 60 cm x 75 cm depth to be filled with concrete in a ratio of 1:2:4 after completing the foundations, 10 days of curing is must.

h) Irrigation System:

1) Filter Unit with platform – Sand + Disc Filter 2" , PRV 1.5" , NRV 2", Throttle valve 1.5", ARV 1-1.5", Ventury with manifold 1-2", By pass Assembly, Flush valve 2", Pressure gauge (3) with GI fitting accessories.
2) PVC Control Valve 2" – All valve will be installed at one place.
3) Inline 16mm/cl-2/1-3 lph/30 c.m. - Used only PCND inline 02 nos. for each bed.
4) Drip lateral 16mm/cl-2 – Lateral must be fixed with GI wire on top and 4 way Fogger of 10-28 lph flow rate should be installed at 2.5 x 2.5 mtr. Spacing and particle size 80 to 100 micron.
5) Micro sprinkler 40 to 100 lph at each top vent of Green house at 4.0 mtr spacing.
6) Automation for fogger and micro sprinkler but power supply for controller and pump are responsibility of farmer. Installation of Automation will be on optional basis, no subsidy will be provided and applicable according to the choice of the applicant/farmer.
7) Provide Temperature and Humidity meter.
8) BIS Standards will be applicable for all the irrigation components.

i) General Terms and Conditions:

1) No pipes should be found welded except long bottom pipe (8 m length). Rest all length GI pipes are available in the market.
2) The white shade net 50% to be used at the top inside the poly house.
3) The apron height must be 1.25 to 1.5 m from ground.
4) The apron plastic must be buried in the ground at least 30 cm from ground level.
5) The apron plastic must come with 3 year warranty.
6) The apron plastic must be laminated on both sided.
7) The curtain pipe should be cut near the door in case door is placed at the centre of the side wall.
8) 40 mesh insect net UV stabilized to be used to all the four sides of a poly house.
9) The main column and small column must touch the concrete of the foundation and the foundation pipe should not be visible. In other words, the foundations should be leveled.
10) Supplier should ensure pre-check of green house construction materials for specifications by district officer after supply of materials at site and before erection.
11) If fixtures found rusted the structure will be considered incomplete.

12) In case of top polyfilm fitted to the arches, if the length of top is more than 30 m, then the top plastic to be fitted to arch at every 24 m length by using profile and zig zag spring to avoid flapping of top plastic during winds.
13) Self-drilling screw in profile should not be more than 30 cm apart.
14) While installing the multilayer polyfilm, first ensure that respective layers are facing the right direction as shown on film (e.g. inside out)
15) Provide a sample of one sqm size of polyfilm having manufacturer's identification mark along with batch no. along with test certificate from the manufacturer for each batch
16) Film should be tensioned tightly enough so that there should not be flapping during windy days.
17) The structural design should be sound enough to withstand wind velocity of 120 km/hr. and having trellis mechanism to withstand minimum crop load of 25 kg/m2. There should be provision for opening one portion at either side for entry of small tractor /power tiller for intercultural practices.
18) The overall structure should perform satisfactorily in all respects.
19) The logo, brand name and batch no. with code number must be printed at every meter distance on poly films that should not get washed easily.
20) All plastic materials used in the Green house to be tested by CIPET or any other testing institute for quality assurance, if required.
21) For testing of material, the fee shall be borne by the firm as & when required.
22) Roll up Stabilized 200 micron transparent plastic film as curtains need be provided up to 3.5 m height on all sides having manual operated crank mechanism for opening & closing of curtains. Anti-flapping strips are suggested to ensure smooth functioning of the curtain.
23) All ends joints of plastic film need to be fixed with two way aluminum profiles with suitable locking arrangements along with curtain top.

a) (Documents to be submitted by bidder during rate contract –

1) Letter from Manufacturer of poly film (Not from distributor or trader) mentioning the properties that a poly film possess and as mentioned in above document with its code number.
2) Warranty letter from the Manufacturer (Not from distributor or trader) for poly film, shade net and insect nets - 3 years
3) Certificate from CIPET for plastic gutters and poly film by Manufacturer.
4) Technical Data Sheet (TDS) Certificate from the manufacturer for Poly films, shade nets and insect nets.

Name of the crop – Rose

S. No.	Particular	Specification
1	Crop	Rose
	Bed size 1. Bottom width	1.0 m
	2. Top width	0.9 m
	3. Path way between two bed	0.5 m
3	Two laterals on each bed	16mm
	System Type	Inline about 2lph
	Spacing between two drippers	0.30 m
4	**Cooling system**	**Misters of 10-35 lph**
	One lateral for misters on each bed	16mm
	Spacing between two misters	1.0 m
	Height of mister stand from bed surface	0.3m

Name of the crop - Gerbera

S. No.	Particular	Specification
1	Crop	Gerbera
2	Bed Size	
	1. Bottom width	0.70 m
	2. Top width	0.60 m
	3. Path way between two bed	0.50 m
3	Two laterals on each bed	16mm
	System Type	Inline about 2lph
	Spacing between two drippers	0.30 m
4	**Cooling system**	**Foggers Four way with anti leak valve10-35 lph**
	Spacing between two lateral	2.5 m
	Spacing between two Foggers	2.5 m

Name of the crop – Vegetables (Capsicum)

S. No.	Particular	Specification
1	Crop	**Vegetable (Capsicum)**
2	Bed Size	
	1. Bottom width	1.00 m
	2. Top width	0.90 m
	3. Path way between two bed	0.50 m
3	Two laterals on each bed	16mm
	System Type	Inline about 2lph
	Spacing between two drippers	0.30 m
4	**Cooling system**	**Foggers Four way with anti leak valve10-35 lph**
	Spacing between two lateral	2.5 m
	Spacing between two Foggers	2.5 m

b) Control Head Unit – It should contain Mains, Filtration unit, Fertigation unit (Ventury, fertigation tank, fertilizer pump), Valves like PRV, ARV, NRV, control valve fittings etc. The mains and sub- mains should be of PVC and should be buried at least 2.5 feet below the ground. Applicable only BIS Standards for all the irrigation components.

8. Specification for Shade Net House

a) (Round Type) Type-1 :

Round type top roof structure with 8.0 mtr. x 4.0 mtr. Grid
Total galvanized and nut bolted structure
Side height of structure will be 4.0 mtr.
Total / ridge height of structure will be 5.0 mtr.

A. **Structure**

Complete structure made of galvanized steel tubular pipes. The structural member should be joined with fasteners properly. Welding of structure is not recommended.

a) Main Parts:

FRAME COMPONENTS (GI PIPES)			
S. No.	**Pipe Description**	**Pipe OD in mm**	**Thickness in mm**
1	Main Column	60	2
2	Straight Corridor	60	2
3	Bottom Cord	60	2
4	Foundation Stub	48	3

5	End Purlin	42	2
6	Middle Purline	42	2
7	Horizontal Member	42	2
8	Truss Middle Sport	33	2
9	Arc	42	2

b) Other Parts:

S. No.	Name of the parts	specifications
1.	Profile	Aluminum double locking profile 200 to 220 g per running meter (±5% to be allowed)
2.	Zigzag spring	High carbon steel wire (GI) for repeated action,2.3mm dia.
3.	Flat	Cold Galvanized (Electroplated)
4.	60 OD Full clamp	GI Coil width 45 mm thickness 2 mm
5.	60 OD Half clamp	GI Coil width 45 mm thickness 2 mm
6.	33 OD half clamp	GI Coil width 45 mm thickness 1.6 mm
7.	25 ID Full clamp	GI Coil width 45 mm thickness 1.6 mm
8.	Self Tapping Screw	-
9.	Spring insert	High Carbon Steel wire (GI), 2.3 mm dia
10.	M 10 X80	Cold Galvanized (Electroplated)
11.	M 10 X40	Cold Galvanized (Electroplated)
12.	M 10 Nut	Cold Galvanized (Electroplated)
13.	M 10 Washer	-
14.	M 6 x 50	Cold Galvanized (Electroplated)
15.	M 6 Nut	Cold Galvanized (Electroplated)
16.	M 6 Washer	-
17.	Door Assembly	3m x 3m With entry room 4 x 3 mtr. With double curtain
18	The foundations	Telescopic type. A pit of 60 cm x 60 cm x 75 cm depth to be filled with concrete in a ratio of 1:2:4 after completing the foundations, 10 days of curing is must.
19	Side curtain	Side curtain of 200 micron poly sheet

Note: All nut and bolts must be rust free for at least three years.

Shade Net:

1. 50 % IS 16008:2012 Shade net with 120 GSM to the all four sides.
   40 Mesh Insect Net Manufactured from 100% virgin HDPE mono Filament with 115- 120 GSM, 0.22 yarn diameter, 40x24 Knitting grid with 3 year life Under curtain. Variance (+-) range of 3to 5% in above mentioned Specifications of Insect Net.
   50 % movable IS standard IS 16008:2012 Shade net with 100 GSM on top from inside. 50% mono shade net with 120 GSM to be fitted on top.
2. Colour – Green / White / Green black / Red /Black as required by farmer.

1. Importers traders who are represented by its dealer in the country, manufacturing the goods as specified as in the IS standard will also be allowed.

c) Door assembly (1 Door of 3m x 3 mtr and Entry Room 4x3 mtr with double curtain)

S. No.	Description	Specification
1	G Section	40x40m and 5.5 mtr. Long minimum
2	Roller	Should slide easily in G section

82

3	Top Pipe	60 mm OD & 2.0 mm thick
4	Door Support	42 mm & 33 mm OD, 2.0 mm thick
5	Door Corridor	33 m OD & 2.0 mm thick

Specification of Irrigation System in Green house (Tubular) and Shade net house:

1) Filter Unit with platform – Sand + Disc Filter 2" , PRV 1.5" , NRV 2", Throttle valve 1.5", ARV 1-1.5" , Ventury injector with manifold 1-2", By pass Assembly, Flush valve 2", Pressure gauge (3) with GI fitting accessories.
2) PVC Control Valve 2" – All valve will be installed at one place.
3) Inline 16mm/cl-1-3 lph/30 c.m. - Used only PCND inline 02 nos. for each bed.
4) Drip lateral 16mm/cl-2 – Lateral must be fixed with GI wire on top and 4 way Fogger of 10-28 lph flow rate should be installed at 2.5 x 2.5 mtr. Spacing and particle size 80 to 100 micron.
5) Micro sprinkler 40 to 100 lph at each top vent of Green house at 4.0 mtr spacing
6) Automation for fogger and micro sprinkler but power supply for controller and pump are farmer responsibility. Installation of Automation will be on optional basis, no subsidy will be provided and applicable according to the choice of the applicant/farmer.
7) Provide Temperature and Humidity meter.
8) BIS Standards will be applicable for all the irrigation components.

b) Shade net Tubular Type-2

S. No.	Item	Description
1	Structure	Galvanized Tubular Structure
2	Grid Size	6m x 4 m
3	Area	2024 m2 & 4096 m2
4	Height	4 meter
5	Column	60 mm OD/2 mm thick G.I. Pipe
6	Purlins & Corridor	48 mm OD/ 2 mm thick G. I. Pipe / 42 mm OD/ 2 mm thick G. I. Pipe
7	Fastener	M6 to M10 bolts & nuts, bolts from 15 to 110 mm length, plain washers as per requirement and with the best quality plating to have good anti-corrosiveness.
8	Foundation	Foundation pipe of 48mm/2 mm thick G. I. Pipe. Length of foundation pipe 750mm. Construction of foundation with ratio 1:2:4 PCC of size 0.40 m x 0.40 m x 0.75 m. 10 days of curing is must.
9	Locking profiles	Aluminum double locking profile 200 to 220 g per running meter (±5% to be allowed)
10	Insect Net	Insect net- white colour 40 mesh at all four sides - 110 to 120 GSM
11	Shade net	UV resistant Shade net of 50 % on roof as well on all four sides. 40 Mesh Insect Net Manufactured from 100% virgin HDPE mono Filament with 115- 120 GSM, 0.22 yarn diameter, 40x24 Knitting grid with 3 year life Under curtain. Variance(+-)range of 3to 5% in above mentioned Specifications of Insect Net. 50 % movable IS standard IS 16008:2012 Shade net. Colour:- Green / White / Green black / Red /Black as required by farmer.
12	Zig-zag spring	High Carbon Steel Wire zig-zag GI Spring

83

13	Crop Support Wire	10 Gauge for cross and 12 gauge for crop support
14	Mulch Film	30 micron black/silver mulch film for each bed
15	Door	Sliding type 2m x 2m
16	Drip System	Filter Unit with Platform - Sand Filter/Hydro cyclone Filter (Sand Separator), Disc Filter -25 cubic meter, Air Release Valve, PRV, Ventury 1", Pressure Gauge. Inline Drip Lateral PC,16mm, 2.0 to 2.6 lph@30cm spacing, Class 2, Plain Lateral 16mm, Class 2 for riser and fogger, PVC main and sub main pipes, PVC Ball Valves, Flush Valve, connected to Common Filter Station, Fittings and accessories. BIS Standards will be applicable for all the irrigation components. Automation for fogger and micro sprinkler but power supply for controller and pump are farmer responsibility. Installation of Automation will be on optional basis, no subsidy will be provided and applicable according to the choice of the applicant/farmer.
17	Pump	2HP/5HP as per requirement
18	Side curtain	Side curtain of 200 micron poly sheet

9. Completion of the work:
The applicant is supposed to be complete the construction of green and shade net house along with micro irrigation and other related facilities within 90 days from the date of work order issued and material must be reached at farmer's field within 30 days after issuance of work order.

10. Locations: At the farmers' fields in different districts of Rajasthan.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस निर्माण हेतु अनुबन्ध

त्रि–पार्टी अनुबंध

अनुबंध डीड का कियान्वयन आज दिनांक .... स्थान ....जिला .... को हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी .... प्रतिनिधि श्री .... स.नि.उ./उपनिदेशक उद्यान आवेदक श्री .... पुत्र श्री .... गांव .... तहसील .... जिला ....राजस्थान एवं ग्रीन हाउस निर्माणकर्ता फर्म .... प्रतिनिधी श्री .... के बीच सम्पन्न किया जिसमें निम्न शर्ते संबंधित पार्टीयों द्वारा स्वीकार की जाती है।

1. आवेदक अनुदान पर ग्रीन हाउस लगाने का इच्छुक है व इस हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिये गये है। आवेदक अनुदान राशि का भुगतान संबंधित ग्रीन हाउस/शेडनेट निर्माण करने वाली फर्म को करने के लिये सहमत है।
2. ग्रीन हाउस/शेडनेट निर्माता द्वारा आवेदक के खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा–जल का परीक्षण व ग्रीन हाउस के साथ स्थापित की जाने वाली अन्य संबंधित ढांचागत सुविधाओं की रूप–रेखा डिजाईन तैयार की जाकर संबंधित आवेदक की सहमति प्राप्त की गयी है। ग्रीन हाउस डिजाईन में किसी भी तरह की तकनिकी खामी (Over/Under designing) के लिये निर्माणकर्ता जिम्मेदार रहेगा।
3. आवेदक वांछित क्षेत्र/भूमि जिस पर ग्रीन हाउस निर्माण किया जाना है को एल.ओ.आई. जारी होने के साथ आवश्यक निर्माण कार्यो हेतु निर्माणकर्ता को उपलब्ध कराने के लिये सहमत है।
4. आवेदक द्वारा ग्रीन हाउस निर्माणकर्ता को सामान रखने के लिये यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा।
5. ग्रीन हाउस निर्माता फर्म कार्य आदेश जारी होने के अधिकतम 30 दिवस में निर्माण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि (90 दिवस) में ग्रीन हाउस/शैडनेट हाउस व अन्य ढांचागत सुविधाओं की स्थापना/इन्स्टालेशन कार्य निर्धारित तकनिकी मापदण्ड अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आवेदक अपने स्वयं के खर्चे पर ग्रीन हाउस/शैडनेट हाउस व अन्य सुविधाओं को चलाने हेतु आवश्यक विधुत/डीपीएस/सोलर कनेक्शन उपलब्ध करायेगा।
7. जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन अपनी सन्तुष्टि के लिये मौके पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा।
8. भौतिक सत्यापन के उपरान्त ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस स्थापना करने वाली फर्म इन्हें आवेदक के सुपूर्दगी कर देगा व इसके लिये आवेदक द्वारा प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

9. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस स्थापना करने वाली फर्म आवेदक द्वारा जारी कार्यपूर्ण प्रमाण–पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अनुदान भुगतान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। भुगतान संबंधित ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माणकर्ता फर्म को किया जायेगा।
10. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस लगने के 5 वर्ष की अवधि तक लाभार्थी द्वारा उसमें बदलाव, हटाना या किसी को बेचना व खुर्दबुर्द नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुदान वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
11. हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस स्थापना करने वाली फर्म आवेदक के स्तर से हुयी त्रुटि के कारण संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
12. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस स्थापना करने वाली फर्म द्वारा निर्माण/स्थापना के 3 वर्ष तक निःशुल्क After Sale Service उपलब्ध करायेगी व इस समयावधि में कोई बनावट संबंधि विकार या बनाते समय अन्य कोई कमी रहने या सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं होने की स्थिति में निर्माता फर्म द्वारा बिना किसी शुल्क के सूचना प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में बदला जायेगा/ ठीक किया जायेगा।
13. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस स्थापना करने वाली फर्म द्वारा आवेदक को संयंत्र लगाने का ले–आउट, सिंचाई अवधि, उर्वरक देने के विधि व संयंत्र रख–रखाव संबंधित साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा।
14. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण के बाद निर्धारित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन व कृषक की संतुष्टी प्रमाण पत्र उपरांत निमार्णकर्ता फर्म व कृषक के मध्य विवाद होने की स्थिति में इसके लिये कृषक व निर्माणकर्ता फर्म ही जिम्मेदार होगें, उद्यान विभाग किसी भी तरह के न्यायिक विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा ।

86

POLY HOUSE 28m X 36m

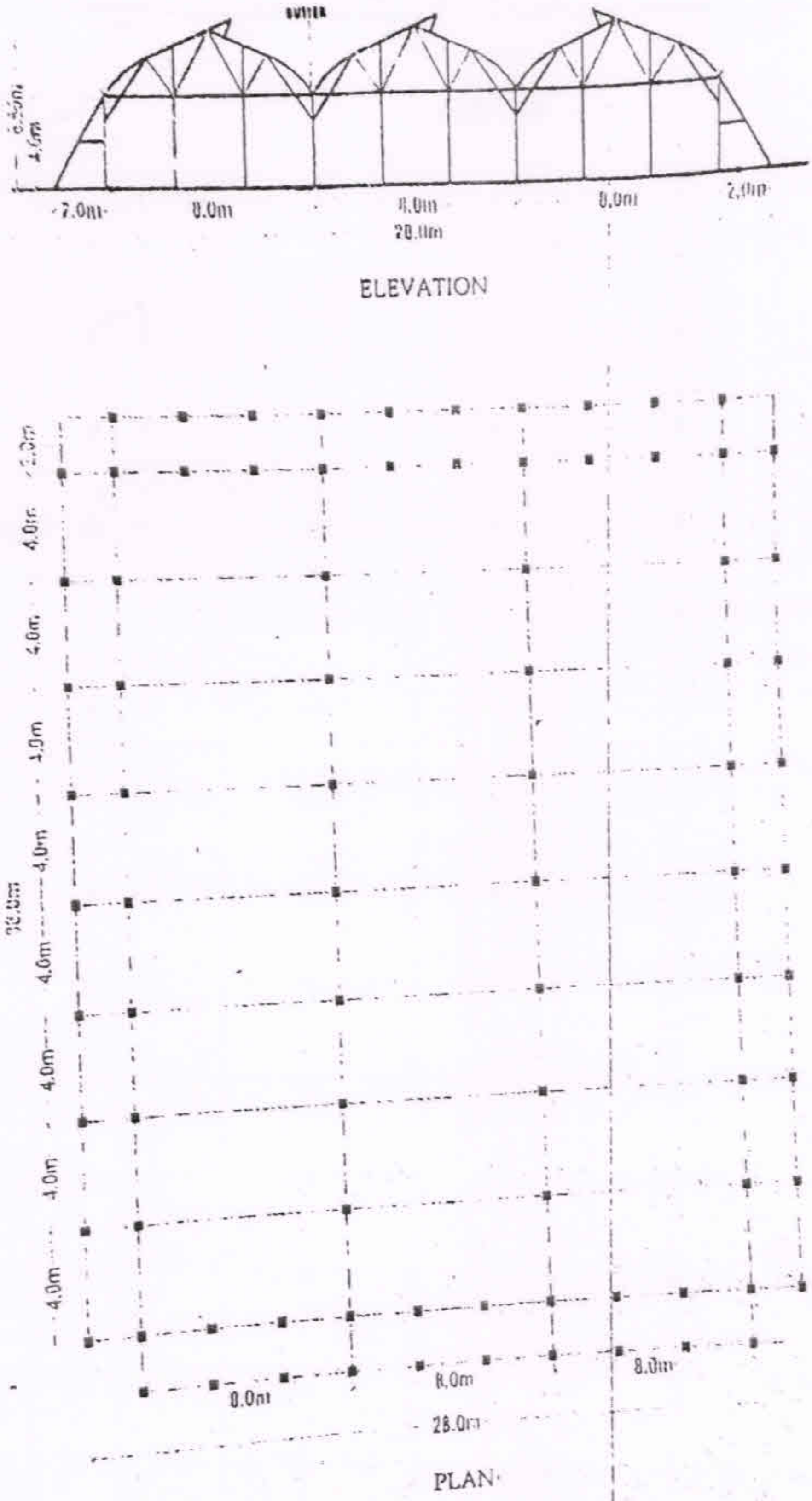

POLY HOUSE 36m X 56m

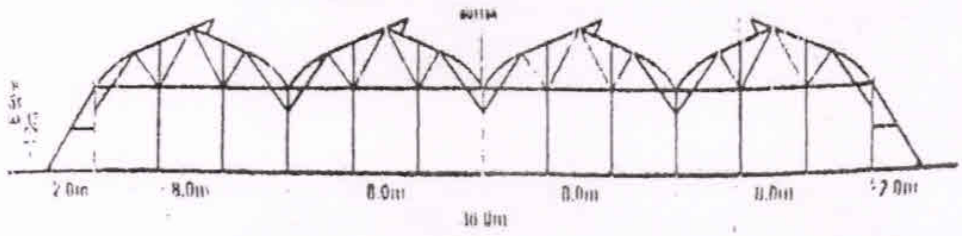

ELEVATION

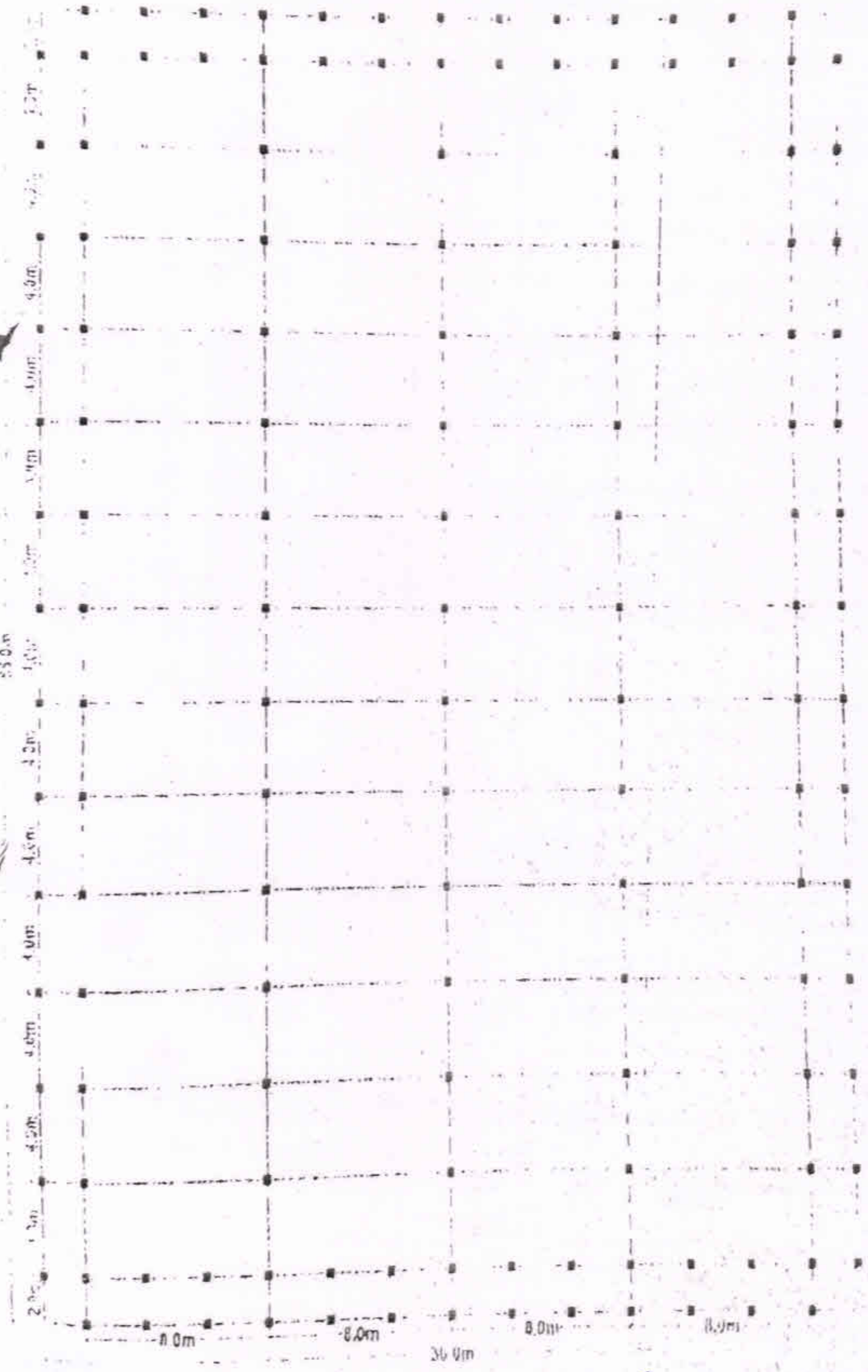

88

POLY HOUSE 44m X 92m

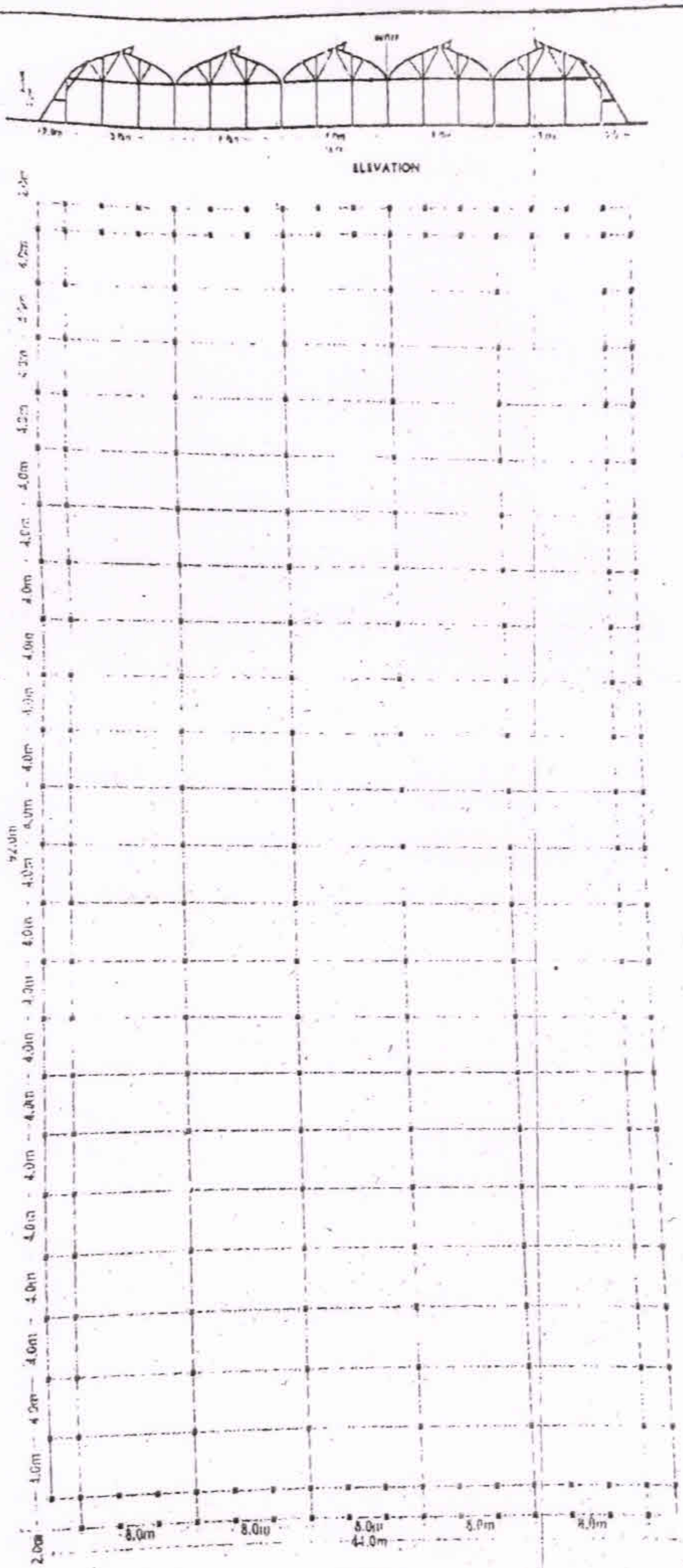

PLAN

Approved Green House Design for Tender id.

2021_HORTI_231639_1

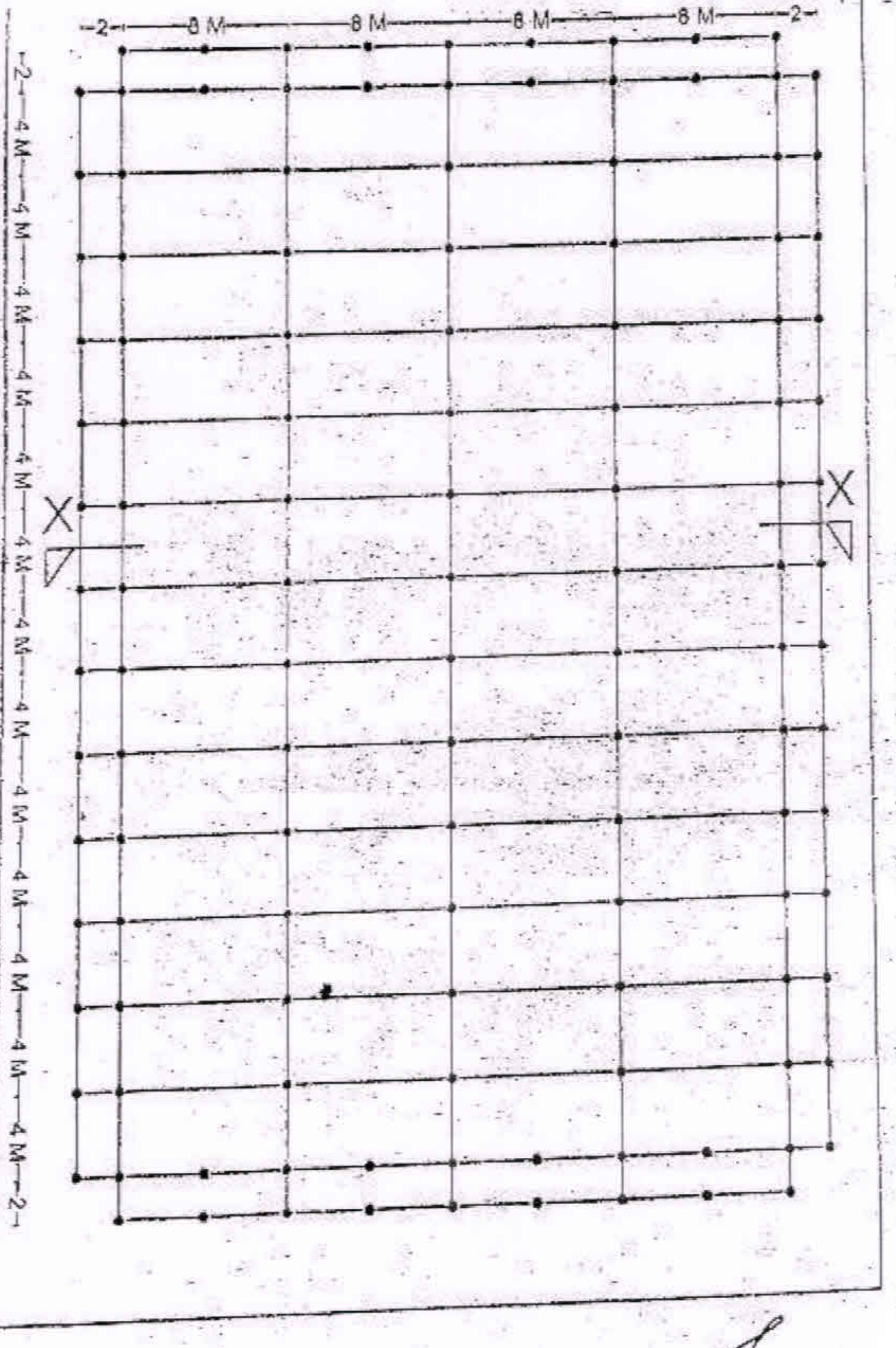

राम लाल मीणा
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

Annexure-7

Specification of plastic mulch:

- Plastic Mulch dimension:

Particulars	Specifications
Width	75 cm. to 2.00 metre
Thickness	30 micron to 100 micron
Length of rolls	400 m to 1000 m
Color	Silver - on – Black (for virus sensitive crops) White-on-Black (for temperate crops) Black-on-Black (for high weeds control in perennial crops or orchards)

- Plastic Mulch UV stabilization specification:

Particulars	Specifications
30 micron	12 months life for 1 or 2 uses in 6 months crops
50 micron	15 months life for 1 or 2 uses in 6-8 months crops
75 micron	18 months life for 1 or 2 uses in 12-14 months crops
100 micron	24 months life for 2 or 3 uses in 12-14 months crops

- Physical properties of Plastic Mulch film: **as per IS 17216:2019**

Annexure-8

Specification of Low Tunnels:

- GI rod (hot dip) in round shape , 2 metres length and 6 mm diameter
- No of pieces- 165 per 1000 Sqm
- Poly ethylene plastic sheet:

Thickness	Tensile Strength (M.D.)	Tensile Strength (T.D.)	Elongation (M.D.)	Elongation (T.D.)	Dart Impact Strength	U.V. Stability
25 micron	110 kg/ cm2	90 kg/ cm2	250%	350%	100 gf	4 months
50 micron	150 kg/ cm2	130 kg/ cm2	300%	450%	150 gf	12 months

Specification of anti bird net:

Length	50 m
Width	3.0m
Weight	15-20gms per sq.mtr.
Aperture size	30mmx30mm

Annexure -9

जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की सांकेतिक लागत

Cost in Rs. / Sqm

Flowers	Lilliums			Rose			Carnation			Gerbera		
	Unit	Rate	Amt	Unit	Rate	Amt	Unit	Rate	Amt	Unit	Rate	Amt
Soil Preparation			20			20			20			20
Soil Sterlization		L.S.	25		L.S.	25		L.S.	25		L.S.	25
Planting Material	22 nos./ sqm	Avg @ 12/ bulb	264	7 nos/ sqm	Avg @ 30/ plant	210	22 nos/ sqm	Avg @ 15/plant	330	7 nos/ sqm	Avg @ 40/plant	280
Organic (Vermicompost / Bonemeal / Neemcake etc)		L.S.	60		L.S.	70		L.S.	70		L.S.	70
Chemical Fertilizers		L.S.	30		L.S.	30		L.S.	40		L.S.	40
Rice husk, inert material etc		L.S.	22		L.S.	22		L.S.	22		L.S.	28
Preventive sprays		L.S.	15		L.S.	25		L.S.	25		L.S.	25
Support System		L.S.	0		L.S.	0		L.S.	64		L.S.	0
Grading, Sorting Packaging etc		L.S.	50		L.S.	60		L.S.	55		L.S.	60
Labour		LS.	40		L.S.	60		L.S.	80		L.S.	80
Total			**526**			**522**			**731**			**628**

L.S. (lump sum)

Annexure -10

हाई वैल्यू वैजिटेबल्स की सांकेतिक लागत

आदान / गतिविधि		लागत रूपये प्रति वर्ग मीटर	
		खीरा, टमाटर, चैरी टमाटर, शिमला मिर्च (हरी व रंगीन), मिर्च व अन्य हाई वेल्यू सब्जियां	रेड कैबेज, लेटयूस, लीक, जूकनी, पौरचुई, बैंगन, ब्रोकली, ब्रुसल्स स्प्राउट, कदूवर्गीय सब्जियां, भिण्डी व अन्य सब्जियां
भूमि की तैयारी / बैडस की तैयारी		5.00	5.00
मृदा निर्जमीकरण (फ्यूमिगेशन)		12.50	12.50
बीज / पौध रोपण सामग्री		20.00	7.00
खाद	FYM/ कम्पोस्ट / बोनमील / नीम केक	10.00	8.00
रसायनीक उर्वरक	NPK-19-19-19, 20-20-20, 19-19, 30-0-45, 12-61, 0-0-50, डी.ए.पी. यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पौटेशियम सल्फेट, मैगनिशियम, कॉपर, ज़िंक, अन्य सूक्ष्म तत्व व जल विलियक उर्वरक आदि	10.00	7.50
पौध संरक्षण रसायन	नीम क्रेक, कार्बाफुरान, ट्राईकोडरमा व अन्य कीटनाशी व फफून्दनाशी रसायन आदि	8.75	6.25
मानव श्रम	बुवाई, खाद व उर्वरक प्रयोग, निराई–गुड़ाई, सिंचाई व पौध संरक्षण रसायन छिड़काव / प्रयोग, फसल तुड़ाई / कटाई आदि	35.00	20.00
अन्य सभी सहायक सामग्रीयां		15.00	3.75
धागा		3.75	0.00
मल्च		5.00	5.00
योग		**125.00**	**75.00**

Annexure – 11

Annexure – 8

राजस्थान सरकार

उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकःप 21() एम.डी / एन.एच.एम / पीसी / पी.एम एण्ड सी /Part-1/2018-19/ 4106-48 दिनांक 11/10/18

उप / सहायक निदेशक उद्यान, जिला.......

विषय :– ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस अंतर्गत अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों की पौधरोपण सामग्री पर अनुदान के क्रम में।

प्रसंग :– उद्यान निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 1520–61 दिनांक 09.09.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संरक्षित खेती कार्यक्रम अंतर्गत ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस में हाई वैल्यू वेजिटेबल्स एवं फूलों की रौपण सामग्री व काश्त पर अनुदान हेतु प्रासंगिक पत्र के क्रम में सीडलेस खीरे व खरबूजे पौध रोपण सामग्री तथा इस हेतु जल विलयक रासायनिक उर्वरक व वांछित पौध संरक्षण रसायन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस की पौध रोपण सामग्री व काश्त हेतु अनुदान कार्यक्रम में कृषकों द्वारा स्वयं के स्तर से खीरा व खरबूजे की अपनी किस्म के बीज बाजार से क्रय कर उपयोग में लेने का बिल प्रस्तुत करने पर योजना प्रावधानानुसार अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा, अन्य हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पौध रोपण सामग्री प्राप्त करने पर ही अनुदान देय होगा।
2. कृषको द्वारा ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस की खेती में उपयोग आने वाले जल विलय उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन अपनी आवश्यकतानुसार इच्छित ब्राण्ड के स्वय के स्तर से बाजार से क्रय कर उपयोग में लेने का बिल प्रस्तुत करने पर योजना प्रावधानानुसार अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।
3. उपरोक्त हेतु यह प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कि उक्त के लिए इच्छुक कृषक योजना कार्यक्रम में प्रावधानानुसार अपने जिले के संबंधित उप / सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र व प्रक्रिया अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत करे। संबंधित जिला अधिकारी द्वारा वरियता के अनुसार आवंटित लक्ष्यों के अधीन योजना दिशा निर्देशानुसार ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस के क्षेत्रफल के अनुसार बीज व जलविलय उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायन की मात्रा की स्वीकृति जारी करे तदनुसार

राम ...
संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

86

95

कृषक द्वारा आदान क्रय कर बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सत्यापन कार्यवाही उपरान्त अनुदान जारी किया जावेगा।

अतः उक्त अनुसार योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाकर प्रगति से अवगत करावे।

निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप 21() एम.डी / एन.एच.एम / पीसी / पी.एम एण्ड सी /Part-1/2018-19/ दिनांक 11/10/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. संयुक्त निदेशक उद्यान संभाग-- जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
2. उप निदेशक उद्यान संभाग– भरतपुर / श्रीगंगानगर / जालौर / भीलवाडा / उदयपुर। सीकर

...ल मीणा
... उद्यान (सीएसएस)
...य, जयपुर

निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर

IPM IN CHILLI, BRINJAL & TOMATO

1. Seed treatment with chemicals/ trichoderma @ 4 gm or Bavistin @ 2 gm/ Thiram @ 3 gm / Mancozed or Captan @ 2 gm/ kg seed.
2. Soil treatment with Corbofuron 3G in nursery @ 8-10 gm/Sq. M.
3. Use raised nursery beds with proper drainage.
4. Use 40 mesh white nylon net in nursery to check vector supported by iron frame.
5. If seed treatment has not been done than dipping the seedling in tichoderma suspension for half an hour using @ 4 gm / litre of water before trans planting of seedling.
6. Two sprays of quinalphos 25 EC or 20 AF at 15 days interval @ 1 lit/ha. (1 ml/lit of water) to check the jassid white flies and also mix Blitox @ 3 gm or Mancozeb @ 2 gm/ lit. of water (before flowering).
7. Spraying of NPV (H)/NPV (a) 400 LE alone+ adjuvant (Jaggery or teepol 0.05 %) spraving should be done in between 4 to 6 PM.
8. Spraying of two sprays at 15 days interval of Bacillus thuringiensis kurstaki (BTK) @ 1 kg or / lit + Malathion 50 EC @ 625 ml/ha. Using 500 lit. of spray liquid/ ha. At 50 % or initiation of flowering.
9. Use pheromone trape i.e. 5 traps/ ha. for monitoring.
10. Use light trap for mass trapping of lepidopteron pests.
11. Release 6 times Trichograma at weekly interval starting from 40-45 days old crop at flowering initiation stage @ 50000 eggs /ha. In released plots avoid insecticidal sprays (use either item 8 or this 11).
12. If root rot problems exist than soil drenching with thiram / captan 0.2 % solution (2 gm / lit. of water i.e. + lit. solution /Sq.M. should be applied.)

IPM IN CAULIFEOWER & CABBAGE

1. Seed treatment with chemicals / trichoderma @ 4 gm or Bavistin @ 2 gm / Thiram @ 3 gm. / Mancozeb or Captan @ 2 gm/ kg. seed.
2. Soil treatment with Carbofuron 3 G in nursery @ 8-10 gm/Sq. M.
3. Use raised nursery beds with proper drainage.
4. Use 40 mesh white nylon net in nursery to check vector supported by iron frame.
5. If seed treatment has not been done than dipping the seedling in trichoderma suspension for hald an hour using @ 4 gm / liter of water before trans planting of seedling.
6. In Boron & Mn. Defficient soils addition of 10-15 kg. ha. Borex & Mn So_4 @ 4 to 6 kg/ha.
7. For Black rot control seed treatment with Strephocyclin 300 ppm (1 gm/4liter water) drip in solution for 2 hours.
8. For the control of Dlamond back noth & other lepidoptern caterpiller use of 2 spray of Btk @ 1 kg / lit/ ha. along with Malathion 50 EC @ 625 ml /ha and followed 3rd spray of Malathion 50 EC @ 1.25 liter/ha or Caldan (Cartap hydrochloride) @ 1 liter / ha.
9. use Pheromone/ light traps for monitoring & mass trapping of adult respectively.

Annexure -11

ग्रीन हाउस पोध रापण

IPM in Onion

1. Seed treatment with Trichoderma viridae 2 gm/kg seed Bavistin @ 1 gm/kg seed.
2. Use Bavistin @ 1 gm / liter of water for half an hour dipping the seedling before transplanting.
3. At 10 days after transplanting spray Malathion 50 EC @ 1.25 liter / ha. (for controlling thrips, Laphygma, Onion maggot).
4. Spray with 0.2 % Mencozed (2 gm / liter water) alongwith Teepol @ 2 ml /15 liter spray solution for control of purple blotch.

IPM in Bhindi (Okra)

1. Seed treatment with Vitavex @ 1 gm + Thiram @ 3 gm or Bavistin 1 gm + Thiram 3 gm / kg seed.
2. Use Carbofuran 3 G @ 25 kg/ha as a fuÙkow application at the time of sowing.
3. Spraying of Quinalphos 25 EC @ 1 lit / ha. at 20 days after sowing and followed by 3 sprays at 10 to 15 days interval for jassid & white flies control.
4. Spraying with Dipel 8 L or Btk @ 1 liter/kg / ha + Malathion 50 EC @ 625 ml/ha.
5. Spraying Malathion 50 EC @ 1.25 liter/ha. at 15 days interval at Square formation or at initiation of fruit formation.

आईपीएम सांकेतिक लागत मॉड्यूल

Integrated Pest Management Demonstration in Tomato and Chilli

(Assistance @ 50% cost subject to a maximum of Rs. 1000/- per ha limited to 4 ha. / beneficiary)

S. No	Component/ Recommendation	Stage of Crop	Quantity of Input Required / Ha.	Approximate Rate of Input Per Kg./Lt.	Amount required (In Rs.)
1	Seed treatment with chemicals/ trichoderma @ 4 gm or Bavistin @ 2 gm/Triram 3 gm/ Mancozeb or Captan @ 2 gm/Kg seed.	Before sowing	Trichoderma for 500 gm seed required for a ha. Area= 0.002 Kg.	180	
2	Soil treatment with carbofuron 3 G in nursery @ 8-10 gm/ Sq. M.	Nursery bed preparation (Before sowing)	500 Sq. M. nursery area required for area required for planting in one ha. Area. Therefore quantity of Carbofuran required =5.00 Kg.	58	290
3	Use raised nursery beds with proper drainage.				
4	Use 40 mesh white nylon net in nursery to check vector supported by iron	Nursery bed preparation (Before sowing)	Approximate quantity of nylon net required for nursery = 500 Sq. M.	30	15000
5	If seed treatment has not been done than dipping in trichoderma suspension for half an hour. /Using @ 4 gm/ liter of water before transplanting of seedling.	Before transplanting	Quantity of trichoderma require = 0.400 kg. for 100 lit. of water	180	72
6	Two sprays of quinalphos 25 EC or 20 AF at 15 days interval @ 1 lit. / ha. (1 ml/lit water) to check the jassids, whiteflies and also mix Blitox @ 3 gm or mancozeb @ 2 gm of water (Before flowering)	Before flowering	Quinalphos 25 EC or 20 AF=2 lit, for two sprays	250	500
			Mancozed= 2 kg.	210	420
			Blitgox = 3 kg.	220	660
7	Spraying of NPV (H)/NPV (A) 400 LE alone + adjuant (Jaggery or teepol 0.05%) Spraying should be done in between 4 to 6 PM	Just after egg laying of Heliothis	NPV (H) 400 LE	Rs. 125/- per 100 LE	500
8	Spraying of two sprays at 15 days interval of Bacillus thuringlensis kurstaki (Btk)@ 1 kg/lit,+ Malathion 50 EC @ 625 ml/ ha. Using 500 lit. of spray liquid / ha. At 50% or initiation of flowering.	At 50% or initiation of flowering.	Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk)=2 kg./Lit. for two sprays	900	1800
			Malathion 50 EC = 1.250 Lit. for two sprays	240	300
9	Use pheromone trap i.e. 5 traps/ ha. For monitoring, Replace each lure after 15 days.	After transplanting	Traps = 5 numbers	Rs. 25/ trap	125
			Lure= 25 lures for 5 time	Rs. 10/- per lure	250

10	Use light trap for mass trapping of lepidopteran pests.	After transplanting	1 trap	Rs. 948/- trap	948
11	Release 6 times Trichogramma at weekly interval starting from 40-45 days old crop (at flowering initiation stage) @ 50000 eggs/ ha. in released plots avoid insecticidal sprays. (Use either 8 or 11)	Al flowering initiation stage	2.5 trichocards required for each release, therefore for 6 release number of trichocards required are = 15 cards	Rs. 30/- per trichocards	450
12	If root rot problem exists than soil drenching with thiram/ captan 0.25 solution (2 gm / lit i.e. 4 lit solution/ sq.) meter should be applied.		Thiram 80 kg	160	12800
	Total				**34115**

Integrated Pest Management Demonstration in Tomato and Chilli
(Assistance @ 50% cost subject to a maximum of Rs. 1000/- per ha limited to 4 ha. / beneficiary)

S. No.	Component/ Recommendation	Stage of Crop	Quantity of Inpur Regired/Ha.	Approximate Rate of Inpur Per Kg./Lit.	Amount required (In Rs.)
1	Three sprays of the IPM module consisting of NPV @ 1.5 X10 PIB, Btk (Dipel 8 L) @ 1500 ml and Malathion 50 EC @ 1250 ml beginning at 50 % flowering and at 15 daus interval effectively reduce the incidence of H. armigera on Chilli.	50% flowering	NPV=250 LE	Rs. 125/- per 100 LE	263
			Btk=1.500 Lit.	900	1350
			Malathion 50 EC @ 1.250 Lit.	240	300
	Total				**1913**

परिशिष्ठ–14

जैविक खेती कार्यक्रम अनुबंध प्रपत्र

- मैंने पूर्व में जैविक खेती कार्यक्रम में अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
- मैं चयनित खेत में तीन वर्ष तक जैविक विधि से फसल उत्पादन करूंगा।
- मैं जैविक खेती के लिये चयनित क्षेत्र में रासायनिक प्रकृति के आदान काम में नहीं लूंगा।
- मैं जैविक खेती प्रमाणीकरण संस्था से जुड़ूंगा एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा।
- मैं जैविक खेती के लिए चयनित खेत में जो भी फसल लूंगा उसमें जैविक कृषि क्रियाओं को ही अपनाऊंगा।
- मैं विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों की पालना करता रहूंगा।
- मेरे द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर विभाग कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि वापिस लेने व विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

Specification of Bee hive

(A) For Apis mellifera bee's langstroth have is used having 20 frame (10 frame in brood chamber and 10 frame in super chamber) the details of various parts are as under.

1. Bottom Board: - Made of wood 560 mm long, 413 mm broad and 22 mm thich. Along each end of the longer side is nailsed a wooden rod 560 mm long, 22 mm broad and 22 mm thich and another wooden rod 363 mmX22 mm is nailed at the back. Front is provided with entrance rod measuring 363 mmX22 mm and this has an entrance 75 mm long and 22 mm deep in its middle. Two wooden blocks (each measuring 75 mm x 38 mm X 22 mm) are also prepared separately for shortening the entrance when required.
2. Brood chamer- Made of 22 mm thich wood. Rectangular box without top and bottom. The outside measurements are 508 mm X 412 mm. Inner measurements are 464 X 368 mm Height is 242 mm. A rabbet, 16 mm deep and 11 mm wide is cut along the entire length of its width planks.
3. Super chamber: Same as brood chamber.
4. Frame: - Consists of top bar, two side bars and a bottom bar, dimensions for self spacing frame are given below. Distance between the centres of two adjacent framres is 35 mm, giving the bee space of 10 mm.
   - Top bar: - 483 mm long, 25 mm wide and 22 mm thich, It is cut to 9 mm thickness on both sides for a length of 25 mm. It has a groove; in the middle of it lower side for fixing the comb foundation sheet.
   - Side bar: – Each is made of 9 mm thich wood and is 232 mm long. The upper part of each is 35 mm wide and lower part 25 mm wide. Each is cut out from the middle portion at either end to accommodate the top and the bottom bars, respectively. There are 4 holes in each side bar for wiring the frame.
   - Bottom bar: - 448 mm long, 19 mm wide and 10 mm thich. Two 15 mm staples should be driven in (to leave only 9 mm outside) to top bar on its opposite side, so that the frames stand 34 mm apart. One should make all frames either Hoffman or stapkle type. Tinned wire of 28 gage should be used in wiring the frame.
5. Super frame: - Same as frame.
6. Inner cover: - Wooden Board used to cover the brood or super chamber. 508 mm long, 413 mm broad and 10 mm thich, 10 mm thich and 22 mm wide wooden bars are nailed on each of four sides.
7. Top cover: - It is made up of 9 mm thick wooden board nailed, to a rectangular frame 50 mm high, all covered over with a metallic sheet so as to make it impervious to rain water. Its inside measurements are 533X432X51 mm. It rests loosely over the hive.

(B) Material:

I. Wood: - For the purpose of bee hive loon (Toona ciliata)/ kail (Pinus excelsa)/ papdi (Holloptella integrifolia) wood shall be used it should be free from decay, insect holes, dead knots, shabes and split. The slope of grain shall not be more then one in eight. The wood used should be well dried.

II. Wire: - Use of reinforcement should be galvanized mild steel wire of diameter 0.4 mm. And should be suitably anchore in the side of ban by nalls.

(C) Work manship

I. Finish:

The different part of the bee hives shall have a smooth finish with the edges trimmed square and smooth. Parts of the bee hive exposed directly to weather shall be painted with a sutable protective paint. The paint shall be non-toxic and shall not have any odour disagreeable to the bees. The colour of the paint shall be white.

II. Joints:

All joints shall be sound and shall withstand normal use. Walls of chambers and roof shall be jointed by special box corner joints or finger joints or dovetail joints or tongue and groove joints properly nailed.

When the use of nails for joints is specified, there shall be one nail at each end. The distance between tow consecutive nails shall be not more than 75 mm.

(D) Packing and Marking:

I. Packing:

Bee hive parts shall be packed according to trade practices in such a way as to protect them from damage in transit and during storage.

II. Marking:

The floowling information shall be engraved

a) Name of the manufacturer and
b) Govt. Subsidy year.

परिशिष्ट-12
Annexure-16

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 6(1) कृषि I/MC/2000 जयपुर, दिनांक 26.08.06

आदेश

राज्य के मधुमक्खी पालकों द्वारा गर्म मौसम में मधुमक्खी कॉलोनियों को अन्य राज्यों के शीत क्षेत्रों में ले जाने (परिवहन) हेतु मधुमक्खी माईग्रेशन प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-अ) जारी करने हेतु क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान एवं सहायक निदेशक उद्यान को एतद् द्वारा अधीकृत किया जाता है।

उप शासन सचिव,
कृषि (ग्रुप-1) विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 6(7) कृषि I/MC/2000 दिनांक 26.08.06

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः -

1. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड भरतपुर / जयपुर / कोटा / भीलवाड़ा / उदयपुर / सीकर / गंगानगर / जोधपुर।
4. उप निदेशक कृषि (विस्तार), भरतपुर / धौलपुर / अलवर / सवाई माधोपुर / करौली / दौसा / जयपुर / टोंक / कोटा / बारां / झालावाड / अजमेर / भीलवाड़ा / चित्तौड / उदयपुर / डूंगरपुर / बांसवाडा / पाली / सिरोही / जोधपुर / गंगानगर / हनुमानगढ़।
5. उप निदेशक उद्यान, कोटा / जोधपुर।
6. सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर / अलवर / दौसा / सवाई माधोपुर / जयपुर / टोंक / कोटा / बारां / झालावाड / अजमेर / भीलवाडा / चित्तौड / उदयपुर / बांसवाडा / पाली / जोधपुर / गंगानगर / हनुमानगढ़।

उप शासन सचिव
कृषि (ग्रुप-1) विभाग
राजस्थान, जयपुर

मधुमक्खी माईग्रेशन प्रमाण पत्र

मधुमक्खी पालक का प्रमाणित करते हुये फोटो

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसरण में श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... ग्राम .. .. ग्राम पंचायत ....हसील .... जिला .... मधुमक्खी पालक पंजीकरण नम्बर .... को रबी मौसम की फसलों की पकने की अवस्था से ही उनकी मधुमक्खी कॉलोनियों को देश के उत्तर शीत क्षेत्र में ले जाने के लिये यह मधुमक्खी माईग्रेशन प्रमाण–पत्र एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/
उप निदेशक उद्यान/
सहायक निदेशक उद्यान
दूरभाष न. कार्यालय
निवास

परिशिष्ठ–18

कृषक प्रशिक्षण हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

अ. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या – 50

ब. बजट प्रावधान : 0.50 लाख रूपयें प्रति 50 कृषक एक दिवसीय प्रशिक्षण

स. लागत का सांकेतिक विवरण–

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 200/– रूपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	10000.00
2. चाय नाश्ता – 40/– रूपये प्रति कृषक	2000.00
3. लॉजिंग बोर्डिगं– 200 /– रूपये प्रति कृषक	10000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 400 /– रूपये प्रति कृषक	20000.00
5. प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रचार प्रसार एवं विविध व्यय	5000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 500/– रूपये प्रति व्याख्यान (6)	3000.00
योग	50000.00

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

परिशिष्ट-19

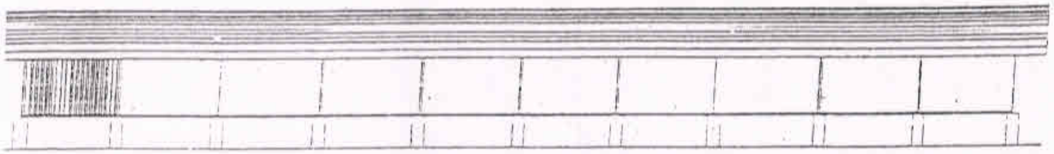

Side Elevation

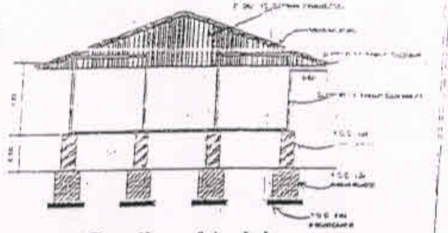

Section At -AA

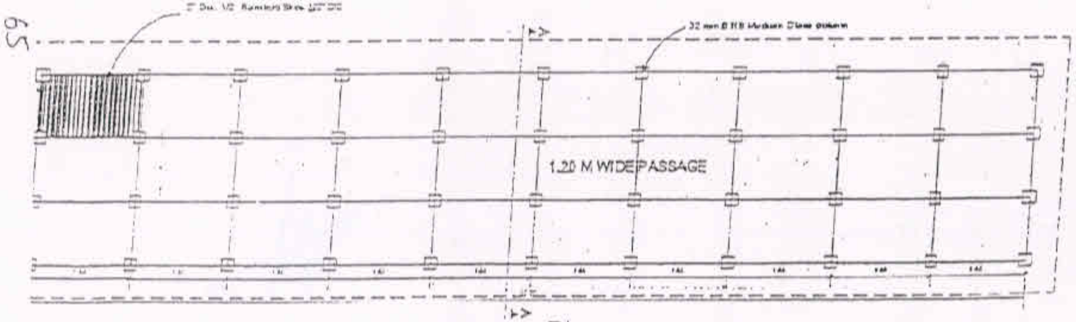

Plan

Plan For Proposed Onion Storage Shed Of 25 M.T.
(Double Row Plan)

Architect: Dhananjay M. Shinde

Structural Engineer: Pramod Kulkarni

N.H..R.D.F.. Nashik.

जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

1. जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन कार्यक्रम

अ. बजट प्रावधान– 2.00 लाख रूपये
ब. कृषको की संख्या– 100
स. सेमीनार अवधी– 2 दिवस
द. लागत का सांकेतिक विवरण–

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 200/– रूपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	20000.00
2. चाय–नाश्ता, लंच व डिनर – 300/– रूपये प्रति कृषक प्रति दिन	60000.00
3. लॉजिंग बोर्डिगं– 300 /– रूपये प्रति कृषक	30000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 350 /– रूपये प्रति कृषक	35000.00
5. प्रचार प्रसार	10000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 1000/– रूपये प्रति व्याख्यान (10 अतिथि व्याख्यान)	10000.00
विविध व्यय	20000
हॉल का किराया	10000
अतिथि व्याख्याताओं का आने जाने का वास्तविक किराया (Entitlement के अनुसार)	5000
योग	200000

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

राज्य स्तरीय सेमीनार आयोजन हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

1. जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन कार्यक्रम

अ. बजट प्रावधान– 3.00 लाख रूपये
ब. कृषको की संख्या– 100
स. सेमीनार अवधी– 2 दिवस
द. लागत का सांकेतिक विवरण–

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 500/– रूपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	50000.00
2. चाय–नाश्ता, लंच व डिनर – 500/– रूपये प्रति कृषक प्रति दिन	100000.00
3. लॉजिंग बोर्डिगं– 300 /– रूपये प्रति कृषक	30000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 400 /– रूपये प्रति कृषक	40000.00
5. प्रचार प्रसार	10000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 1000/– रूपये प्रति व्याख्यान (10 अतिथि व्याख्यान)	10000.00
विविध व्यय	20000
हॉल का किराया	10000
अतिथि व्याख्याताओं का आने जाने का वास्तविक किराया (Entitlement के अनुसार)	30000
योग	300000

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।